असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

21 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा 21 मार्च, 2018 ई0

नवम् सत्र बुधवार, तिथि 30 फाल्गुन, 1939(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्प-सूचित प्रश्न सं0-22(श्री राघव शरण पाण्डेय)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्तमान में बिहार का स्वच्छता आच्छादन 44.88 प्रतिशत है एवं 4814 ग्राम, 1240 ग्राम पंचायत एवं 32 प्रखंड को सामुदायिक द्वारा खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है । वस्तुस्थिति यह है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित किया जा रहा है । जिसमें समुदायिक द्वारा स्वयं शौचालय का निर्माण एवं उपयोग किये जाने का प्रावधान है । पूरे राज्य के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर अक्टूबर 2019 तक चरणबद्ध तरीके से खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है । इस हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, मेरे दो पूरक प्रश्न हैं - एक तो अभी बताया गया कि 44 प्रतिशत हमारा सक्सेस रेट अभी तक का है । इसका मतलब है कि 56 प्रतिशत अभी पूरा करना है अगले 18 महीनों में । मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार को मालूम है कि ये जो 44 परसेंट कन्सट्रक्ट कर दिये गये हैं उसमें कितने कार्यरत हैं ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो पिछले अक्टूबर 2014 से जो यह कार्यक्रम चला है विशेष रूप से जितने बने हैं उसमें 10-15 परसेंट से ज्यादा कार्यरत नहीं हैं । यह चिंता का विषय है तो इसलिए क्या सरकार को मालूम है यदि नहीं मालूम है तो क्या सरकार इसके लिए थर्ड पार्टी इभेल्यूशन कराकर यह जानना चाहेगी कि कितनी गुणवत्ता से अकार्यरत होनेवाले बन रहे हैं ? इसके बाद दूसरा पूछूंगा ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार को पता है कि पूर्व से निर्मित शौचालय में से अनुपयोगी शौचालय की संख्या 16 लाख 70 हजार के लगभग है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : सरकार से मैं जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में जब शौचालय बन गये हैं और कार्यरत नहीं है तो क्या एक थर्ड पार्टी इभेल्यूशन कराकर उसमें क्या कमियां है जिसका निवारण किया जा सके ताकि वह कार्यरत हों । मेरा दूसरा प्रश्न है कि साढ़े तीन साल में यदि 44 परसेंट हम लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं और डेढ़ वर्ष में 50 से अधिक प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना बाकी है तो इसके लिए अतिरिक्त जो प्रशासनिक

व्यवस्था की आवश्यकता है, उसके लिए जो अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता है उसके लिए सरकार ने क्या किया ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो शौचालय अनुपयोगी हो चुके हैं उसके बारे में हम जॉच भी करा रहे हैं और अब जो सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि जब तक जिओ टैगिंग नहीं होगा तब तक यह नहीं माना जायेगा कि वह शौचालय निर्मित हुआ कि नहीं हुआ और जब जिओ टैगिंग हो जाता है तब उनको राशि का हम भुगतान करते हैं और हमारा जो मकसद है शौचालय का निर्माण सरकार नहीं करती है, हम तो प्रोत्साहन राशि देते हैं शौचालय निर्माण करनेवाले लाभुकों को उनके खाते में पैसा देते हैं और शौचालय निर्माण में थोड़ी गति धीमी है, लेकिन बजाप्ता पुख्ता के साथ हम पूरी जॉच पड़ताल करके ही शौचालय का भुगतान करते हैं और पहले जो थोड़ी बहुत शौचालय में गड़बड़ी दीख रही है वह सब आगे ठीक हो रहा है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : थर्ड पार्टी इभेल्यूशन करायेगी सरकार या नहीं कराने की सोच रही है ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि ये जो जॉच की प्रक्रिया की गयी है बहुत कठिन की गयी है । जिसके वजह से भुगतान में गति भी बहुत धीमा है और हम पूरे तरीके से जॉच नीचे के जो वार्ड मेंबर हैं, हमारे जो नीचे के बी0डी0ओ0 हैं, हमारे जो मुखिया हैं, हमारे चार-पांच अधिकारी जब जॉच करके प्रमाण पत्र देते हैं, अधिकारी के साथ-साथ जनप्रतिनिधि तब जाकर उनको भुगतान होता है । इतना बड़ा जॉच पड़ताल के बाद हम लोहिया स्वच्छ अभियान में काम कर रहे हैं और हमारी प्रगति भी हो रही है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : यह तो और चिंता का विषय है यदि इतनी गहन जॉच प्रक्रिया है और उसके बाद भी मैं सदन में जानकारी दे रहा हूँ कि 10-15 प्रतिशत से अधिक कार्यरत नहीं हैं । तब तो सरकार को और भी गंभीर होकर और एक इभेल्यूशन कराना चाहिए कि कहां-कहां कार्यरत हैं और कहां-कहां नहीं हैं और वह सरकारी तंत्र से नहीं एक थर्ड पार्टी तंत्र से होना चाहिए ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पाण्डेय जी ने एक और प्रश्न किया था कि साढ़े तीन वर्ष में 44 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गयी है तो 56 प्रतिशत शेष डेढ़ वर्षों में कैसे पूरा करेगी और इसके लिए क्या साधन और व्यवस्थाएं और कार्यरूप देने के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि ये जो शौचालय निर्माण का काम है बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है और शौचालय निर्माण मात्र हमारा मकसद नहीं है । हमको बिहार को बाहरी शौच से मुक्त कराना है । हमारा बेसिक जो काम चल रहा है, व्यवहार परिवर्तन का काम चल रहा है । हम शौचालय भी बना देते हैं और जिनके घरों में शौचालय निर्माण हो जाता है वे बाहर उसका उपयोग करने के लिए चले जाते हैं तो मुख्य रूप से व्यवहार परिवर्तन का काम

है । जो जनप्रतिनिधि यहां बैठे हैं माननीय विधायक हैं उनसे पहले भी मैं प्रश्न के माध्यम से अनुरोध कर चुका हूँ और ग्रामीण विकास के डिमांड पर भी हमने आग्रह किया है माननीय सदस्यों से कि इसमें आपका सहयोग चाहिए- चाहे त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हों, चाहे माननीय विधायक हों, चाहे माननीय सांसद हों और समाज के हर वर्ग का जब तक इसमें समर्थन नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा तो ये बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ी दिक्कत होगी ।

श्री विजय प्रकाश : जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि शौचालय बन चुका है इसमें एक चीज और आपसे निवेदन है कि पहले जो शौचालय संस्था के माध्यम से बनाया गया था उसको भी आप इसमें जोड़कर नंबरिंग अपना बढ़ा रहे हैं कि हमारा ओ0डी0एफ0 हो गया है प्रत्येक गांव में जो पहले बना है । उसको भी जोड़ा जा रहा है और वहां से पदाधिकारी के माध्यम से.....

अध्यक्ष : आपका सुझाव क्या है ?

श्री विजय प्रकाश : पदाधिकारी के माध्यम से इसका ओ0डी0एफ0 बनाया जा रहा है । यह स्वच्छ भारत कहां है स्वच्छ भारत ? कहां लोहिया स्वच्छ मिशन चल रहा है ? एक तरफ जहां स्वच्छ है वहां भारत नहीं है और जहां भारत है वहां स्वच्छ नहीं है । इसमें पूर्णरूप से अनियमितता बरती जा रही है ।

अध्यक्ष : वह तो हो गया अब आगे भी शौचालय ही है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बछवाड़ा प्रखंड के रानी-टू पंचायत को निर्मल पंचायत घोषित कर दिया गया सरकार के द्वारा जबकि वहां पर शौचालय निर्माण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई और बहुत जगह शौचालय बिलकुल शुरू भी नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में पंचायत के कुछ वोलेन्टीयर्स ने हाईकोर्ट में केस किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको निरस्त करते हुए फिर से निर्मल पंचायत की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए निदेश दिया है और उसको सूचित करने के लिए कहा है । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जिन पदाधिकारियों ने जिन लोगों की मिलीभगत से उसको निर्मल पंचायत घोषित किया गया क्या उनपर सरकार जॉच कर कार्रवाई करने का इरादा रखती है ?

अध्यक्ष : आलोक जी, आप स्वयं मंत्री रहे हैं इस प्रश्न में बछवाड़ा प्रखंड के रानी पंचायत के मामले का उत्तर माननीय मंत्री कहां से देंगे अभी ? इस प्रश्न से जुड़ा हुआ तो है नहीं । आपकी सूचना माननीय मंत्री ग्रहण कर लेंगे ।

टर्न-2/अशोक/21.03.2018

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-34(श्रीमती लेशी सिंह)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 : उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 8 लाख 72 हजार 321 शौचालयविहीन परिवारों

द्वारा शौचालय का निर्माण किया गया । इस योजना का क्रियान्वयन जून,2016 से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है । वर्ष 2016-17 के दौरान सितम्बर, 2016 से मार्च, 2017 तक मात्र 2 लाख 10 हजार 150 लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है । पूर्व की अवधि, अप्रील, 2016 से अगस्त, 2016 तक का भुगतान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया गया है ।

खंड-2 : उत्तर अस्वीकारात्मक है । शेष लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कराया जा रहा है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 6 लाख 28 हजार 902 पात्र लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है । भुगतान में निरंतर प्रगति हेतु इसकी सप्ताहिक विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जा रही है ।

खंड-3 : उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

खंड-4 : उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्रीमती लेशी सिंह : मननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी ने खुद ही जवाब में कहा कि 58 लाख लक्ष्य था और 8 लाख 73 हजार शौचालय का निर्माण कराया गया वर्ष 2016-17 में, व्यक्तिगत शौचालय का और जिसमें कि 2 लाख 10 हजार जो है सिर्फ भुगतान हुआ है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि बजट भाषण में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा भी 27 फरवरी, 2018 को बजट भाषण में सदन को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8 लाख 73 हजार व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हुआ है, तो सरकार यह बताये कि 8 लाख 73 हजार में कितने लाभुकों को शौचालय के निर्माण में राशि का भुगतान किया गया है ? और क्या यह बात सही है कि 8 लाख 73 हजार निर्मित शौचालय में मात्र 2 लाख 92 हजार लाभुकों का ही भुगतान हुआ है, ससमय लाभुकों को राशि भुगतान नहीं करने का औचित्य क्या है? इसके लिए दोषी कौन हैं ?

अध्यक्ष : ठीक ।

श्रीमती लेशी सिंह : दोषी पदाधिकारी पर सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, हमने पहले प्रश्न के उत्तर में भी विस्तार से जवाब दिया है और माननीय सदस्या को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भुगतान में विलम्ब के कारण के बारे मे हमने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि जब तक जियो टैगिंग नहीं हो जाता है महोदय तब तक उनको भुगतान नहीं किया जा सकता है । और जांच प्रक्रिया थोड़ी लम्बी की गई है इसलिये कि कुछ लोग बिना बनाये भी पैसा ले लेते थे और जिसके बारे में सब लोग, माननीय सदस्य भी चिन्तित हो जाते थे तो प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने निर्माण कराया है, जियो

टैगिंग करायेंगे महोदय सब का भुगतान करेंगे, एक-एक लाभार्थी के भुगतान में विलम्ब हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होगा ।

श्रीमती लेशी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 38 जिलों में कितना-कितना शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान एवं लोहिया स्वच्छता योजना के तहत की गई ? वर्ष 2016-17 में स्वच्छता अभियान ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छता योजना के तहत शौचालय बनाने का लक्ष्य क्या था? शौचालय निर्माण जिन लाभुकों के द्वारा कराया गया उसमें कितने लाभुकों का जियो टैगिंग पर लाभुकों का शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

अध्यक्ष : इसमें प्रश्न कहां था ? इसमें तो कोई पूरक ही नहीं था । चलिये कौन पूछ रहे थे?

श्री अशोक कुमार(208) : हर प्रखण्ड में लाभुक जो हैं, जिन्होंने शौचालय बना दिया है उसका भुगतान नहीं हो रहा है ...

श्रीमती लेशाी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा अभी पूरक है ।

अध्यक्ष : आपने तो पूरक पूछे ही नहीं, आपने तो वक्तव्य दे दिया ।

श्रीमती लेशाी सिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य को 131 करोड़ तथा राज्य हिस्से से 320 करोड़ एवं लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत 48 करोड़ 55 लाख रूपये, कुल 499 करोड़ 55 लाख रूपये प्राप्त हुये थे जिसमें 58 लाख शौचालय के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, सरकार स्पष्ट करे कि 58 लाख के एवज में 2016-17 में कितने शौचालय का निर्माण हुआ? कितनी राशि का भुगतान हुआ? वित्तीय वर्ष 2016-17 में 499 करोड़ 55 लाख में 332 करोड़ 47 लाख रूपये ही खर्च हुये, लक्ष्य के अनुरूप शौचालय के निर्माण नहीं होने तथा राशि उपलब्धता के बावजूद शौचालय निर्माण की धीमी गति के लिये जिम्मेवार कौन हैं ? कौन-कौन सी सरकार कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 2016-17 में 8 लाख 73 हजार शौचालय का निर्माण हुआ महोदय । जो शौचालय निर्माण हुये हैं महोदय, हमने बताया है कि शौचालय निर्माण के बाद थोड़ी जांच की जो प्रक्रिया है महोदय उसमें समय लगता है, और माननीय सदस्य चिन्तित हैं कि जिन लोगों ने शौचालय निर्माण कराया है उनको जल्द से जल्द भुगतान होना चाहिये महोदय लेकिन हम जांच प्रक्रिया को पूरा करके और जल्द से जल्द हम उनको भुगतान करायेंगे और महोदय हमने पहले भी कहा है कि हम तो व्यवहार परिवर्त्तन की बात कर है हम .....

अध्यक्ष : ठीक है, अभी भुगतान तक ही रहने दीजिये । इनको पूछ लेने दीजिये ।

श्री अशोक कुमार(208): आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी शीघ्र भुगतान की बात कह रहे हैं हमलोग चाहते हैं कि समय सीमा बांधें कि जो लाभुक अपना शौचालय बना दिया है उसको कितने दिनों के अन्दर ये भुगतान करेंगे और जो पदाधिकारी उतने दिनों के अन्दर भुगतान नहीं करेंगे, उन पर ये कौन सी कार्रवाई करेंगे, इसका ये जवाब दें ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्य अवधेश बाबू ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक अशोज जी से मिलता-जुलता प्रश्न है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जल्द भुगतान किया जायेगा, यह सच्चाई है कि लम्बी प्रक्रिया है पर माननीय मंत्री जी ऐसी कौन कार्रवाई किये हैं चूंकि मार्च अंत हो रहा है, मार्च अंत हो रहा है, सभी जो गरीब लोग अपना बना लिये शौचालय हैं उसका भुगतान नही हो रहा है अध्यक्ष महोदय । तो माननीय मंत्री जी ऐसा कौन उपाय करेंगे कि जितना जल्द, इनका जो जल्द है वह कितना कम में उन लोगों का भुगतान हो जायेगा ? कितना कम दिनों में उनलोगों का भुगतान हो जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी ।

श्री श्याम रजक :अध्यक्ष महोदय, जानना चाहते हैं कि यह वर्ष 2016-17 का है और यह है दूसरा वित्तीय वर्ष 2017-18, 16-17 का ये अभी जांच ही कर रहे हैं तो 2017-18 का कब जांच होगी और कब भुगतान होगा ? जो गरीब लोग हैं, गरीबों के शौचालय का मामला है ।

अध्यक्ष : चलिये । माननीय सदस्य श्री सिद्दिकी जी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ कि क्या इस बाबत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी है और उस मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो विभिन्न जिलों को जो राशि आवंटित की गई उसमें कई ऐसे जिले हैं जिन्होंने अब तक शून्य खर्च किया है- क्या यह सही है ?

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : मैं कहती हूॅ कि रोहतास जिले के 99 प्रतिशत शौचालय का निर्माण हो चुका है और सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमण्डल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओ.डी. एफ. घोषित किया है तो सरकार यह बताये कि मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद भी 80 प्रतिशत लाभुकों को, जिन्होंने शौचालय निर्माण कर लिया है, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष : सभी पूरक का समेकित जवाब दे दीजिये ।

टर्न-3/21-03-2018/ज्योति

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चिन्तित हैं कि शौचालय का निर्माण हो और बिहार जल्द से जल्द ओ.डी.एफ. हो जाय, सरकार भी चिन्तित है । माननीय

अवधेश बाबू तो पता नहीं गरीब के गांव में जाते हैं कि नहीं जाते हैं गरीबों से मतलब है कि नहीं उनको ? लेकिन सदन में तो गरीबों की चर्चा अवश्य करते हैं । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ और माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम एक वार्ड को यूनिट मान लिये हैं, एक पंचायत को यूनिट हमने माना है और जब तक उस वार्ड में सभी लोगों का शौचालय निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक हम वहाँ पर उनको भुगतान नहीं करते हैं यानी वार्ड को ओ.डी.एफ. करते हैं, तब जा करके हम जी.ओ. टैगिग करते हैं और व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं, इसको भी देखते हैं । इसका जी.ओ. टैगिंग करके उनका भुगतान करते हैं इसलिए मैंने कहा कि प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है लेकिन अगर माननीय सदस्य का सहयोग मिल जाय, जहाँ जहाँ ये सभा करते हैं, मिटिंग करते हैं अगर अवेयरनेस लोगों को कहें, लोगों को बताये कि शौचालय से क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, अगर ये बताने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि गांव भी ओ.डी.एफ. पंचायत भी ओ.डी.एफ. और पूरा बिहार भी ओ.डी.एफ. 2019 तक हो जायेगा ।

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 818 (श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय,1– उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुसहरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय की चहारदिवारी नहीं है, किन्तु उक्त कार्यालय असुरक्षित नहीं है । प्रखंड सह अंचल कार्यालय की सुरक्षा हेतु अंचल गार्ड प्रतिनियुक्त है एवं प्रखंड परिसर के समीप ही थाना अवस्थित है ।

इस संदर्भ में वैसे प्रखंड जिनके कार्यालय/आवासीय भवन/चहारदिवारी जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास एवं चहारदिवारी निर्माण नई तकनीक के आधार पर किए जाने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित है । इसी क्रम में अब तक 77 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय, आवास निर्माण, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास तथा चहारदिवारी निर्माण का कार्य हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही 101 प्रखंडों में प्रखंड सूचना प्राद्यौगिक केन्द्र के भवन का निर्माण की भी स्वीकृति दी जा चुकी है । कार्य प्रक्रियाधीन है ।

सभी जिला पदाधिकारी से प्रखंड परिसर की चहारदिवारी का निरीक्षण कराकर प्राथमिकता के आधार पर चहारदिवारी के नवनिर्माण/ पुनर्निर्माण/ मरम्मती कराने हेतु अवरोही क्रम में प्रखंड की सूची की मांग की गयी है । सूचना प्राप्त होने पर चरणबद्ध तरीके से नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण/ मरम्मती कार्य किया जायेगा ।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि चहारदिवारी के कारण वहाँ लोग काफी परेशान रहते हैं । कभी ताला टूट जाता है, कभी गेट का दरवाजा तोड़कर लोग आते हैं, वहाँ चहारदिवारी की बहुत जरुरत है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि समय सीमा तय करें और जल्द से जल्द कराने का काम करें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आपका क्या है मुसहरी प्रखंड में । बाद में पूछियेगा, इसमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 845(श्री हरिशंकर यादव)

अध्यक्ष : प्रश्न पूछा हुआ है । पंचायती राज विभाग।

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : समय चाहिए । फिर स्थगित हुआ ।

श्री हरिशंकर यादव : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बार स्थगित हुआ है ।

अध्यक्ष : हाँ, हम भी कहे हैं । हम भी कहे हैं कि फिर स्थगित हुआ, उसका मतलब ही है कि दूसरी बार स्थगित हुआ ।

श्री हरिशंकर यादव : इस सत्र में आ जायेगा ?

अध्यक्ष : हाँ, हाँ इस सत्र में आ जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1818 (श्री शिवचंद्र राम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है । शनिचर हाट से मुनेश्वर चौक होते हुए भलूई जाने वाले पथ,- इस पथ की लंबाई साढ़े चार किलोमीटर है, जो आर.ई.ओ. की पुरानी सड़क है । पथ श्रेणी वन की अर्हता नहीं रखता है । दूसरा मुनेश्वर चौक से बैकुंठपुर होते हुए पंचशाला चौक तक जाने वाली पथ इस पथ की लम्बाई 5 कि.मी0 है जो आर.ई.ओ. की पुरानी सड़क है पथ श्रेणी वन की अर्हता नहीं रखता है, सम्प्रति दोनों पथों की मरम्मती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री शिवचंद्र राम : अध्यक्ष महोदय, दोनों सड़क के बारे में जो हमने प्रश्न किया है, ये दोनों इम्पौर्टेंट सड़क है इसमें हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो वह सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, इसके लिए काम होगा कि नहीं होगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ?

अध्यक्ष : वह तो कह दिए कि विचाराधीन नहीं है तो कैसे होगा ?

श्री शिवचंद्र राम : वह तो कह रहे हैं न ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, पहले जो श्रेणी वन के पथ हैं उनको समाप्त कर लेंगे उसके बाद इन सब को देखेंगे लेकिन माननीय सदस्य का अगर कहना है तो इसको फिर से देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर श्रेणी वन में नहीं रहे और ग्रामीण सड़क रहे और उसकी स्थिति बहुत खराब रहे तो क्या माननीय मंत्री जी उसको बनाने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : इसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1819 (श्री मो0 अफाक आलक)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में दो पुलों की चर्चा की गयी है । घोरदौल पंचायत के जियनगंज जाने वाले पथ में धनखनिया से सौरा नदी पर आर.सी.सी. पुल का प्राक्कलन विभाग को प्राप्त हुआ है, जांचोपरान्त स्वीकृति दी जायेगी । नंबर 2- प्रश्नाधीन दूसरा पुल जो कॉलेज चौक से पूरब गुरुआ पथ में है, का प्राक्कलन विभाग को प्राप्त है जांचोपरान्त स्वीकृति दी जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1820 (श्री राम बालक सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बैंती नदी के दायें किनारे बेगुसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड में भीठ स्लुईस से समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड में गंगौली ब्रीज तक 14 कि0मी0 तक तटबंध निर्मित है एवं वायें किनारे बेगुसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड में भीठ स्लुईस से समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड में गंगौली ब्रीज 14 कि0मी0 तटबंध निर्मित है । यह आम रास्ता नहीं है । तटबंध का उपयोग, इसके निरीक्षण एवं बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के लिए ढुलाई के लिए किया जाता है। सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग का है यदि संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जायेगा तो जल संसाधन विभाग उपलब्ध करा देगा ।

श्री राम बालक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो उक्त पथ है यह नदी के किनारे दोनों तरफ बसावट है, वहॉ के लोगों को उस बांध के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे निकल कर मुख्यालय जा सकते हैं इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस पथ का पक्कीकरण करावे ताकि सरकार का लक्ष्य है कि हरेक बसावट और हरेक टोले को हम पक्की सड़क से जोड़ेंगे और पक्की सड़क से जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बांध के किनारे बसे लोगों के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1821 (श्रीमती मंगिता देवी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया था किंतु संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण एकरारनामा विखंडित कर दिया गया एवं संवेदक को काली सूची में डाला गया है । पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है स्वीकृति उपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती मंगिता देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ कि कबतक इसको प्राथमिकता में देते हुए काम कराने का विचार रखते है ?

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है कि स्वीकृति मिल चुकी थी, टेण्डर हो गया था लेकिन वह जो टेण्डर एजेन्सी आयी उसने काम नहीं की जाँच कराके उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है फिर से टेण्डर की प्रक्रिया हो रही है ।

श्रीमती मंगिता देवी : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1822 (डा0 अशोक कुमार)

श्री नंद किशोरयादव, मंत्री : महोदय, विषयांकित पथ मुक्तापुर हथौड़ी ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है । फिजिबिलटी रिपोर्ट प्राप्त है । फिजिबिलटी रिपोर्ट पर समीक्षोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

टर्न-4/21.3.2018/बिपिन

तारांकित प्रश्न सं0-1823 (श्री महबूब आलम)

श्री कपिल देव कामत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इसमें समय चाहिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, छोटी-सी बात है । एक चबूतरा है महोदय, 10 साल से अधूरा पड़ा हुआ है और जांच-पड़ताल भी इन्होंने कर लिया है...

अध्यक्ष : 10 साल से पड़ा है, इसीलिए तो ये समय चाहते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1824 (श्रीमती समता देवी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । प्रसंगाधीन प्रथम पथ का नाम ग्राम खाप से पिपरहीया गाँव न होकर खपपाधानवा पथ से बैरीचक है । इसकी लंबाई 500 मीटर है एवं यह राज्य कोर नेटवर्क के सी.एन.सी.पी.एल. के क्रमांक-15 पर है तथा इसका रूट संख्या S-5 है ।

द्वितीय पथ पिपरहीया मोड़ से गोदबिगहा का कुल लंबाई 600 मीटर है । यह राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक-25 पर है एवं इसका रूट संख्या S-010 है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार इसका निर्माण कराया जाएगा ।

सी.एन.सी.पी.एल. में है महोदय । अब प्रायरिटी देना तो माननीय सदस्य का ही काम है, तो दे देंगी तो इसको करा देंगे ।

अध्यक्षः ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1825 (डॉ0 अशोक कुमार-208)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्रीः महोदय, लघु जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित है, चूंकि यह नलकूप का सवाल था ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्रीः महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

तिलौथू प्रखंड अंतर्गत कुल 76 राजकीय नलकूप हैं जिसमें 50 नलकूप चालू है, 4 अदद नलकूप संयुक्त दोष से बंद है तथा 13 नलकूप असफल की श्रेणी में है, 5 नलकूप यांत्रिक दोष से बंद है एवं 4 नलकूप विद्युत दोष के कारण बंद है ।

2- अस्वीकारात्मक ।

विगत् वित्तीय वर्ष में रोहतास जिलान्तर्गत चार राजकीय नलकूपों की मरम्मती के लिए 1.68 लाख रूपए का आवंटन दिया गया था । सभी नलकूपों की मरम्मती करा दी गई है । चारों नलकूप अभी चालू अवस्था में हैं । इन चारों नलकूपों में एक नलकूप दुधमी डेहरी तिलौथू प्रखंड अंतर्गत है । रोहतास जिला में सभी चालू पुराने राजकीय नलकूपों के सम्पोषण हेतु 9.787 लाख रूपए का आवंटन भी दिया गया था । इस राशि से नलकूपों के छोटे-छोटे दोष दूर कर वर्ष भर संचालन किया गया ।

3- संयुक्त दोष से बंद नलकूपों में 12 नलकूपों के जीर्णोद्धार कार्य का डी.पी. आर. तैयार कराया गया है । इन 12 नलकूपों में तिलौथू प्रखंड के 4 नलकूप भी हैं । निधि उपलब्धता के आधार पर कार्य को कराया जाएगा । विद्युत दोष से बंद नलकूपों को चालू कराने हेतु विद्युत विभाग के अभियंताओं से संपर्क किया जा रहा है । यांत्रिक दोष से बंद नलकूपों को यथाशीघ्र चालू करा दिया जाएगा ।

तिलौथू प्रखंड अंतर्गत नलकूपों की जॉच मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा कराई गई है । 20 नलकूपों की जांच मुख्य अभियंता द्वारा की गई है । इस जॉच प्रतिवेदन के अनुसार उपलब्ध आवंटन से नलकूपों के छोटे-छोटे अव्यवों तथा जले हुए मोटर की मरम्मती का कार्य कराया गया है ।

डॉ0 अशोक कुमार(208): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल स्पष्ट है । 80 प्रतिशत नलकूप बंद है । जो जवाब आया है, वह इनके पदाधिकारी गलतबयानी कर रहे हैं और ढ़ाई वर्षों से जब से सदन शुरू है, मैं देख रहा हूं कि जो माननीय सदस्य सवाल करते हैं, पदाधिकारी उसका गलत जवाब देते हैं और उसी को सरकार मान लेती है । यह सदन के लिए चिंता का विषय है कि माननीय सदस्य सही बोल रहे हैं कि पदाधिकारी सही बोल रहे हैं ।

इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे सवालों पर अब विधान सभा की कमिटी गठित कराइए और जांच कराइए कि माननीय सदस्य गलतबयानी कर रहे हैं कि इनके पदाधिकारी गलतबयानी कर रहे हैं ?

अध्यक्षः आपका पूरक क्या है ?

डॉ0 अशोक कुमार(208): हमारा पूरक है कि 80 प्रतिशत् नलकूप बंद है और पैसा निकाल लिया गया है । विधान सभा की समिति का गठन कराकर इसकी जांच कराइए और इनका गलतबयानी सदन के सामने आए ।

अध्यक्ष महोदय, सदन के लिए चिंता का विषय है कि आज तक पदाधिकारियों के गलतबयानी पर एक भी सदन का कमिटी नहीं बना है जिसके चलते बिहार के पदाधिकारियों का मन बढ़ता जा रहा है । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन की कमिटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्रीः महोदय, प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट है । यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप बताइगा कि ...

अध्यक्ष : ऐसा करिए माननीय मंत्रीजी कि जब माननीय सदस्य....

डॉ0 अशोक कुमार(208): दूध की रखवाली बिल्ली तो नहीं करेगी महोदय ...

अध्यक्ष : आप, माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बराबर विभाग के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है तो आप विभागीय सचिव से इसकी जांच करा दीजिए । सचिव आवश्यक सूचना माननीय सदस्य से भी ले लेंगे और सारी चीजों की जांच करा देंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्रीः ठीक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः क्या सुने इसमें ? मैंने कह दिया है । आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, अपनी बात बोलते रहते हैं । मैंने कह दिया है कि सचिव जाएंगे और आपसे सारी सूचना लेंगे । आप सुनते क्यों नहीं हैं ? केवल आप अपनी ही बात बोलते रहिए, आसन की कुछ नहीं सुनिएगा ? ऐसे नहीं होता है । बैठिए ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1826 (श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन)</u>

श्री कपिलदेव कामत,मंत्रीः उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-6815 दिनांक 25.10.2016 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान अपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान रू0 5,00,000.00 (पांच लाख रूपए) मात्र की राशि स्वीकृति का प्रावधान है ।

2- उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर के प्रतिवेदनानुसार प्रखंड कल्याणपुर के ग्राम कचहरी वासुदेवपुर के सरपंच की मृत्यु आत्महत्या से हुई है एवं प्रखंड विद्यापतिनगर के ग्राम कचहरी बरौना के सरपंच की मृत्यु हृदयगति रूक जाने के कारण हुई है । उपर्युक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि दोनों सरपंच की मृत्यु अपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से नहीं हुई है ।

3- उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन: अध्यक्ष महोदय, जो सरपंच के आत्महत्या की बात है, उन्होंने केस किया था कि हत्या हुई है परिवार का । ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा, आत्महत्या का मामला हुआ होगा। मेरा सवाल यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, ऐक्सिडेंटल जो उनको मिलता है तो वह सबके लिए, आम जनता के लिए प्रावधान है । क्या त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए नैचुरल डेथ पर भी जो बीमा होता है उसका प्रावधान सरकार करने का विचार करती है ?

अध्यक्ष : ये नीतिगत प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वाभाविक मृत्यु में भी क्या सरकार देने का विचार रखती है ?

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री: नहीं सर, ऐसा नहीं है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1827 (श्री चन्द्रसेन प्रसाद)</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: स्थानान्तरित है महोदय ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री: महोदय, खंड-1- स्वीकारात्मक है ।

2- योजना सर्वेक्षण कराकर डी.पी.आर. तैयार कराया जाएगा तथा निधि उपलब्धता के आधार पर इसके जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि कब तक ये छिलका बनावेंगे ?

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, चन्द्रसेनजी का प्रश्न है, काम छोटा है, इसको हम करा देंगे ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: थैंक यू ।

टर्न : 05/कृष्ण/21.03.2018

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 1828 (श्री ललन पासवान)</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि एन0पी0सी0सी0 द्वारा चेनारी से टेंगल बसनारा भाया सदोखर पथ के निर्माण के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने भूमि के कुछ भाग पर अपना निजी अधिकार का दावा किया था । एन0पी0सी0सी0 के

तत्कालीन परियोजना प्रबंधक द्वारा हर संभव प्रयास किये जाने के बावजूद विवाद को नही सुलझाया जा सका था । अंततः एन0पी0सी0सी0 द्वारा विवादित जमीन को छोड़कर शेष पथ का निर्माण करा दिया गया ।

2. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु भूमि की अधिग्रहण का प्रावधान नहीं है ।

3. भूमि उपलब्ध हो जाने पर प्रश्नाधीन पथ के निर्माण पर विचार किया जा सकेगा ।

माननीय सदस्य अगर भूमि उपलब्ध करा देते हैं तो बनवा देंगे ।

अध्यक्ष : आप ही पर है सड़क बनवाने का दारोमदार ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, बनवाये तो हम ही है । शुरू हम ही किये थे । सरकार से हम आग्रह किये थे । महोदय, बहुत बड़ा विवाद नहीं है । सरकार का नियम नहीं हो सकता है, मैं इसे मानता हूं । लेकिन रामगढ़ के इलाके का वह क्षेत्र पड़ता है और दतौली का पासवान जी का एक कट्ठा जमीन है । पहले से वह बन चुका था । वह उनकी निजी जमीन थी । महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि करोड़ो रूपये की दो बार उसकी निविदा निकाली गयी, 2008 में निकाली गयी और बंद कर दी गयी, ठीकेदार भाग गये, उस पर कार्रवाई किये माननीय मंत्री जी ने और दोबारा टेंडर निकाला गया । महोदय, करोड़ों का वह सड़क है और सौ मीटर, दो सौ मीटर के अंतराल में नहीं बना है और 100 गांव है, बिंद का गांव है, जंगल से सटा हुआ है और 14 कि0मी0 के बाद वह स्टेट-हाईवे में मिलता है । माननीय मंत्री श्री नन्द किशोर यादव जी 2005 में ही उस का निर्माण कराये थे । 14 किलोमीटर में 100 गांव प्रभावित होता है ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक है, नियम नहीं है लेकिन गरीबों का, अतिपिछड़ों का इलाका है, दलितों का इलाका है । इसलिये सरकार द्वारा कुछ धन उपलब्ध कराकर उस जमीन का अधिग्रहण करके सरकार उक्त पथ को बनाने का विचार रखती है ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, हमने बताया कि ऐसा प्रावधान पी0एम0जी0एस0वाई0 में नहीं है । माननीय सदस्य वहां के लोकप्रिय विधायक हैं । जमीन उपलब्ध करा दें, हम बना देंगे ।

श्री ललन पासवान : महोदय, सरकार इस सवाल पर भागती है, अतिपिछड़ों, दलितों के लिये सरकार काम कर रही है, न्याय के साथ विकास कर रही है और मात्र एक कट्ठा, सौ मीटर, पचास मीटर का मामला है, सरकार इतनी मुआवजा देती है, कई घटनाओं पर राशि देती है, सरकार संवेदनशील है । इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उसका अधिग्रहण कराकर उस पथ को बनवा दें ।

अध्यक्ष : सरकार संवेदनशील है तो थोड़ी संवेदनशीलता आप भी दिखाईये ।

तारांकित प्रश्न सख्या : 1829(श्री ललित कुमार यादव)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मनीगाछी से घनश्यामपुर पथ, जो मनीगाछी से निकलकर घनश्यामपुर तक जाती है । इसके मध्य में ब्रह्मपुर मोड़ से बोहड़वापुर पथ का पथांश आर0डब्ल्यू0डी0 द्वारा स्थानान्तरित नहीं किया गया है । स्थानान्तरण के उपरांत निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

दूसरा, चिकनी शिवनाम लुलुआ चौक वाजिदपुर, देवना पथ कुमरौल पथ पथ निर्माण विभाग में अधिगृहित है । इस पथ की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है । स्वीकृति के उपरांत कार्य कराया जायेगा।

महोदय, इसमें समस्या क्या आ गयी कि यह जो सड़क मनीगाछी से घनश्यामपुर पथ है, उसका एक भाग का अधिग्रहण तो हो गया लेकिन आर0डब्ल्यू0डी0 से स्थानान्तरित नहीं हुआ पथ निर्माण विभाग में । इसी कारण यह नहीं बना है । हमने विभाग को निदेश दिया है कि अविलंब उसके स्थानान्तरण की कार्रवाई की जाय और उसके बाद दोनों सड़कों के निर्माण के बारे में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का जवाब सकारात्मक है । माननीय मंत्री जी से सिर्फ हम इतना ही जानना चाहते हैं कि जीरो से 05 कि0मी0 जो बताये कि ब्रह्पुरा मोड़ से बोहड़वा पुल तक जीरो प्वाइंट है, दो पार्ट में सड़क नही है । बीच में पथ निर्माण विभाग का पथ है लेकिन मनीगाछी से घनश्यामपुर है, जीरो से 05 कि0मी0 छोड़ दिया गया और चिकनी से देवना पथ भी पथ निर्माण विभाग ने पहले ही अधिगृहित कर लिया है । तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस सड़क को अगले वित्तीय वर्ष में कबतक निर्माण करा देंगे ?

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सिद्दिकी जी मेरी बात सुन लिये, तेजस्वी जी भी सुन लिये ये नहीं सुने ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, लगता है कि ये दोनों आप से पहले पथ निर्माण मंत्री रह चुके हैं।

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, इसीलिये मैंने दोनों का नाम लिया ।

श्री ललित कुमार यादव : क्या इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण करवा देंगे ?

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, 10 दिनों में होता है क्या ?

तारांकित प्रश्न सख्या : 1830(श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया है । उक्त पथ की मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, 7.1 किलोमीटर कटिहार–कुर्बानी भिट्ठा पथ काफी महत्वपूर्ण है । इसका निर्माण 2010 में हुआ था । उसके बाद 2014 में आंशिक 5.6 किलोमीटर

की ही मरम्मति हुई थी । उसके बाद कोई मरम्मति का कार्य नहीं हुआ । माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में बताया कि एफ0डी0आर0 में उसको सम्मिलित करके उसके अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है । महोदय, हम दो पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं । प्रथम, 2010 में इस पथ का निर्माण हुआ तो 2014 में मात्र 5.6 कि0मी0 की ही क्यों मरम्मति हुई, शेष सड़क को क्यों छोड़ दिया गया ? दूसरा, माननीय मंत्री जी ने मरम्मति और पथ के रख-रखाव मद में प्रथम और द्वितीय श्रेणी का वर्गीकरण जो सरकार ने किया है, क्या यह अधिकार माननीय विधायकों को दिया जायेगा जो वह प्रथम श्रेणी की और द्वितीय श्रेणी की सड़क को तय करे ? क्योंकि बार-बार यह आ रहा है कि प्रथम श्रेणी के नाम पर द्वितीय... ।

अध्यक्ष : आपका पूरक हो गया न ? माननीय मंत्री ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : माननीय सदस्य का प्रश्न है कि कटिहार अंतन्तर्गत कटिहार-डण्डोरा 07 कि0मी0 लंबा पथ जर्जर हो चुका है जिसमें आमलोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । महोदय, हमने जवाब दिया । माननीय सदस्य जवाब ठीक से सुने नहीं । महोदय, हमने जवाब दिया कि वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया है । उक्त पथ की मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है।

श्री तारकिशोर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ अगस्त, 2017 में आयी थी और यह मार्च, 2018 का महीना चल रहा है, एफ0डी0आर0 में अभी तक एक भी सड़क, पुल का निर्माण नहीं हुआ है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पुल का डायवर्सन हुआ, उसका भी काम चल रहा है । यह जो कच्छप गति है । हम माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहते हैं कि यह सड़क कबतक बनेगी ? इतना ही बता दें । उसकी समय-सीमा तय कर दें ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में हो जायेगा । महोदय, 10 दिन बाकी है ।

तारांकित प्रश्न सख्या : 1831 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है । 1. भण्डारी बाजार से महादलित टोला होते हुये जयनगर, हनुमान मंदिर तक पथ । इस पथ की लंबाई 1.5 कि0मी0 है, जो ईंटकृत है और पथ राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक 34 पर अंकित है । 2. मंडारी टोला महादलित टोला में शिवनगर होते हुये दमाकी मठ पथ । इस पथ की लंबाई 01 किलोमीटर है, जो ईंटकृत है । पथ राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक 7 पर अंकित है । निधि की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि प्रश्न के उल्लिखित पथ के निर्माण के लिये जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 628 दिनांक 29.06.2017 को मंत्रालय में भेजा गया था कि वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित होने के कारण उक्त पथों का निर्माण कराना सुरक्षा एवं प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक है । जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी ऐसे गंभीर पथों के निर्माण करने की दिशा में सरकार अब तक क्या कार्रवाई की है ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सख्या : 1832(डॉ रामानन्द यादव)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन पथ का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 पैकेज संख्या -BR-26R/155 योजनान्तर्गत वर्ष 2013 में पूर्ण कराया गया था । यह पथ 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन है । इस कार्य के संवेदक श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह स्वराज द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना के पत्रांक 875 दिनांक 12.05.2016, पत्रांक 2012 दिनांक 07.02.2016, पत्रांक 1014 दिनांक 31.05.2017, पत्रांक 1841 दिनांक 14.09.2017 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया है । बार-बार स्मारित करने के बावजूद अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया । अतः अनुरक्षण कार्य नहीं कराने के कारण संवेदक को डिबार सूची में शामिल कर लिया गया है ।

टर्न-6/सत्येन्द्र/21-3-18

डॉ0 रामानन्द यादवः अध्यक्ष महोदय, उदैनी से सम्पतचक यह बहुत प्रमुख पथ है । चूंकि यह पथ कई पंचायत को मुख्यालय से जोड़ता है और पटना नगर निगम के कई बार्डों को भी जोड़ता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2014 में समाप्त हो गया है लेकिन मेरे पास वहां के शिलापट्ट का फोटो स्टेट मौजूद है, इसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि है 20-8-2009 और कार्य के समाप्ति की तिथि है 19-8-2010 और मंत्री जी जो कहते हैं, ठीक है उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया । अध्यक्ष महोदय, यह प्रमुख पथ है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी जो यह पथ गड्ढे में तब्दील हो गया है तो माननीय मंत्री जी इसको कबतक बनाना चाहेंगे, एक समय सीमा बतला दिया जाय ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः महोदय, जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है लेकिन हम पुनः इसकी जांच करा लेंगे । अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वर्ष 2013 में पूर्ण कराया गया था यह पथ और 5 वर्ष के अनुरक्षण अवधि के अधीन है तो इस कार्य के संवेदक नागेश्वर को,

हमने विभाग को निर्देशित किया है कि सिर्फ डिबार ही नहीं, उसको काली सूची में डालते हुए उसकी जितने भी राशि है ,उसको फॉरफीट किया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य सड़क बनवाना भी चाह रहे है, उस दिशा में कार्रवाई कीजिये ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: हम दिखवा लेंगे ।

डॉ0 रामानंद यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास फोटो स्टेट कौपी भी है, उसमें कार्य समाप्ति का वर्ष 2010 है और आप कह रहे हैं 2014, तो कौन आपका अभियंता जो बिलम्ब किये, संवेदक पर कार्रवाई करेंगे वह ठीक है लेकिन दोषी अभियंता पर कौन सा कार्रवाई किया गया, यह मैं जानना चाहता हूँ । यह गलत बयानी है और गलत बयान देने वाले, गलत उत्तर बनाने वाले पदाधिकारी पर आप कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: निश्चित कार्रवाई होगी । आप कृपा कर के हमको वह दे दीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1833 (डॉ0 राजेश कुमार)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संग्रामपुर प्रखंड में दुबौली ढ़ाला के पास एन.एच. 28 से चम्पारण तटबंध (कि0मी0-116) होते हुए संग्रामपुर के पास एस.एच. 74 को जाने वाली सड़क के बीच में चम्पारण तटबंध (कि0मी0-101) के टॉप पर ब्रीक सोलिंग किया हुआ है । नदियों पर निर्मित तटबंध के टॉप का उपयोग बाढ़ अवधि में तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के परिवहन हेतु किया जाता है । यह आम रास्ता नहीं है । वर्त्तमान में सड़क का पक्कीकरण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है । यदि संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जायेगा तो जल संसाधन विभाग उपलब्ध करा देगा ।

डॉ0 राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कि बैठे बैठे विधान-सभा में यहीं से सारा मंत्रालय चलेगा, क्या यह सही बात है ?

अध्यक्ष: क्या ?

डॉ0 राजेश कुमार: बैठे बैठे, विधान-सभा में यहीं बैठकर के पूरे बिहार का मंत्रालय चला दिया जाय, यह सही बात है ?

अध्यक्ष: विधान-सभा में तो बैठकर ही काम होता है ।

डॉ0 राजेश कुमार: बैठकर करते हैं तो वहीं पर आधा पार्ट का पक्कीकरण हुआ है और आधा कह रहे हैं कि इसके संबंध में बनाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, क्या यह सही बात है ?

अध्यक्ष: आप पूरक क्या पूछना चाहते हैं ?

डॉ0 राजेश कुमार: मैं पूछना चाहता हूँ ,वह जो तटबंध है उसमें एक तरफ पक्की सड़क बना है ..

अध्यक्ष: तो वह पक्कीकरण किसके द्वारा कराया गया है ?

डॉ0 राजेश कुमार: इस विभाग के द्वारा ही हुआ है ।

अध्यक्ष: जल संसाधन विभाग से?

डॉ0 राजेश कुमार: जी ।

अध्यक्ष: इसको दिखवा लीजिये।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1834 (श्री मिथिलेश तिवारी)

अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या- 1835 (श्री नरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है । सिंहमा करारी से बरारी पथ- इस पथ की लम्बाई 1.6 कि0मी0 है जो पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत स्वीकृत है । इस पथ के निर्माण हेतु 231.81 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । पुन: सफापुर से दरियापुर मथार होते हुए कासीमपुर तक पथ- इस पथ की लम्बाई 6.16 कि0मी0 है जो पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत स्वीकृत है । इस पथ के निर्माण हेतु 380.48 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । निविदा की प्रक्रिया पूरी कर उपरोक्त दोनों पथों का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष जी, मंत्री जी से सिर्फ ये आग्रह करेंगे जो सिंहमा करारी बरारी सड़क है वह 1991 से बन ही रहा है और सफापुर दरियापुर, मथार दियारा का जो सड़क है वह 7 वर्ष से बन रहा है तो मेरा आग्रह होगा कि स्वयं ये इन दोनों पथ की निगरानी कर निविदा कराकर के कार्य आवंटन करा दें ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1836(श्री रामचन्द्र सहनी)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया में प्रश्नगत बंगरी नदी के दायां बांध में बाढ़ अवधि 2017 में क्षरण हुआ था जिसकी मरम्मति बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर तत्काल कर ली गयी एवं वर्त्तमान में बांध सुरक्षित है । यह आम रास्ता नहीं है । नदियों पर निर्मित तटबंध के टॉप का उपयोग बाढ़ अवधि में तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के परिवहन हेतु किया जाता है । सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है । यदि संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा जायेगा तो जल संसाधन विभाग उपलब्ध करा देगा ।

श्री रामचन्द्र सहनी: महोदय, प्रतिवर्ष बंगरी में बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद, बाढ़ जब आती है तो उसके बाद मरम्मति का काम अफरातफरी में किया जाता है तबतक काफी क्षति हो गयी होती रहती है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या जून के पहले जो अभी क्षतिग्रस्त बांध है, उसकी मरम्मति करवायेंगे ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, मैंने अभी कहा कि जो क्षतिग्रस्त भाग है उसकी मरम्मति बाढ़ अवधि में ही करा ली गयी थी लेकिन फिर भी माननीय सदस्य

अगर कह रहे हैं तो फिर से हम इसको दिखवा लेंगे उसका जो क्षतिग्रस्त भाग है उसमें जो भी और काम करना होगा, वह बाढ़ अवधि 2018 के पहले करा लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1837(श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री रजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । बसैठी माईनर की लम्बाई 6.20 आर0डी0 है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2017 के अगस्त माह में आई अप्रत्याशित बाढ़/वर्षा के कारण बसैठी माईनर के दोनों तरफ का बांध जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया जिसकी मरम्मति करा ली गयी है । बाढ़ का पानी नहर में आ जाने से कहीं कहीं नहर तल में मिट्टी जमा हो गयी है । नहर तल से मिट्टी उड़ाही का कार्य 25.3.2018 तक करा लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1838(श्री विनय बिहारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: यह स्थानांतरित है, पंचायती राज विभाग में ।

अध्यक्ष: पंचायती राज को स्थानांतरित ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1839(श्रीमती प्रेमा चौधरी)

अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या- 1840(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या- 1841(श्री सुदामा प्रसाद)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, स्वीकारात्मक है । भोजपुर जिला अन्तर्गत तरारी प्रखंड के जेठवार से कोशडिहरा तक जाने वाली सड़क कच्ची है । जेठवार ग्राम को पीरो से करथ आर0सी0डी0 पथ द्वारा सम्पर्कता प्राप्त है तथा कोशिडिहरा ग्राम को टी0-04 देहंदा पीरो से विहटा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । प्रश्न में दोनों वर्णित बसावटों का एकल सम्पर्कता प्राप्त है । अतएव प्रश्नाधीन पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1842(श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री: स्वीकारात्मक है । एन0एच0ए0आई0 द्वारा सूचित किया गया है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मुशहरी प्रखंड में डुमरी से परमानंदपुर के बीच फोर लेन में पटना जाने वाली जर्जर पथ जो मुजफ्फरपुर बाईपास का हिस्सा है । निर्माणधीन मुजफ्फरपुर बाईपास में हितबद्ध भू-धारियों द्वारा भू-अर्जन मुआवजा से असंतुष्ट होकर कार्य बाधित कर दिया गया है । संबंधित समस्या के समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर कार्रवाई की जा रही है । भू-अर्जन मुआवजा से संबंधित समस्या के समाधान के पश्चात् निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

टर्न–7/मधुप/21.03.2018

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, भू–अर्जन वाला मामला अपनी जगह पर हो जायेगा लेकिन मुजफ्फरपुर शहर से गोबरसही चौक से पटना आने के क्रम में, माननीय मंत्री जी भी गये थे, मुजफ्फरपुर जाते रहते हैं, बीच में इतना प्रमुख सड़क है, इतना जर्जर हो गया है, दोनों तरफ से रोड बन गया है, बीच से जो रास्ता आता है, इतना जर्जर है कि हमेशा उस जगह छिना–झपटी होता है, मोटा–मोटी उत्तर बिहार से जितने विधायक आते हैं, सभी लोग उसको देखते होंगे, गोबरसही चौक डुमरी होते हुये । उसको किसी भी योजना से बनवा दिया जाय, माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, कौन–सी सड़क कह रहे हैं ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : वह सड़क बीच में जो जर्जर है ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : गोबरसही चौक से कहाँ ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : गोबरसही चौक से सकरी की तरफ जो आते हैं, बीच मेन रोड पर ही है, बहुत ज्यादा जर्जर है ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : मेन रोड जो बाइपास जहाँ से बनता है ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : जी ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, इनका प्रश्न मुजफ्फरपुर में बाइपास का था लेकिन यह जो पथांश ये कह रहे हैं, हमने एन0एच0ए0आई0 से बात किया है । ये ठीक कह रहे हैं, वह पथांश बीच में छूट गया, हमलोगों ने एन0एच0ए0आई0 से बात किया है और जब माननीय मंत्री यहाँ आये थे तो उनसे भी हमलोगों ने आग्रह किया है । एन0एच0ए0आई0 सहमत हो गया है, उस पथांश को लेकर उसके निर्माण का कार्य किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 21 मार्च, 2018 के लिये माननीय सदस्य सर्वश्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री आलोक कुमार मेहता से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

दूसरा, सर्वश्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री अशोक कुमार(208), श्री रामविशुन सिंह और श्री मो0 नवाज आलम से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आप ही लोगों का शून्यकाल भी है ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, बहुत ही गम्भीर सवाल को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है ।

अध्यक्ष : आप जब भी उठाते हैं, गम्भीर ही सवाल उठाते हैं ।

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय....

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, सुना जाय । आज के 'हिन्दुस्तान' अखबार में पटना जिला संबंधी.... महोदय, सुना जाय । इन्दिरा आवास के निर्माण में बड़े पैमाने पर कागजी पैसे निकाल लिये गये । कुछ ऐसी योजनाएँ हैं जो गरीब से जुड़े हुये हैं और सवाल यह उठता है कि डी0डी0सी0 ने साफ तौर पर कहा कि अनियमितता हुई है, चूंकि राज्य का पैसा है, वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, बड़े पैमाने पर 5 हजार करोड़ से उपर की धन राशि है....

अध्यक्ष : शून्यकाल । श्री हरिशंकर यादव । (व्यवधान) क्या है आपका ?

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है । यह एक साजिश के तहत उर्दू को मिटाने की कोशिश की जा रही है । महोदय, 1981 में उर्दू को दूसरी भाषा.....

अध्यक्ष : अब शून्यकाल पढ़ने दीजिये । श्री हरिशंकर यादव जी, अपना शून्यकाल पढ़िये ।

शून्यकाल

श्री हरिशंकर यादव : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर प्रखण्ड के ग्राम खुजवां में स्वास्थ्य उप-केन्द्र जिसका भवन आजादी से पूर्व का है, जो काफी जर्जर है, तथा डॉक्टर एवं एम्बुलेंस नहीं रहने से ग्रामीणों को परेशानी होती है ।

उक्त स्वास्थ्य उप-केन्द्र के जीर्णोद्धार एवं सुचारू रूप से संचालन की माँग करता हूँ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, सासाराम में कमला कुमारी, सहायक शिक्षिका को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना के पत्रांक-33/17 दिनांक-06.03.2018 के आदेशानुसार प्रधानाध्यापक का प्रभार लेना था, जो अभी तक नहीं मिला है ।

सरकार से माँग करते हैं कि उक्त शिक्षिका को प्रभार दिलावें ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया के मानसी प्रखण्ड कार्यालय विगत कई वर्षों से पंचायत भवन में चल रहा है । प्रखण्ड कार्यालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण सरकारी कार्यों का निष्पादन बाधित होता है ।

अतएव मैं मानसी प्रखण्ड का अपना प्रखण्ड कार्यालय बनवाने की माँग करती हूँ।

श्री अमीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी बैरगनियाँ आदम बाँध से बैरगनियाँ जानेवाली सड़क टूट गया है । मंगलदीप पेट्रोल पम्प एवं बैरगनियाँ बाजार समिति के पास पुल नहीं होने के कारण डायवर्सन से आवागमन करने से दुर्घटनायें होती हैं । जनहित में उक्त सड़क का जीर्णोद्धार एवं शीघ्र पुल का निर्माण करायी जाय ।

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : अभी आप बैठिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड के शेखपुरा से नीमा तक PMGSY से निर्मित सड़क में मोहब्बतपुर के पास बुढ़ी नदी में पुल नहीं रहने से दर्जनों गाँव के लोगों को काफी कठिनाई होती है ।

जनहित में अविलम्ब मोहब्बतपुर के पास बूढ़ी नदी में पुल निर्माण करायी जाय ।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी शहर में वाहनों के दबाव के कारण प्रत्येक दिन जाम रहता है । स्कूली बच्चे, मरीज बिलबिलाते रहते हैं । वर्षों से सकरी से सौराठ तक बाईपास के निर्माण की माँग की जा रही है ।

अत: अविलम्ब सकरी से सौराठ तक बाईपास का निर्माण कराया जाय ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के बरौली विद्युत S.D.O. द्वारा स्वर्गीय इमाम अंसारी वल्द नत्थू मियाँ जाफर टोला निवासी से लाईनमैन का काम लिया जा रहा था । स्वर्गीय इमाम दिनांक 17.06.2017 को लाईन काटकर फॉल्ट दूर कर रहे थे, किसी ने लाईन चालू कर दिया और इमाम अंसारी की स्थल पर मृत्यु हो गई ।

अत: मैं सरकार से स्वर्गीय इमाम के परिजनों को मुआवजा की माँग करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धी विधान सभा के तुरकौलिया प्रखण्ड के मथुरापुर पंचायत में अमवा ग्राम बन्ती राय के घर से पिच रोड से मध्य विद्यालय अमवा होते हुए पकड़ी चौक जाने वाली सड़क कच्ची है ।

अत: उक्त सड़क को जनहित में बनाने हेतु मैं सरकार से माँग करता हूँ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा नूरसराय M.D.R. पथ से लहराडार मोड़ से कलियाचक भटबिगहा मकनपुर के रास्ते लठुआरी होते हुए फतेहपुर को पार कर N.H.110 एकंगरसराय बिहारशरीफ पथ को जोड़ने वाली आर0डब्लू0डी0 पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आपको बैठने के लिये कह दिया तो क्यों अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं !

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, दालकोला पूर्णिया के बीच बंद किए गए वाणिज्य-कर चेकपोस्ट पर परिवहन विभाग द्वारा ओभर लोडिंग के नाम पर एन0एच0 पर चलने वाले वाहनों से अवैध वसूली की जाती है ।

अत: मैं सरकार से अवैध वसूली पर रोक एवं इसमें संलिप्त अधिकारी पर कार्रवाई करने की माँग करता हूँ ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, सुलतानगंज प्रखंड (भागलपुर) के अन्तर्गत गनगनिया से मंझली तक जमींदारी बांध गत बाढ़ में कटावग्रस्त हो गया है ।

अत: जानमाल एवं बांध की सुरक्षा के लिए उपरोक्त बांध में मंझली गांव की ओर से कटावरोधी गार्डवॉल अतिशीघ्र निर्माण हेतु मैं सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल अरवल में हड्डी रोग के डॉक्टर व सर्जन के अभाव में मरीजों को भारी आर्थिक व शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः अरवल सदर अस्पताल में चिकित्सक व सर्जन की बहाली अविलम्ब की जाए ।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला के पीरी बाजार थाना के कांड संख्या 79/2017 को गोपाल सहाय की हत्या में आज तक S.P. लखीसराय द्वारा अभियुक्त को बचाने के लिए सूचक पर दबाव दिया जा रहा है जबकि सूचक सभी अभियुक्त का नाम बता चुका है ।

अतः सरकार से माँग है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र की जाय ।

टर्न–8/आजाद/21.03.2018

श्री मो0 नवाज आलम : भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा नगर निगम के द्वारा एल0ई0डी0 लाईट हर पोल पर लगाने का कार्य प्राक्कलन के विरूद्ध किया जा रहा है । एल0ई0डी0 लाईट, पाईप एवं तार नकली लगाये जा रहे हैं । मैं सदन के माध्यम से शीघ्र जॉच की मांग करता हूँ ।

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन ली जाय ।

अध्यक्ष : अगर आप बैठियेगा तो सुनेंगे, अगर फिर खड़े होंगे तो कभी नहीं सुनेंगे । आपको कह रहे हैं बैठिए अभी । अगर आपकी तरह हम बात सुनने लगे तो जो कार्य सूचीबद्ध है, वह नहीं करेंगे क्या ?

माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, सदन में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर एवं आश्वासनों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है ।

अतएव मैं माननीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूँ कि सरकार के उत्तरों एवं आश्वासनों के समयबद्ध निष्पादन हेतु सदन की अनुश्रवण समिति बनायी जाय ।

श्री जनार्दन मांझी : अध्यक्ष महोदय, बाँका जिला में अपर समाहर्त्ता कार्यालय में प्रतिनियुक्त श्री दिलीप कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक कई वर्षों से एक ही कार्यालय में प्रतिनियुक्त हैं । कार्यालय में कार्य ठीक ढंग से नहीं करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं ।

अतएव श्री दिलीप कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक को शीघ्र दूसरे स्थान पर प्रतिनियुक्त करावें ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बारून–दाऊदनगर रोड से चिरैला वाया धर्मपुरा, जी0टी0रोड से भुआपुर वाया चिरैला, दुधार से जम्होर वाया अमौना–काश, इटवाँ से सलैया, नवीनगर लेम्बोखाप से

सलैया वाया बड़वान, मझियांव से माली वाया बैरिया,चंद्रगढ़ से गजना श्रेणी-1 जर्जर सड़कों का शीघ्र निर्माण करावें ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, भोजपुर जिला के बिहिया थानान्तर्गत मनियारा ग्राम के स्व0 हरेराम सिंह को दिनांक 22.6.2017 को बिहिया अस्पताल में हरदेव यादव, शंकर यादव, रामलाल वगैरह द्वारा की गई हत्या जिसका बिहिया कांड सं0-203/17 है, परन्तु नामजद अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई ।

अतएव सरकार अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार करें ।

श्री अशोक कुमार(क्षेत्र सं0-208) : महोदय, रोहतास,सासाराम में स्ट्रोमडेनेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ने 05.12.2017 को किया, इसी कार्य का शिलान्यास दिनांक 14.3.18 को सासाराम नगर परिषद् कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पुनः करके माननीय मुख्यमंत्री का अपमान एवं प्रोटोकाल को उल्लंघन किया है ।

अतः इस अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के बलिया वेलौन थाना क्षेत्र के विधयपुर गांव में रोहित शर्मा की दिनांक 19.3.2018 को हत्या कर दी गई है । घटनास्थल पर हत्यारे की मोटरसाईकिल भी बरामद हुई है ।

अतः सरकार हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करें तथा मृतक के परिजनों को जल्द मुआवजा दे ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, योगापट्टी प्रखंड के पंचायत ढ़ाढ़वा, नवलपुर, जरलपुर, बलुवां भवानीपुर, चौमुखा व सिसवा मंगलपुर में आये चक्रवातीय तुफान से लगभग 5824 परिवार प्रभावित हुए । आपदा विभाग द्वारा एक करोड़ की राशि जिला में आकर वापस हो गई ।

मैं सदन के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि यह राशि पीड़ितों को प्राप्त हो ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सत्र समाप्त होने पर भी पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली । पुस्तकों के बदले उसका मूल्य खाते में हस्तांतरण की बात हो रही है । पुस्तकें ही नहीं तो पैसे का क्या होगा ? छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, महात्मा गॉधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभाग 20 है, जबकि मकान के अभाव में 15 विभाग ही संचालित है, जिससे बिहार के छात्र अन्य स्वीकृत विषयों की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं ।

अतः सरकार शीघ्र नया भवन उपलब्ध करावे ताकि स्वीकृत सभी विषयों की पढ़ाई का लाभ छात्रों को मिल सके ।

डॉ0 राजेश कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण के केसरिया प्रखंड के खापगोपालपुर, ताजपुर में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया के अधीन रोड बन रहा है, जो संवेदक सुमन्त कुमार

मिश्र एवं शिवम कुमार द्वारा गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है । हम चाहेंगे कि सरकार स्वयं जॉच करें ।

अध्यक्ष : बोलिये गुलाब जी, कहां गये ?

श्री समीर कुमार महासेठ : वे मिस कर गये, वे सोचे कि अध्यक्ष महोदय हमको नहीं समय देंगे ।

अध्यक्ष : उनको हमने कहा कि अभी सूचीबद्ध कार्यक्रम खत्म होगा, फिर बतायेंगे । ठीक है ।

अब ध्यानाकर्षण लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री मनीष कुमार, रामप्रीत पासवान एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग/वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री मनीष कुमार द्वारा प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित योजनाओं से संबंधित बैंक खातों को खोलने में वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

यह सही नहीं है कि राष्ट्रीय बैंकों की तुलना में निजी बैंक कम ब्याज देती है। उदाहरणस्वरूप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, का क्रमशः ब्याज दर 4 प्रतिशत एवं 3.5 प्रतिशत है, जबकि कोटेक महेन्द्रा बैंक/ यश बैंक, जो निजी बैंक है, जिसका ब्याज दर 6 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक से अधिक है । इस प्रकार निजी बैंक में भी राशि रखने पर सरकार को राजस्व की हानि नहीं होती है ।

श्री मनीष कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के नियम के अनुसार जो छूट दी गई है, प्रावधान दी गई कि प्राइवेट बैंकों में भी पैसा रखा जा सकता है तो प्राइवेट बैंकों के चयन का क्या आधार है, क्या मापदंड है ? मेरे जानकारी में कई ऐसे प्राइवेट बैंक हैं, जो ज्यादा ब्याज दर मुहैय्या कराते हैं । क्यों नहीं सरकार जो सबसे ज्यादा ब्याज दर मुहैय्या कराती है, प्रोफिट देती है, उसपर सरकार क्यों नहीं विचार रखती है कि अपने विभागीय पैसे को उस बैंकों में जमा करावें, क्या सरकार इसपर विचार करती है, मैं यह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि प्राइवेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, उसमें पैसा रखने में क्या-क्या ब्याज दर मिलता है, उसको मैंने स्पष्ट किया और दो बैंकों के बारे में हमने कहा है कि कोटेक महेन्द्रा बैंक और यश बैंक में 6 प्रतिशत सूद की राशि दी जाती है और हमारा जो खाता है ग्रामीण विकास से संबंधित जो योजनायें चल रही है, जो खाते हैं महोदय, वह राष्ट्रीयकृत बैंक में भी है

और निजी बैंक में भी है । महोदय, मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बैंक का खाता का संचालन हो रहा है, राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में भी पैसा जमा है और राशि की कोई हानि नहीं हो रही है ।

श्री मनीष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरूआत में ही प्रथम पूरक में कहा कि अगर ज्यादा ब्याज दर के आधार पर बैंकों का चयन करना है तो मेरी जानकारी में और भी कई ऐसे छोटे-छोटे बैंक हैं जो गिनती में नहीं हैं लेकिन वे ब्याज दर ज्यादे देते हैं । लेकिन आये दिन घोटाले की संभावनाये बढ़ रही है छोटे-छोटे बैंकों के द्वारा तो सरकार या विभाग क्यों ऐसे बैंकों का चयन करती है जो आने वाले दिनों में घोटाले की संभावना बढ़ सकती है ? मेरा आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि अगर राष्ट्रीयकृत बैंक जिनका कि देश हित और राज्य हित में सामाजिक सरोकार से कई वास्ते हैं, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या सामाजिक और बहुत सारी डेवलपमेंटों में उनकी योगदान रहती है । क्यों नहीं सरकार चिन्हित करे कि राष्ट्रीयकृत बैंक में ही पैसे जमा कराये जायं ? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ महोदय आज से कुछ वर्ष पहले इसी बिहार में प्राइवेट बैंक के ही कारण एक बाढ़ राहत घोटाला हुआ था, जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और उस बैंक का पैसा चपत हो गया था । मेरा यह कहना है अध्यक्ष महोदय कि सरकार के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों की जिसकी कि बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है सामाजिक सरोकार में, उससे वास्ता रखा जाय, प्राइवेट बैंकों की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत बैंक जिसका योगदान है, उसपर भरोसा रखते हुए सरकारी कोष की पैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही जमा रखा जाय, मेरा यही कहना है ।

अध्यक्ष : ठीक ।

टर्न-9/अंजनी/दि0 21.03.18

सर्वश्री विनय वर्मा, वीरेन्द्र कुमार, समीर कुमार महासेठ एवं फराज फातमी, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (गृह विभाग) की ओर वे वक्तव्य

अध्यक्ष : श्री विनय वर्मा, सूचना पढ़ें । श्री वीरेन्द्र कुमार । श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, 11 मार्च, 2018 को राज्य के 708 केन्द्रों पर दारोगा भर्त्ती हेतु Bihar Police Subordinate Services Commission(BPSSC) द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी । परीक्षा से पहले ही इस परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया । परीक्षा का प्रश्नोत्तर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा 16.03.2018 को पटना में प्रदर्शन किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा बिना आंसू गैस के गोले या वाटर कैनन का

इस्तेमाल किये बेरहमी से सीधे लाठी चार्ज कर दिया गया, जिससे दर्जनों अभ्यर्थी घायल हो गये । लाठी चार्ज के दौरान पत्रकारों को भी पीटा गया, जिसकी लिखित शिकायत पत्रकारों ने पुलिस महानिदेशक से की है ।

अतः BPSSC द्वारा आयोजित 11.03.2018 की परीक्षा को रद्द करने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों एवं पत्रकारों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज की जांच कर कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 11 मार्च, 2018 को राज्य के 34 जिले के 708 केन्द्रों पर एक पाली एवं पटना जिले के 33 केन्द्रों पर द्वितीय पाली में दारोगा भर्त्ती हेतु Bihar Police Subordinate Services Commission (BPSSC) द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी । परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना आयोग को नहीं है, परीक्षा की तिथि को आयोग कार्यालय में प्रातः 08 बजे से रात्रि 20.00 बजे तक कार्यरत कंट्रोल रूम में प्रश्न पत्र लीक होने की आधिकारिक सूचना किसी भी जिला से प्राप्त नहीं हुई थी और नहीं आज तक किसी भी जिला से ऐसी सूचना आयोग को प्राप्त हुई है ।

दिनांक 16.03.2018 समय करीब 01.00 बजे लगभग 500 दारोगा अभ्यर्थियों ने श्री पुनपुन सिंह के नेतृत्व में अपनी कतिपय मांगों को लेकर एन0आई0टी0 मोड़ से अशोक राज पथ होते हुए कारगिल चौक पर रैली निकाला था । उक्त स्थान पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा दारोगा अभ्यर्थियों को समझाया गया कि सरकारी अनुमति के बिना प्रदर्शन व जुलुस निकालना गैर कानूनी है । प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गये एवं आवागमन को बाधित कर दिये । प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा यातायात प्रभावित न करने हेतु अनुरोध करने के बाद प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गये । आने-जाने वालों लोगों एवं पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों पर ईंट पत्थर चलाने लगे, जिससे कई लोग जख्मी हो गये एवं गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी । कुछ प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया एवं कुछ गिरफ्तारी के भय से भागने में सफल रहे । पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया है । कोई भी प्रदर्शनकारी जख्मी नहीं हुए हैं ।

किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रकार की शिकायत थाना में नहीं की गयी है। किसी भी पत्रकार को किसी प्रकार की चोट नहीं आयी है । दिनांक 16.03.2018 को घटित घटना के संबंध में किसी भी पत्रकार द्वारा लिखित शिकायत पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना कार्यालय में प्राप्त नहीं है ।

उक्त संबंध में गांधी मैदान थाना दैनिकी सनहा संख्या-524, दिनांक 16.03. 2018 अंकित किया गया है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में किसी कार्रवाई की आवश्यकताा नहीं है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है, चूंकि क्वेश्चन वायरल हुआ, वायरल हुआ प्रश्नोत्तर और परीक्षा में पूछा गया प्रश्नोत्तर क्या है, क्या मंत्री जी बतायेंगे इस सदन को? दोनों में क्या अंतर है ?

अध्यक्ष : क्या ?

श्री समीर कुमार महासेठ : आपके पास क्या सूचना आयी है, जो वायरल हुआ ? चूंकि चार दिन, पांच दिन के बाद हुआ, पांच दिन के बाद लोग आये रोड पर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक तो यह है कि इसके बारे में सरकार क्या बताना चाहती है ? वायरल का मतलब, माननीय मंत्री जी यह है कि परीक्षा से पहले ही निकला जो वायरल हो चुका है और दूसरा यह कि प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछा गया तो प्रश्नोत्तर का क्या है, दोनों में जो डिफरेंस निकला, उसके बारे में माननीय मंत्री जी को क्या ज्ञात है, वह पहले माननीय मंत्री जी बता दें ?

अध्यक्ष : क्या पूछ रहे हैं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, क्वेश्चन जो पहले वायरल निकला, वह सही क्वेश्चन पेपर है या नकली क्वेश्चन पेपर है ? जो सोशल मीडिया में वायरल क्वेश्चन है और जो दिखा रहे हैं, उसमें अन्तर क्या है ? हमलोगों ने जो दिखाया क्वेश्चन पेपर, वह वही क्वेश्चन पेपर है, जिसकी परीक्षा ली गयी ?

अध्यक्ष : वह तो आप उपलब्ध करा दीजियेगा, तभी न बतायेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : कहीं-न-कहीं यह पूरे बिहार में हुआ है, 38 जिला में, केवल एक जिला के लोग.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया कि प्रश्न या प्रश्नोत्तर लीक होने की सूचना सरकार को नहीं है, अब आपके पास जो प्रश्न वायरल हुए थे, उसकी प्रति आपके पास है और आप पूछ रहे हैं कि यह सही है कि नहीं है तो ये आप सरकार को उपलब्ध कराइयेगा तब न सरकार जवाब देगी ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । आप ध्यानाकर्षण पढ़ लें, हम ध्यानाकर्षण के आधार पर ही यह प्रश्न पूछ रहे हैं । ध्यानाकर्षण में स्पष्ट है कि यह वायरल हुआ है तो इसका मतलब है कि सरकार सही जवाब देने में सक्षम नहीं है ?

अध्यक्ष : सरकार ने तो सारा जवाब दिया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.....

अध्यक्ष : सरकार ने तो कहा है कि नहीं हुआ है, वही तो हम कह रहे हैं । आपके हाथ में वायरल हुए प्रश्न या प्रश्नोत्तर की प्रति है और आप पूछ रहे हैं कि यह सही है कि नहीं तो आप यह उपलब्ध कराइयेगा तब न सरकार बतायेगी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : ठीक है, हम उपलब्ध करा देते हैं । अब हम दूसरा पूरक पूछना चाहेंगे । अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : दूसरा पूरक पूछने दीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, प्रदर्शनकारी को तितर-बितर करने के लिए नियमानुसार यह आवश्यक है कि पहले आंसू गैस या गोला, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाय जो आपने कहा कि बिना सूचना के ही वे लोग आ गये । अंतिम उपाय के तौर पर लाठी चार्ज एवं फायरिंग निर्धारित है तो क्या सरकार बतायेगी कि कितने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन इस्तेमाल किये गये इन बच्चों पर ?

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि आंसू गोले छोड़े गये हैं ? सरकार ने तो कहा नहीं है । माननीय मंत्री जी, आप अपने जवाब को फिर पढ़ दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि कोई वहां पर लाठी चार्ज नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : वहां पर ढेला-ढुकुर हुआ है, उसकी चर्चा की गयी है, उसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं, यह बात सत्य है महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, लाठी चार्ज के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया, पत्रकार भी पिटाये.....

अध्यक्ष : आप सुन लीजिए न । आप पूछ रहे हैं कि लाठी चार्ज के दौरान क्या हुआ और सरकार कह रही है कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं तो उस दौरान क्या हुआ तो क्या बतायेगी सरकार...

(व्यवधान)

और सरकार कह रही है कि किसी पत्रकार को कोई शिकायत नहीं है । समीर जी, आपके पास किसी पत्रकार की शिकायत है क्या ?

श्री समीर कुमार महासेठ : है ।

अध्यक्ष : आप दे दीजिए ।

सर्वश्री अरूण कुमार सिन्हा, विजय कुमार खेमका एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का सत्र नियमित करने के उद्देश्य से पिछले तीन बार में 53वीं से 55वीं, 56वीं से 59वीं तथा 60वीं से 62वीं सत्र के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है।

इसके कारण लाखों अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने से इन्हें आवेदन देने से वंचित रहना पड़ा है । 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 8 वर्षों की छूट देकर इसमें बैठने का अवसर दिया जाय तो यह उनके लिए न्यायसंगत होगा । उत्तरप्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा, 2017 में, झारखंड, छत्तीसगढ़ प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा तथा यू0पी0एस0सी0 की परीक्षा में भी पूर्व में अधिकतम उम्र सीमा की छूट देकर अभ्यर्थियों को बैठने का मौका दिया गया है ।

अतः बी0पी0एस0सी0 की एकीकृत सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावित अभ्यर्थियों को निकट भविष्य में होने वाली 63वीं सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न-10/शंभु/21.03.18

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 8 वर्षों की छूट देकर इसमें बैठने का अवसर दिये जाने से संबंधित है । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राज्य के अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है । विभिन्न कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा तक इस परीक्षा के लिए कई अवसरों का उपयोग कर सकते हैं । साथ ही बिहार लोक सेवा अयोग द्वारा कई वर्षों के लिए सांयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के कारण अभ्यर्थियों को एक मुश्त कई वर्षें की रिक्तियों के विरूद्ध एक ही परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे परीक्षार्थियों को एक ही बार में अपेक्षाकृत अधिक रिक्तियां उपलब्ध हुई है और अभ्यर्थियों द्वारा इस सुविधा का उपभोग किया गया है । इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गयी उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह भी व्यवस्था की गयी है कि कोई अभ्यर्थी यदि किसी एक वर्ष की रिक्ति के कट-ऑफ-डेट के अधीन परीक्षा के लिए पात्र हों, तो वह संयुक्त परीक्षा की संपूर्ण रिक्तियों के लिए पात्र हो जायें । जहां तक उम्र सीमा में वृद्धि के आधार पर लाभ का प्रश्न है, इस संदर्भ में आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गा है कि जो बैच जिस वर्ष का है उसका कट-ऑफ-डेट उसी वर्ष के अनुसार रखा जाय । इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है :-

कट ऑफ डेट	बैच	अभ्युक्ति
01.08.2014	60वीं/2014	2 वर्षों का अतिरिक्त लाभ
01.08.2015	61वीं/2015	1 वर्ष का अतिरिक्त लाभ
01.08.2016	62वीं/2016	

उपर्युक्त व्यवस्था अभ्यर्थियों के हित में थी तथा समुचित प्रयास किया गया कि आयु में वृद्धि के कारण अभ्यर्थियों को क्षति नहीं हो पाये । उपर्युक्त अतिरिक्त तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के परिपत्र सं0-212, दिनांक 23.01.2006 में यह प्रावधान किया गया है कि ससमय विज्ञापन नहीं होने के कारण अधिकतम उम्र सीमाा पार कर जानेवाले अभ्यर्थियों के लिए कालक्रम में अगली परीक्षा हेतु विज्ञापन निकालते समय उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य होनेवाले अभ्यर्थियों को ऐसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा तथा उम्र के आधार पर अयोग्य होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि 63वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 18.12.2017 पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है । नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है । अत: इस अवधि में किसी प्रकार का संशोधन नियमानुकूल नहीं होगा । उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 63वीं सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही बात इससे संबंधित कहना है कि अगर यह सब परीक्षा अलग-अलग आयोजित की जाती तो 15 बार परीक्षार्थियों को अवसर मिलता और उसमें अधिक से अधिक उनके सफल होने की गुंजाइश रहती । इस सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि अगली बार वे इसका अवसर देंगे तो इस सन्दर्भ में इसको और स्पष्ट करें कि क्या अगली बार जो सब परीक्षार्थी तीन बार या चार बार से भाग ले रहे हैं, उन सबको यह अवसर मिलेगा ? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि अगली बार हम अवसर देंगे तो उसको ये स्पष्ट करें कि क्या इन अभ्यर्थियों को जो वंचित रह गये या वंचित हो रहे हैं 63वीं बी0पी0एस0सी0 के परीक्षा से उनको क्या उसमें अवसर मिलेगा अन्यथा उनके साथ यह न्यायसंगत नहीं होगा क्योंकि यह उनकी गलती नहीं है । उनको 15 बार अवसर मिलता, एक बार भी अवसर नहीं दिया और इस बार आप परीक्षा ले रहे हैं । इसलिए मैं सरकार से पुन: विचार करने का अनुरोध करता हूँ अगर नहीं विचार करती है तो क्यों ?

अध्यक्ष : विचार कीजिए ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय अरूण बाबू का इतना विस्तार से हमने उत्तर दिया है उसके बाद भी अगर उनको पूरक पूछने का.....

अध्यक्ष : आपका उत्तर तो विस्तार से था ही पूरक भी कम विस्तार से नहीं था ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : इनके पूरक में जितनी भी शंका है इसमें सबका उत्तर समाहित है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/मधुप/21.03.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	- 59 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	- 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	- 2 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 2 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 1 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	- 2 मिनट
निर्दलीय	- 3 मिनट

माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 7,18,50,96,000/- (सात अरब अठारह करोड़ पचास लाख छियानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मॉग पर माननीय सदस्य श्री भोला यादव, श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री महबूब आलम एवं श्री ललित कुमार यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जो व्यापक हैं एवं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री भोला यादव का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव माननीय श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव करें - अनुपस्थित ।

श्री रामदेव राय - अनुपस्थित ।

श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस शीर्षक की मॉग 10/- रूपये से घटाई जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, सही मायने में यह डिपार्टमेंट पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जिस ढंग से अपने समय में जो काम करना चाहिये, अपने चीजों से भटक गया है । इसलिये मेरा कहना है कि अगर टारगेट कोई एक रहे, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक अवधारणा के हिसाब से हम कहीं भी चले जाते हैं, गॉव में गरीब-गुरबा हरेक लोग इससे जुड़े हुये हैं । अभी तक की स्थिति के हिसाब से उनको जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिये जिन चीजों को आगे आना चाहिये, नहीं आ पा रही है । मेरा मानना है कि अगर जिस प्रकार 17 देश बिहार को बुद्धिस्ट सर्किट के नाम पर जानता है, अगर एक जो गया का पेड़ बोधि वृक्ष को पूरे देश में इतना प्रचार करके इतना सम्मान करके ले जाया जाता है, हम अपने जगह पर अगर इस क्षेत्र में भी काम करते, हम कह सकते हैं कि मत्स्य पालन जहॉ पर अभी आप पूरे बिहार में देख रहे होंगे, जिस लाईन पर एक तरफ सरकार 5 साल के लिये मत्स्यजीवी लोगों का इलेक्शन करवाती है और उसको अधिकार 7 वर्षो के लिये दे देती है तो उसके कारण पूरे बिहार में झंझट लगा हुआ है । सरकार को चाहिये कि जब भी कभी कोई इलेक्शन कराते हैं तो मुख्य रूप से हम ऐसा इलेक्शन करावें ताकि दोनों एक-दूसरे का पूरक रहे ।

महोदय, हम यह मानते हैं कि पूरे मधुबनी कहीं न कहीं पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जलकर हमारे यहॉ है । बार-बार हमारा प्रश्न आते रहता है और सरकार से हम कहते हैं कि आप इन चीजों पर ध्यान दें । सिर्फ अगर हम आंध्रा की मछली का टारगेट ले लें कि बिहार में जितनी मछली आंध्रा से आती है, हम उनको रोककर अपना मधुबनी का या पूरे बिहार का मछली, इस चीज पर ही अगर हम ध्यान देते हैं, दूध पर, पशुपालक के लिये क्या-क्या आवश्यकता है, उसको अगर देते हैं तो हम तो देख रहे हैं कि अपने लक्ष्य से भटक गया है और लक्ष्य के भटकने के कारण हम उन चीजों को जो प्राप्ति करना चाहते हैं, नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं । इसलिये मेरा आग्रह होगा कि इस

डिपार्टमेंट का समुचित जहॉ पर हम मंत्री को सामने देखते हैं, माननीय मंत्री अपने-आप नहीं हैं, जहॉ उनको जवाब देना चाहिये खुद भी नहीं आये हैं, पता नहीं क्या कारण है।

(व्यवधान)

स्पष्ट नहीं है । हमारा यह कहना है कि जो सोच आपको रखना चाहिये, वह डिपार्टमेंट का नहीं है । जहॉ पर धरातल पर जिस चीज के लिये हम आपसे मॉग करते हैं वहॉ तक पहुँचा नहीं पाते हैं जबकि पूरे देश में यह कहा जाता है कि आपका यह सोच होना चाहिये, मछली पालन में भारत सरकार, सबसे कम आपको मार्जिन मनी देना है और सबसे ज्यादा फायदा आपको लेना है । जहॉ तक 10 परसेंट लगाकर 90 परसेंट आप फायदा उठा सकते हैं वहॉ आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं । हम कहीं भी देखते हैं कि जिस रेडियस में एक-एक हॉस्पीटल होना चाहिये जितने दायरे के अन्दर में, वहॉ नहीं है । आखिर क्या कारण है कि मधुबनी में डॉक्टर का, अगर आप मैक्सिमम डॉक्टर पर ध्यान दें, पूरे बिहार में पिछले 14 वर्षो से लगातार आपकी सरकार है, अब कोई एक-दो साल की सरकार नहीं रही, 14 साल से आप राज कर रहे हैं, अब आप और क्या अपेक्षा करते हैं ? किसको आपने सेटिसफाई किया है ? पशुपालक को सेटिसफाई किया है कि किसान को सेटिसफाइ किया है कि मछली पालक को सेटिसफाई किया है? यह आप देख लीजिये, एसेसमेंट कर लीजिये । हमारा कहॉ कहना है ? अगर हम गलत हैं तो कहिये । हम निश्चित तौर पर कहेंगे, जो भारत सरकार आपको देना चाहती है, भारत सरकार फिशरीज में कहती है sky is the limit जितना पैसा मॉगिये हम देने के लिये तैयार हैं लेकिन आपका कहीं पर आहर, कहीं पर पईन, कहीं उसकी सफाई का नहीं, कहीं पोखरा, पैसा आप दे ही नहीं रहे हैं सफाई में । आखिर खर्चा हो रहा है तो कहॉ जा रहा है ? बार-बार यह प्रश्न आता है कि अगर फिशरीज का सबसे ज्यादा पूरे बिहार में आप एसेस कर लें तो लगेगा कि मधुबनी में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा वहॉ के लोग रो रहे हैं । आखिर रो क्यों रहे हैं ? दरभंगा के लोग रो रहे हैं । संजय सरावगी जी का नाम लेंगे तो फिर कहेंगे कि आप मेरा नाम ले लेते हैं । मेरी तरफ ध्यान दे देते हैं इसलिये उनका ध्यान ले लेते हैं ।

(व्यवधान)

संजय भाई, निश्चित तौर पर आप देख लें, 12 साल से.....

अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिये । आपकी बारी भी आयेगी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, हरेक साल में रिनुअल होना चाहिये डॉक्टर का । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12 महीना में 10 ही महीना का उसको पैसा मिलता है । रिनुअल भी डॉक्टरों का सही समय पर नहीं होता है । कहने का मतलब एक जो संख्या बल होना चाहिये, उससे कम है । जो संख्या बल है, जो दिया जाता है उसको साल में दो महीना काम ही नहीं करना पड़ता है, हमको लगता है कि सरकार तो पैसा

बचा रही है । सरकार का टेन्डेंसी है पैसा हम कम खर्च करें इसीलिये 12 महीना का सैलेरी भी नहीं मिलता है, 10 ही महीना का सैलेरी मिलता है और समय पर उनका रिनुअल भी नहीं होता है । हमारा यह कहना है कि निश्चित तौर पर ध्यान दिया जाय और हम आग्रह करेंगे चूंकि सिर्फ कट-मोशन पर समर्थन करते हुये आगे के लिये चाहेंगे कि हमारी पार्टी से श्री आलोक मेहता जी इन बातों को रखें । धन्यवाद ।

श्री मेवा लाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के समर्थन में बोलने के लिये खड़े हुये हैं । महोदय, आज हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार सप्तक्रांति के लिये कटिबद्ध है और वह सप्तक्रांति की परिकल्पना की है । जहाँ पर अभी विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे ।

...क्रमशः ....

टर्न-12/अशोक/21.03.2018

श्री मेवा लाल चौधरी : क्रमशः ... आज हम उनकी बातों को डाटा से सब्सच्यूट करें महोदय, अगर हम तुलना करें 2011-12 में हमारे पशुपालन विभाग की स्थिति क्या थी, हमारा दूध का क्या प्रोडक्शन था, हमारी मछली की क्या प्रोडक्शन थी, और हमारा अंडे का क्या प्रोडक्शन था, तो बड़ा आश्चर्य होगा और हम इसे फिगर से बतलाना चाहेंगे । अध्यक्ष महोदय, हमने 2012-13 और 2016-17 के डाटा को बड़ा क्रिटक्ली एनेलाईज किया है, और हमने देखा है कि जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, जो दूध का प्रोडक्शन हुआ है, तकरीबन 22 परसेंट वृद्धि हुई है, जहां हमारा 64 लाख टन दूध हम 12-13 में पैदा करते थे आज हमलोग 87 लाख टन दूध पैदा करते हैं । महोदय, उसी तरह जहां हमारा अंडा का उत्पादन 2012-13 में मात्र 59 लाख था, आज हमलोग करोड़ो से ज्यादा पैदा कर रहे हैं । मछली की बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है मछली का उत्पादन मधुबनी जिला एवं दरभंगा जिला में सबसे ज्यादा होती है । अगर उसका फिगर देंखे अध्यक्ष महोदय, पिछले 2012-13 में जहां मछली का उत्पादन सिर्फ 4 लाख टन होता था, आज तकरीबन साढ़े पांच लाख टन मछली पैदा कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हम जब भी यह सारा जो एचिभमेंट हुआ है, यह जो प्रगति हुई है हमारे राज्य में यह सोची समझी परिकल्पना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जितने भी कार्यक्रम लागू किये गये हैं, जितने सारी स्कीम्स पूरे बिहार में ओभरऑल रूरल प्रोडक्शन में लागू किया गया है, उसी का परिणाम है । महोदय, हमलोग एक सप्त क्रांति का सपना देखे हुये हैं, जिसको हमलोग रेनबो रिवोल्यूशन कहते हैं हमलोग वहीं वह्राईट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, दूध उत्पादन की बात करते हैं, हमलोग फिश रिवोल्यूशन की

बात करते हैं, हमलोग उसको ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं और महोदय, आने वाले दिन में जो हमारी कृषि रोड मैप है, कृषि रोड मैप में हम ने अपने लक्ष्य को तय किया है और यह लक्ष्य जो आज हमारे 2016-17 में जो प्राप्ति है, उस लक्ष्य से हमलोग दुगना पैदा करने का लक्ष्य रखे हैं । जहां दूध की उत्पादन आज हमारा 87 लाख मैट्रिक टन है हमलोग इसके दुगना, तीनगुना दूध उत्पादन में अपना लक्ष्य रखे हुये हैं। महोदय इसके साथ साथ हमने महोदय इसी तरह मेरा कार्यक्रम कुक्कुट उत्पादन में है, अंडा के उत्पादन में है, मछली के उत्पादन में है । महोदय, एक-दो बातें हैं जो इस विभाग से जुड़ी हुई हैं और मेरा सुझाव भी होगा अपना, महोदय, अगर हम नेशनल एभरेज जिसको कहते हैं, अगर राष्ट्रीय औसत से अपनी गाय की उत्पादकता अगर हम तुलना करें तो हम अभी कम है महोदय और अगर हमारी गाय, जिसको हम क्रास-ब्रीड कहते हैं और जो स्ट्रीट ब्रीड होती है हमारी उत्पादकता महोदय, हम उत्पादकता की बात करते हैं आज हमारी बहुत कम है ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय, डा. अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया)

जहां नेशनल एभरेज 10 लिटर की है वहां हमारी क्रास ब्रीडर आज 6 लिटर दे रही है और जो कैट्ल ब्रीड है, स्ट्रीट ब्रीड है वह आज 3 लिटर दे रही है । महोदय, मेरा दो-तीन इसमें सुझाव है सरकार के लिए, यह उत्पादन, हम उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, उत्पादन तो बढ़ाई जा सकती है लेकिन इसके कंट्रास्ट में फिगर यदि आप देखेंगे तो हमारे जो कैट्ल पोपुलेशन है जो हमारे यहां गाय की पोपुलेशन है वह तकरीबन डेढ़ करोड़ है और दुर्भाग्यवश महोदय उस पोपुलेशन का आधा पोपुलेशन बिल्कुल ड्राई स्टेज में है, जो दूध नहीं देती है । महोदय, अगर भैंस का पोपुलेशन देखेंगे हमारे यहां तो तकरीबन 65 लाख है, उसका भी आधा परसेंटेज हमारे यहां दूध नहीं देती है । महोदय, एक सोची समझी रणनीति के तहत अगर हम यह सोचे कि हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यानी पर यूनिट एरिया का हमको मैक्सीमम प्रोफिटिब्लिटी लेनी है, उस स्टेज महोदय सिर्फ सरकार को मेरा एक सुझाव होगा कि या तो एक सेट ऑफ ब्रिडिंग रूल बनाये सरकार जो(व्यवधान) आंकड़ा सबके पास है माननीय सदस्य शक्ति जी, आप भी देखेंगे, और या तो महोदय हमलोग एक ब्रिडिंग स्ट्रेटजी बनायें, नहीं तो दूसरा महोदय उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमलोग उसको न्यूट्रिशनली सब्सच्यूट करें, न्यूट्रिशनली सब्सच्यूट करें, जहां महोदय, हमलोग जहां न्यूट्रिशन की बात करते हैं महोदय, हमारे यहां महोदय फौडर सेक्टर के बारे में अभी भी किसान उतने ज्यादा अवगत नहीं है, कितने तरह का फौडर, कितने तरह का ड्यूरेशन का फौडर हमलोग पैदा करें जिसके कारण किसान को अभी तक उतना ज्यादे इसके

बारे में जानकारी नहीं है । अगर फौडर के स्टेज में सरकार एक कदम उठाये, मे बी डिपार्टमेंट के साथ, मे बी इन्स्टीच्यूशन के साथ मिलकर, अगर इसके साथ कदम उठाये, जब कि हमारी सरकार फौडर सीड बांटती है सर, वह सीड बांटना एक काम है लेकिन एक टारगेटेड फौडर प्रोडक्शन अगर थ्रूआउट, होल पीरियड के लिये बनाये तो शायद वैसे समय में हमलोग गाय को चारा को दे सकते हैं । महोदय दो बड़ी समस्या हमारे राज्य में है, एक समस्या फ्लड की आती है और एक समस्या फेमिन की आती है, फ्ल्ड के समय में महोदय, फौडर की बहुत ज्यादा शार्टेज हेा जाती है और फेमिन में, जिसे सुखाड़ कहते हैं उसमें भी हमारी समस्या आती है । उस समय खासकर के महोदय जब फौडर की कमी होती है तो वैसे ही उत्पादन कम हो जाता है । एभेनच्युअली कभी कभी हमारी गाय और हमारे पशुधन भी हमलोग बचा नहीं पाते । वैसे केस में महोदय जिस तरह से कृषि विभाग मशीन की सबसिडी देती है, उसी तरह महोदय बहुत सारे मशीन भारत सरकार द्वारा बनाई गई है या बिहार सरकार में है, जो एक फिड ब्लॉक के नाम से बनाता है, अगर फीड ब्लॉक बनाकर के पूरे साल का एक बैंक बना लें, एक स्टोरेज बना लें तो वैसे समय में जब फौडर की कमी होती है उस समय हम फौडर को सब्सच्यूट करके अपने जानवर के दूध की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं । साथ ही साथ उसके जो रख-रखाव होता है, जो इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन होता है, को भी कम कर सकते हैं । महोदय दूसरा सुझाव है कि बाढ़ के समय जानवरों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाती है । हमलोग जब उसको पोस्ट फ्लड, हमलोग उसको एनेलाईज करते हैं तो कहते है कि पोस्ट फ्लड इफैक्ट है, जिसमें इपेडिमिक्स होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है अभी तक शायद हमारी सरकार उस स्तर पर, शायद हमलोग काम नहीं कर पाये हैं, उसके लिए भी जरूरत है । महोदय जो जानवर फ्लड के समय मर जाते हैं, उसका डिसपोजल कैसे हो यह सबसे बड़ी समस्या है, उस डिसपोजल के बारे में भी सरकार को एक मेरा अपना सुझाव है । महोदय, हमारी सरकार, मैंने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हमलोग एक मिल्क रिवोल्यूशन लायें, एक श्वेत क्रांति लाये, हम तो सप्त क्राति की बात करते हैं, हम डेयरी रिवोल्यूशन की बात करते हैं, महोदय, उसी कंसर्न में 2015-16 में एक एक्सक्लूसिवली एक यूनवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्येश्य है महोदय, जिसके बारे में एक माननीय सदस्य शायद बात कर रहे थे, आज ह्यूमन मैन पावर की बहुत कमी हो गयी है महोदय, उस बात को हमलोग भी महसूस करते हैं लेकिन ये यूनिवर्सिटी का दायित्व है कि हम ह्यूमन रिर्सोस को जितना ज्यादा, जितना मैक्सीमम हो, हम उनको एडुकेट करें, पढ़ावें और जो गैप है ह्यूमन रिर्सोस का, हमलोग उसको हम कम करे । महोदय, जो दूसरी संस्था है पशुपालन

के अन्दर हमलोग उसको कम्फैड कहते हैं, जिसका मुख्य फंक्शन है मिल्क कलेक्शन, प्रोसिसिंग और भैल्यू एडिशन करके फाईनल डिस्टीनेशन आफ मार्केट पर हमलोग बेचते हैं । महोदय, यह एक त्रिस्तरीय संस्था है जो गांव से लेकर जिला और जिला से लेकर राज्य तक यह पूरा कभर करती है । महोदय, खुशी इस बात की है कि आज गांव में भी मिल्क कलेक्शन का कोई प्रोब्लम नहीं है, बड़े आराम से लोग अपना मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं । क्रमशः..

टर्न-13/21-03-2018/ज्योति

क्रमशः

श्री मेवा लाल चौधरी : उनकी जो भी संस्था चाहे गांव स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, बड़े आराम से मिल्क को ले जाते हैं और प्रौसेस करके, डिस्ट्रीक्ट मार्केट में सेल करते हैं और उससे जो भी प्रौफिट होता है, वह किसानों के लिए प्रौफिट हो जाता है । महोदय, एक दो और सजेशन है, जिसके बारे में हमलोग बहुत कंसर्न थे पहले से, महोदय, एक भेड़ की प्रजाति है, जो बिहार की प्रजाति है, जिसको शाहाबादी कहते हैं, शाहाबाद से जितने भी माननीय सदस्य आए हुए हैं, ये शाहाबादी भेड़, जिससे हमलोग काला कंबल बनाते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, वह कम्बल उसी शाहाबादी से बनता है । आज महोदय, यह शाहाबादी ब्रीड्स इन डेंजर होने जा रहा है, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है । सरकार से मेरा निवेदन होगा, जिसका औरिजीन हमारे बिहार से हो, जिसकी वैल्यू बिहार में हो और लोग बिहार से, यहाँ से ले जाते हैं, उसका जरुर कंजरवेशन होना चाहिए, उसका जरुर बचाव होना चाहिए, उसके लिए डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी कोई एक प्लान करे ताकि उस प्रजाति को हम बिहार से हम खत्म नहीं होने दें और उस प्रजाति को बिहार में बचा कर रखें, यह गरीबों के लिए एक बून होगा ।

महोदय, आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के बारे में, जिसको ए.आई. कहते हैं, बहुत बार बहुत सारे सवाल भी हमारे विपक्षी सदस्यों ने उठाये थे, आज हम एक दो चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि आज हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन की बात करते हैं, हमलोग सिमेन बाहर से लाते हैं, आज हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन नही है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि हम अपना सिमेन ले । वैसे केस में बहुत सारे प्रौब्लेम आते हैं, सिमेन हमलोग एन.डी.बी.बी. से लाते हैं या तो जे.के. से लाते हैं, उस सिमेन का कोई क्वालिटी कंट्रोल हमलोगों के हाथ में नहीं है, हमलोग, उस सिमेन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं । मेरा एक सुझाव होगा डिपार्टमेंट से, माननीय मंत्री जी से कि हम क्यों नहीं अपने लिए कम से कम डिस्ट्रीक्ट लेवेल पर अगर नहीं हो, तो फिलहाल स्टेट लेवेल पर एक वूल फार्म खोल लिया जाय और अगर संभव

हो तो डिस्ट्रीक्ट लेवेल पर वूल फार्म बनाये ताकि हम अपने सिमेन को अपना जान सकें और महोदय, जिस सिमेन के बारे में हम जानते हैं, जिस पर्टिकुलर प्रजाति के बारे में जानते हैं, हम उसको लेकर उस सिमेन को लेकिन आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के प्रोग्राम में इस्तेमाल करें । आज हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की थोड़ी बहुत कमी है। महोदय, मेरा एक सुझाव है कि गांव में डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं । गांव में जिसको हमलोग क्वैक कहते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनको थोड़ी बहुत जानकारी है, अगर सरकार उनके लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स बना दें, उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए, तो शायद वो लोग भी टाईम बिईग हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह हमारा परमानेंट सौल्यूशन होगा लेकिन टाईम बिईंग हमलोग फर्स्ट ऐड ट्रीटमेंट जानवरों का, उस अस्पताल में कर सकते हैं, बाद में उसको हमलोग रेफरल अस्पताल में भेज कर उसका इलाज कर सकते हैं । आज हमारे पास बहुत बड़ी रिसर्च संस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहॉ पर जो इशटैब्लिश की है, मेरा एक सुझाव है कि आज जो अनुसंधान की संस्था है या जो यूनिवर्सिटी है डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, मेरा एक सुझाव है कि डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी हैण्ड टू हैण्ड काम करे । डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के साथ बैठकर कम से कम 10 कि.मी. के रेडियस में सभी गांव को एडौप्ट करे और एडौप्ट करके एक होलिएस्टिक एप्रोच करे, चाहे वह दुग्ध उत्पादन के केस में हो, चाहे मछली उत्पादन के केस में हो, चाहे वह अंडा उत्पादन के केस में हो एक मौड्ल बनाये महोदय, एक ऐसा मौड्ल कंसेप्ट डेवलप करे ताकि 10 कि0मी0 के अंदर गांव वाले देखने आए और एक डिमौन्स्ट्रेशन समझ कर, उस चीज को वह इस्तेमाल करे ताकि आने वाले दिन में हमलोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ।

महोदय, जहां तक फीस प्रोडक्शन की बात है, आज हमारे पास तालाब की भी कमी नहीं है । आज हमको तकरीबन दो लाख हेक्टर में तालाब है जिसकी 32 हजार कि.मी., अगर उसकी लेंथ देखेंगे, तो 32 हजार कि.मी. तक तालाब है और सरकार के अनेकोनेक स्कीम तालाब के रेनोवेशन में, जीर्णोद्धार में खर्च हो रहा है, पैसा और बड़े अच्छे किसान लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, फिशरीज के केस में मेरा एक सजेशन होगा, जो एक समस्या है हमारे पास । हमारे पास आज क्वालिटी सीड नहीं है, बीज नहीं है, क्योकि महोदय हमारे हैचरी जो हैं, बड़े लिमिटेड हैचरीज हैं, शायद, सरकार में तकरीबन 115-120 हैचरीज हैं । हमलोग प्राईवेट आदमी को इनकरेज नहीं कर पाए हैं महोदय, एक सुझाव होगा कि सरकार- ''लेडी इन्टरप्रेन्योर शुड औल्सो बी पार्टिसिपेंट इन द हैचरी प्रोग्राम'' ताकि हम एक अच्छे क्वालिटी का सीड पैदा करे और जो सीड समय पर चाहिए उस सीड का भी इस्तेमाल करें ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): अब आप कनक्लुड करें ।

श्री मेवा लाल चौधरी : महोदय, एक मिनट । महोदय, मेरा एक सजेशन होगा कि बंगाल से सीड को रोक करके आप अपना सीड पैदा करके अगर किसानों को सीड का वितरण किया जाय, तो शायद हमारी प्रोडक्टिविटी फीश बढ़ जायेगी । अंत में महोदय, मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्र मे असरगज प्रखंड में एक धूरिया गांव हैं जो सराउंडेड है, जिसके आस पास तकरीबन 15 हजार जानवर, उससे भी ज्यादा है वहॉ पर, एक हौस्पिटल जो नौन फंक्शनल हौस्पिटल है, डॉक्टर वहॉ पर पोस्टेड हैं लेकिन तनख्वाह कहीं और से लेते हैं, कभी वह नहीं आते हैं उस हौस्पिटल पर महोदय निवेदन होगा मंत्री जी से कि उस हौस्पिटल को पुनर्जीवित किया जाय, असरगंज के धूरिया में उसको पुनर्जीवित करके कम से कम पशुपालक जो उसके सराउंडिंग विलेज में है, हमलोग उसको मदद पहुंचा सके, बहुत कृपा होगी आपकी तरफ से । बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य श्री राजीव नंदन ।

श्री राजीव नंदन: सभापति महोदय, मैं वर्ष 2018-19 के लिए पेश पशुपालन मत्स्य संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और अनुदान की मांग के पक्ष में खड़ा हूँ । महोदय, भारत कभी न कभी हमलोग इतिहास में पढ़ते हैं कि सोने की चिड़िया रही । जब भारत सोने की चिड़िया थी तब उसका केन्द्र उस समय बिहार ही था और जब सोने की चिड़िया तभी भारत बन पाया जब यहॉ दूध की नदियॉ बहती थीं । आज हमारी दूध की नदियॉ सूख गयी हैं । हमारे ''सोने की चिड़िया'', अब इतिहास में रह गयी हैं बातें । यदि हमें इस भारत को, इस बिहार को, समृद्ध बनाना है, तो कहीं न कहीं दूध की नदियॉ बहानी ही पड़ेगी, बिना दूध की नदी बहाए हम बिहार को या भारत को समृद्ध नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों के हाथ में दूध की नदी बहाने का काम मिला, उन्होंने पशुओं के खिलाने वाले चारे को ही खा गए ।

(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार): आपस में बात नहीं किया जाय ।

श्री राजीव नंदन : सुनिये, सुनिये । आज हमारा गांव और खेती मशीनीकरण और रासायनिक खाद पर आधारित हो गया है । कहीं न कहीं हम पश्चिम देशों की सभ्यता के अधिक अन्न उत्पादन के आकर्षण में फंसकर अपने खेतों के किसानी को ट्रैक्टर से जातना शुरु किए और रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा दिए । हमारा खेती का जो आधार था, धूरी था बैल, गाय, गोबर उसको हमने कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है, जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है ।

क्रमशः

टर्न-14/21.3.2018/बिपिन

श्री राजीव नन्दन : क्रमशः ... जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है । हमारे कृषि मंत्रालय द्वारा कहीं-न-कहीं यह अब चलाया जा रहा है कि जैविक खेती की बात की जा रही है । जैविक खेती तो हमलोग वर्षों पहले से करते आ रहे हैं । हम प्रभाव में आकर गलत संगति में पड़कर, गलत नियमों को लेकर उनको हमलोग कहीं-न-कहीं यांत्रिक खेती, रसायनिक खेती में फॅस गए । आज हमको जब खेती की ओर लौटना है तो इसका एकमात्र रास्ता है पशुपालन । जब तक पशुपालन को हम पूरे राज्य स्तर पर..

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, मामला बड़ा गंभीर ...

सभापति (डॉ0अशोक कुमार): किस मुद्दे पर उठे हैं ? कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अच्छा, बैठ जाइए ।

श्री राजीव नन्दन: हम यहां कृषि के साथ और पशु के बीच में समन्वय बनाकर किसान की आय को दोहरा करने का लक्ष्य रखते हैं । आज महोदय, दुग्ध उत्पादन में कहीं-न-कहीं हम पीछे पड़ते जा रहे हैं । हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मेरा कुछ यहां पर सुझाव है । मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं । वहां पर गुरूआ प्रखंड में भरौंदा में पिछले वर्ष जब, मंत्रीजी यहां सामने बैठे हैं, पशु चिकित्सालय की स्वीकृति दी थी, आज मैं मंत्रीजी से पुनः आग्रह करूंगा कि चिकित्सालय भवन को बनवा दिया जाए ।

मेरा सुझाव है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मिल्क कूलर डी.एम.सी. कॉम्फेड द्वारा गुरारू में खुलवाया जाए । वहां पर 14-15 कि0मी0 की दूरी पर कोई भी डी.एम. सी. नहीं है । महोदय, ग्रामीण दुग्ध उत्पादन में सहयोग समिति के सदस्यों को, जो ग्रामीण दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति में जो लोग सदस्य हैं, उनको कहीं-न-कहीं गव्य विकास योजना से प्राथमिकता के तहत उनको डेयरी का लाभ दिया जाए । हमारे क्षेत्र में एक महिला का नाम मैं जिक्र करना चाहूंगा कि गया जिला के गुरूवा प्रखंड के ग्राम पंचायत बेलोटी के ग्राम सकलबिगहा में एक महिला सकलबिगहा दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति है जिसके सचिव हैं कुमारी रेणु देवी । बहुत गरीब महिला है । 12लीटर अपने आसपास के गांव से दूध जमा करके वह काम शुरू की । उस महिला ने अपने बल पर महिलाओं को दुधारू गाय के लिए बैंक से लोन दिलवाया पी.एन.बी. बैंक से । नबार्ड के तहत उसको लोन मिला । 25प्रतिशत् की उसमें सबसिडी है और वह 100 लीटर आज प्रतिदिन दूध उत्पादन महिला सहयोग समिति कर रही है ।

महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से सुझाव देते हैं सरकार को कि इस प्रकार की जो सहयोग समिति की, जो दूध उत्पादन में महिलाएं लोग जुड़ी हुई हैं, उसको डेयरी से, गव्य विकास से मिलने वाला जो लाभ है डेयरी के लिए,

उनको दिया जाए ताकि उनको अनुदान की छूट की राशि पचास प्रतिशत् का लाभ डायरेक्ट महिलाओं को मिल सके । इस प्रकार से हमारे यहां बहुत-सा इसमें किया गया है । दो गाय, पांच गाय, दस गाय, बीस गाय की यह योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं के प्रति हमारा सहानुभूति है लेकिन उन क्षेत्रों में जो महिलाएं काम कर रही हैं, आज इसमें एक सुझाव और है कि जो दो गाय की डेयरी की बात चल रही है उसमें बाहर से जो सप्लायर हैं पशु के, उनको जोड़ा जाए, नहीं तो क्या हो रहा है कि अपने ही गाय को जाकर बाजार में बेच दे रहे हैं और अपने ही घर में लाकर फिर नया डेयरी स्थापित कर रहे हैं । इसमें मेरा सरकार को सुझाव रहेगा कि यह जो गाय खरीदते हैं तो बाहर के जो व्यापारी हैं, उनसे संपर्क करके सप्लाई लिया जाए । इसमें जो गाय दूध नहीं दे रही हैं, जो दुधारू गाय हैं, वह कुपोषित हो गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मुफ्त इलाज शिविर लगाकर कराने का मेरा सुझाव है । अभी हमारे माननीय साथी बोल रहे थे, चारा की बात चल रही थी, फॉडर बैंक की स्थापना करने की जरूरत है इस राज्य में । हमारे पास हरेक प्रखंड में कृषि के लिए भूमि है, उस भूमि में हम वहां पर फॉडर बैंक स्थापित कर सकते हैं ताकि हम बाढ़ के समय और सुखाड़ के समय में पशुओं के लिए समय पर कम दामों में, सस्ते दामों में चारा उपलब्ध कराकर उन पशुओं को कत्लखाने में जाने से बचा सकते हैं ।

अब इसमें हमारा आपसे सुझाव होगा कि दुग्ध उत्पादन को लघु उद्योग का दर्जा दिया जाए । हमारे यहां पशुपालन विभाग में डॉक्टर और डॉक्टर के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, उनकी भारी कमी है । उनको जल्द-से-जल्द पूरा कराने के लिए मेरा सुझाव है । हमारे यहां बिहार में पशुधन सहायक जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर गर्भाधान कराते हैं उनको मोपेड मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने का मेरा सुझाव है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से गर्भाधान कराना है, किसान लोग गाय अपने इलाके के सेंटर तक नहीं ला पाते हैं और जो गर्भाधान कराने वाले कर्मचारी हैं, वो समय पर दूर इलाके में जाने से कतराते हैं । अगर हम उनको मोपेड उपलब्ध कराते हैं तो वह लम्बे क्षेत्र में अधिक-से-अधिक जगह पर जाकर गर्भाधान करा पाऐंगे । गोट फॉर्म में 533 की स्थापना की जानी है । योजना में है उसमें 20 बकरी एक बकरा एक यूनिट है, दूसरा यूनिट है 40 बकरी दो बकरे का। इसमें लागत अधिक होने के कारण गरीब लोग को लोन नहीं मिल पाता है । मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इसका यूनिट 10 बकरी एक बकरा किया जाए ताकि इसका लाभ गरीब लोगों को मिल सके । समग्र गव्य विकास योजना का 50 प्रतिशत अनुदान दो गाय और पांच गाय की खरीद पर स्थानीय के कारण बेचकर डेयरी में खाना-पूर्ति किया जा रहा है । इसमें बाहर के फमों से सप्लाई का सुझाव है । पशु चिकित्सालय में अभी 46 प्रकार की दवाईयां मुफ्त देने की बात योजना में है और दिया भी जा रहा है । इसमें से 13 दवाई ही मात्र का फर्म राज्यस्तरीय के

द्वारा चयनित किया जा सका है, 33 दवाई हमारा अभी तक फर्म सेलेक्शन नहीं हुआ है। उसको हम जिला पर छोड़ देते हैं जिसके कारण जिला के पदाधिकारी अपने संशय में रहते हैं कि कौन फर्म को चुने, किसको चुने, कहां हम फंसेंगे और देर-पर-देर होते जाती है और बीमार पशुओं को वह 33 प्रकार का दवाई समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 46 प्रकार के दवाइयों जो खरीदने का है, आप बैठकर फर्म का चयन कर दीजिए, मेरा यह सुझाव है ताकि जिला के जितने भी पशुपालन पदाधिकारी हैं वो अपने जरूरत के अनुसार से उस फर्म से डायरेक्ट दवाई मंगा सकें और किसानों को और पशुपालकों को सही समय पर दवा उपलब्ध हो सके । पशुपालन विभाग द्वारा संचालित फॉर्म, जैसे हमारे यहां टेक्नो मुर्गी फॉर्म है । वह वर्षों से बंद पड़ा हुआ है । उसमें पचासो-साठ एकड़ जमीन होगा । फॉर्म को मोडल रूप में हमको चालू करने की आवश्यकता है ताकि हम मुर्गी पालकों को वहां पर क्षेत्र में उसका ट्रेनिंग दे सकें । आज ऐसे कितने फर्म होंगे बिहार में जो बंद पड़े हैं । उनको पुनः चालु कर स्थापित करने की आवश्यकता है । हमारे गया में फ्रोजेन नाइट्रोजन में यह जो सीमेंस रखने की चीज थी वहां पर, तो हम मांग करते हैं सरकार से कि सीमेंस प्रोडक्शन के लिए एक यूनिट वहां पर भी लगाया जाए । सारी सुविधा है लेकिन बुल्स रखकर वहां पर एक फॉर्म खोलकर वहां पर सीमेंस प्रोडक्शन की यूनिट लगाई जाए ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमारः अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राजीव नन्दनः महोदय, मैं इन सारी बातों को रखते हुए, आपने जो मुझे समय दिया, मैं आपका सम्मान करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): धन्यवाद ।

टर्न : 15/कृष्ण/21.03.2018

सभापति (डॉ अशोक कुमार) : माननीय सदस्या श्रीमती भावना झा ।

श्रीमती भावना झा : सभापति महोदय, मैं पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं । सबसे पहले सभापति महोदय, मैं आपका और सदन का अभिवादन करती हूं । महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें पशुओं की अहम् भूमिका रही है । बहुत पहले भी एक गाना हमलोगों ने सुना था मनोज कुमार द्वारा अभिनित - "मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती जिसकी अगली पंक्ति थी कि बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते है ।" महोदय, आज यह अवस्था है कि हमारे बिहार में न रोजगार है, न फैक्ट्री है, न कल-कारखाने हैं । हमारे यहां के लोग कृषि पर ही आधारित हैं और कृषि बिना पशुओं के संभव नहीं है । महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस स्थिति में यहां के लोग जहां पशुओं का रख-रखाव समुचित ढंग से नहीं कर पाते है तो किस तरह से कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ायेंगे, यह

मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूंगी । महोदय, हमारे यहां पशुओं के लिये ढंग से अस्पताल की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, पशुओं के लिये अस्पताल हैं तो पशुओं के चिकित्सक नहीं हैं । पूरे बिहार में आज आदमियों के लिये डाक्टरों की कमी तो है ही, अब ये बताते चलें कि पशुओं के चिकित्सक की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है । महोदय, मैं मधुबनी जिले आती हूं, मेरे क्षेत्र में न तो एक भी पशु अस्पताल है और न ही पशु चिकित्सक हैं । चिकित्सक भी कहीं अगर आपको मिल जायेंगे तो पशुओं के लिये वहां दवा उपलब्ध नहीं है । वैक्सीनेशन की कोई सुविधा नहीं है, आज हम देखते हैं कि जितने गाय-बैल हैं, इनमें कृमि रोग की बहुत बड़ी समस्या है । बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं लेकिन उनको कहीं पशु चिकित्सालय में इन रोगों की दवा तो क्या वैक्सीन तक उपलब्ध नहीं हो पाती है । महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस बार जिस तरह से प्रलयंकारी बाढ़ आयी थी लोगों ने हमारे क्षेत्र में बाढ़ की विभिषिका को बहुत बुरे ढंग से झेला । आदमी की मौत तो क्या, पशुओं की मौत भी असंख्य रूप में हुई, जिसकी कहीं कोई गिनती नहीं है । मैं मांग करती हूं कि अभी तक जो बाढ़ में क्षति हुई है, उसकी न तो कोई मुआवजा मिली है, न कोई क्षतिपूर्त्ति ही मिली है और न पशुओं के मरने की क्षतिपूर्त्ति वहां के लोगों को मिली है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि इस तरह के मुआवजे को जल्द से जल्द देने का काम किया जाय । अगर सरकार के पास इस तरह के मुआवजे एवं क्षतिपूर्त्ति के लिये फंड में राशि नहीं है तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए कि जनता मुझे माफ कर दे, मैं आपको इसका मुआवजा नहीं दे सकता । आपलोग मुझे माफ कर दो, जनता खुशी-खुशी उन्हें माफ कर देगी । लेकिन माफी पहले मांगनी होगी । महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि जो सरकार ठगकर बनायी जाती है, उसे ठगबंधन की सरकार कहते हैं और आज इस सदन में ठगबंधन की सरकार चलती है । बात मैं यहां कर रही हूं भाजपा जो कि गायों पर राजनीति भी करते हैं । हम सब गायों को मां मानते हैं । फख्र होता है जब ये गायों की रक्षा की बात करते हैं । मगर हम गायों के मरने की आंकड़ों को देंखें पूरे देश भर में तो गायों के मरने की वजह पॉलिथिन है । आप जरनल में, किताबों में, अखबारों में यह खबर देख सकते हैं । तो मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि सिर्फ वोट के लिये गाय को माता न कहें, सिर्फ वोट के लिये उनकी पूजा न करें बल्कि उनको जिंदा रखने का उपाय करें, उनके चारे की समुचित व्यवस्था करें, उनके पानी पीने की व्यवस्था करें, जो आवारा पशु हैं, जो जहां-तहां सड़कों पर घुमते रहते हैं, उनकी व्यवस्था की जाय । उनके रहने के लिये व्यवस्था की जाय । सरकार ने तो बहुत बड़े-बड़े वादे किये थे कि हमलोग हरेक गांव में पशुओं को रहने की व्यवस्था करेंगे, बकरी पालन किया जायेगा, मुर्गी पालन किया जायेगा लेकिन यथार्थ में न तो कहीं बकरी पालन नजर आता है और न मुर्गीपालन नजर आता है । महोदय, मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगी कि अगर वह

इसकी भी व्यवस्था कर दे तो जो हमारे भाई-बंधु लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कम से कम इस को भी करके रोजगार पायेंगे ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि गायों को और अन्य पशुओं को रहने की व्यवस्था की जाय, साथ ही उसके लिये चारे की और पीने के पानी की सरकार व्यवस्था करें । सरकार से मांग है कि इन व्यवस्थाओं को क्रियान्वित कर यहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करें । यहां की सरकार पर पहले लोगों को बहुत भरोसा था लेकिन जिस तरह से यहां के लोग सरकार के कार्य-कलापों देख रहे हैं, लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ रहा है । सभापति महोदय, सदन में मुझे बोलने के लिये समय देने के लिये बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं । धन्यवाद । जयहिंद ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता ।

श्री आलोक कुमार मेहता : सभापति महोदय, मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । राज्य की लगभग 89 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पशु एवं मत्स्य संसाधन से जुड़ी हुई है । न सिर्फ रोजगार एवं उत्पादन से बल्कि इसके सरोकार से प्रतिदिन के खाने-पीने से इसका लगाव रहा है । इसलिए इसकी महता को कम करके आंकना एक बड़ी गलती होगी और यह गलती होती रही है क्योंकि पशु एवं मत्स्य संसाधन क्षेत्र में जो आवंटन दिये जाते रहे हैं, उससे पहले कोई सौलिड योजना, उसके बढ़ाने की नीतियों के बारे में बहुत ज्यादा मंथन नहीं किया जाता रहा है । जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उसी पर खर्च दिखाया जाता रहा है, आवंटन किया जाता रहा है । महोदय, ऐसा लग रहा है कि इसको बढ़ाने की सोच सरकार के पास नहीं है । आज मत्स्य पालन के क्षेत्र में 5.2 लाख टन मछली का उत्पादन सरकार के द्वारा बताया जा रहा है । मैं नहीं जानता कि ये आंकड़ें कहां से आये, 273 हेक्टेअर में मत्स्य पालन हो रहा है । निजी क्षेत्रों के मत्स्य पालन को भी शायद जोड़ कर ये आंकड़े दिये जा रहे हैं । लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब किसी भी उत्पाद का उत्पादन बढ़ता है तो फॉरवर्ड लिंकेज, मार्केटिंग की व्यवस्था, विपणन की व्यवस्था में कमी की वजह से उसके मूल्य घट जाते हैं । इसकी वजह से जो एलाईड एग्रीकल्चर फिल्ड है, कोई भी किसान का जो जोश होता है, जो उसकी तत्परता होती है, उसमें कमी आ जाती है और धीरे-धीरे यदि आप उत्पादन बढ़ाने पर जोर दें तो फिर उसके मूल्य इतने कम हो जायेंगे कि लागत मूल्य उससे ज्यादा हो जायेगा । तो यही कमोबेश कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा रही है ।

महोदय, आये दिन बीज के मामले में किसानों की परेशानी बढ़ी हैं, सरकार ने जिन कंपनियों को बिहार के अंदर बीज बेचने की इजाजत दी, बिना किसी टेस्ट के लाखों किसानों ने सरकार के द्वारा बिना टेस्ट के एप्रुवल के बाद किसानों को

बीज दिया गया, आज सड़कों पर, गावों में खेत-खलिहान में और पटना तक मक्का के उस बाल को लेकर आ रहे हैं, जिसमें दाना ही नहीं हुआ और किसान आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंचे हुये हैं । महोदय, बिहार जैसे राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन भी उसी कगार पर न पहुंच जाय, इसके लिये हमें चिन्ता करने की जरूरत है । महोदय, इस सदन में यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में जहां अनुदानों की घोषणा होती है लेकिन वहां उसके एक्सपर्टस की कमी है और इच्छुक व्यक्ति जो आंत्रपेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, वे भटकते रहते हैं कि उन्हें कहां सलाह मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी । महोदय, ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलने के आंकड़े दिखाये जा रहे हैं लेकिन आप वहां जाईये तो वहां किसी भी चीज की ट्रेनिंग की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। कहीं कोई विज्ञापन नहीं है कि किस दिन कहां किस चीज की ट्रेनिंग दी जायेगी और उद्यमी इधर-उधर भटक रहे हैं ।

महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 90 प्रतिशत तालाब बनाने के लिये और मत्स्य पालन के लिये अनुदान की व्यवस्था की गयी है । लेकिन सरकार को यह भी आंकड़ा बताना चाहिए कि पिछले वर्षों में कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपनी उद्यमिता का प्रदर्शन किया है या उन्हें किस तरह से इनेबुल टू डु द बिजनेस की पॉलिसी सरकार की रही है जैसा कि सरकार हमेशा कहती रही है ।

क्रमशः

टर्न-16/सत्येन्द्र/21-3-18

श्री आलोक कुमार मेहता (क्रमशः) लेकिन इनैब्लिंग उनको उस उद्यमी क्षेत्र में ले जाने की जितनी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से उन्हें मरहूम किया जा रहा है । सिंगल बिंडो सिस्टम सिर्फ बाहर वालों के लिए आवश्यक नहीं है, सिंगल बिंडो सिस्टम अंदर वाले लोगों के लिए भी आवश्यक है। यहां कृषि राज्य है, कृषि प्रधान राज्य ही नहीं, यहां की लगभग 90 प्रतिशत आबादी कृषि और कृषि पर आधारित है । जिस पर इतनी बड़ी इकोनोमी और इतनी बड़ी जनसंख्या की निर्भरता हो तो सरकार को इसके प्रति गंभीर होनी चाहिए और इनैब्लिंग इन बिजनेश टू डू, इस क्षेत्र में उनको काम करना चाहिए । आज हम पशुपालन की बात करें तो आज मत्स्य पालन के क्षेत्र में, अभी भी मैं नहीं जानता कि कहां से आता है लेकिन आज भी लगभग 50 प्रतिशत मछली आंध्र प्रदेश से आ रहा है और हम अभी अपने यहां की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, 50 प्रतिशत मछली आन्ध्र प्रदेश से आ रहा है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और भी सुधार की आवश्यकता है, तो

सरकार को इस मत्स्य पालन के क्षेत्र में सोर्स, मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन इन तीनों लेबल पर उनको काम करना चाहिए । दूसरी तरफ जहां तक पशुपालन की बात है, पशुपालन के क्षेत्र में भी सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं पशुपालन के क्षेत्र में, आज कम्फेड जो एक संस्था है वह यहां काम कर रही है और उसके नीचे जो दुग्ध उत्पादक संघ बने हुए बिहार के अन्दर हैं या यह जो को-ऑपरेटिव के अन्दर बनी हुई व्यवस्था है, हमें खेद के कहना पड़ता है कि बिहार में अभी तक बिहार का फेडरेशन नहीं बन सका है, बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड और बिहार जब अलग हुआ तो जो फेडरेशन था जो कम्फेड बना था, वह डीम्ड मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बन गया और सरकार ने ही जो कानून बनाये, उसी के तहत ये डीम्ड मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बना लेकिन बिहार के अन्दर जो फेडरेशन बनना चाहिए, उस फेडरेशन की पहल सरकार की तरफ से नहीं हुई और इसके वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि जो संघ बने हुए हैं और सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है, वह तमाम संघ के अन्दर जिस तरह के कार्यकलाप हैं, उसमें जो दुग्ध उत्पादक किसान है उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधि का कोई उसमें नहीं रहता है और इस तरह से कहा जाय तो ब्यूरोक्रेसी हाबी है, जो ब्यूरोक्रेसी के तरफ से परपोज किया जायेगा उसके मानने के लिए बाध्य हैं । उसके अन्दर जो ह्युमेन रिसर्च मैनेजमेंट है, जो प्लेसमेंट है, जो रिक्रुटमेंट है, वह सारा का सारा केन्द्रित है काम्फेड के तहत और काम्फेड क्या है? काम्फेड में अभी तक किसी भी संघ के तरफ से रिप्रजेंटेशन बडी नहीं बनाया गया है, यदि वह मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव भी है तो उसमें भी सभी संघों की तरफ से उसके रिप्रजेंटेटिव जाना चाहिए, दूध दुहने वाले ही जानेंगे कि उसकी पौलिसी कैसे बनायी जा सकती है, मैं घोर विरोध करता हूँ इस कदम का कि सरकार ने अभी तक उस फेडरेशन की व्यवस्था नहीं की है, सरकार इसे दर्ज करे यह जनता की मांग है ,आम जनता की मांग है। महोदय, राज्य के 80 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पेशे से जुड़े हुए हैं, उसके उत्पादन से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उसकी भावना उनके हिसाब से पौलिसी बननी चाहिए, उसके हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमें खेद है कि सरकार अभी तक उस तरफ कदम नहीं उठायी है और जो फेडरेशन है जो मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव कम्फेड है वह अभी भी सेन्ट्रल ऐक्ट के तहत चल रहा है, बिहार का कोई ऐक्ट उस पर लागू नहीं है, बिहार सरकार उसमें कुछ करने वाली स्थिति में नहीं है उसके वाबजूद बिहार सरकार उसको सुपर बडी बनाकर उसके सर पर रखी हुई है जो सहकारिता की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है । महोदय, सहकारिता तो समाजवादी सिद्धांतो पर आधारित संस्था थी जिसमें स्टेट जो है बहुत सारे संख्या वाले, बहुत सारे लोगों को, सदस्यों का स्टेट उसमें होता है और उसमें शेयर का मतलब नहीं होता है । एक शेयर एक वोटर, एक शेयर होल्डर एक वोटर के बराबर होता है, हजार शेयर होल्डर भी एक ही वोट देने के अधिकारी होते हैं

ऐसे समाजवादी व्यवस्था को विकृत कर के और उसे कौरपोरेट टाईम ऑफ बिजनेस या फिर उसको कहें कि उसके सर पर एक ऐसे ऐडमिस्ट्रेटर को बैठा दिया जाता रहा है जिसको सचमुच दुग्ध और दुग्ध के दुग्ध दुहने वालों की भावना से कोई लेना देना नहीं है । आज पूरे देश में, राज्य में ही नहीं पूरे देश में गायों की संख्या घट रही है । हमारे कुछ पार्टी के लोग हैं जिन लोगों ने गाय पर इतनी राजनीति की, इतनी राजनीति की कि गरीब लोगों के सरोकार शायद भूल ही गये । आज गाय पर राजनीति की वजह से पूरे देश और राज्य में गायों की संख्या घट रही है इसलिए इससे दुग्ध का उत्पादन प्रभावित होने वाला है और दुग्ध प्रभावित होना अभी शुरू हो गया है । हम सिर्फ मनुष्य में पुरूष स्त्री के डिस्क्रीमिनेशन की बात करते हैं। यह भी सरकार को सोचने की जरूरत है कि आज हम अच्छे ब्रीड के जो सांढ़ हैं, उसको नहीं ला पा रहे हैं । सीमेन प्रिजरवेशन की बात तो हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे सीमेन प्रिजरवेशन की भी व्यवस्था माकूल नहीं है सरकारी महकमे में, प्राइवेट सेक्टर के लोग सीमेन प्रिजरवेशन का काम कर रहे हैं और उनकी गुणवत्ता उससे बेहतर देखी जा रही है लेकिन सरकारी महकमे में वह सीमेन प्रिजरवेशन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है । महोदय, आज अंडा के उत्पादन की बात की जा रही है और अंडा इस राज्य में दो करोड़ प्रति दिन अंडे की खपत है और हम पीठ ठोक रहे हैं कि हमने अंडा का उत्पादन बढ़ा लिया है लेकिन सच बात यह है कि अंडा के उत्पादन लेयरफार्मिंग और उससे जुड़े हुए सारे क्षेत्रों में और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, इसमें और अधिक इंभेस्टमेंट की जरूरत है । सरकार की तरफ से इन्टरप्रिन्योरशीप उद्यमिता भावना को जगाने और उसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तब जाकर कृषि आधारित इकोनोमी जो है उसको मजबूत किया जा सकता है । बिहार चूंकि कृषि राज्य है इसलिए कृषि उत्पाद और उसमें मूल्य संबर्द्धन के आधार पर इसके अर्थव्यवस्था को दुरूस्त किया जा सकता है । जब यहां 89 प्रतिशत लोग इस चीज पर आश्रित हैं और उतनी बड़ी चीज पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे सिस्टम पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इकोनोमी को दुरूस्त करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता है । सिर्फ हम टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, अगर दूसरी चीजों पर उत्पादकता बढ़ानी है तो उसके लिए प्रशिक्षण से लेकर प्रबंधन तक की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा इसलिए महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ पशुपालक किसानों की व्यथा जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, आज बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हैं,उनके लिए पशुपालन चारा की व्यवस्था कैसी होगी, चारा महंगा होता जा रहा है और 70 प्रतिशत लागत सिर्फ चारे पर लग रहा है, किसान को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, आप विपणन कर रहे हैं, काम्फेड क्या कर रहा है, कम्फेड को और मूल्य आधारित विपणन की आवश्यकता है, हम कह रहे हैं कि सरकार यदि कम्फेड के ही माध्यम से चलाना चाहती है या उससे बेहतर व्यवस्था करना चाहती है तो या तो किसानों के हाथ में

उसका प्रबंधन दे दुग्ध उत्पादक किसानों के हाथ में या फिर वैसा प्रबंधन करे ताकि पर्याप्त उनको उत्पादन के बाद जो उनका लाभ है वह उनको मिलना चाहिए नहीं तो धीरे धीरे यह जो उद्योग है, यह जो पशुपालन क्षेत्र है वह धीरे धीरे सूख जायेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जायेंगे और जब एक बार सूखेगा तो फिर उसका उपाय करने में, रिस्टोर करने में बहुत समय लगेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद।

टर्न–17/आजाद/21.03.2018

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री, पशुपालन द्वारा सदन में जो अनुदान प्रस्ताव रखा गया है, इस प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ ।

महोदय, पशुपालन राज्य की आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, गरीबी निवारण के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है । बिहार की आबादी का 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और 89 प्रतिशत लोगों का जीवन यापन कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर है । देश का दूसरा राज्य जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 1102 प्रति व्यक्ति प्रति कि0मी0, यहां आबादी बढ़ता जा रहा है, भाई–भाई में बंटवारा होता जा रहा है, जमीन टुकड़ा–टुकड़ा होते जा रहे हैं, खेतीहर जमीन कम होते जा रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों पर आबादी बढ़ती जा रही है और लोड बढ़ता जा रहा है । महोदय, पशुपालन के क्षेत्र में भूमि आधारित अर्थव्यवस्था के कमी को देखते हुए पशुपालन आज एक बहुत बड़ा विकल्प है महोदय । हमारे बिहार के युवा साथी को गव्य पालन, मुर्गा पालन, मछली पालन, मधुमक्खीपालन, बकरीपालन से जोड़कर के हमारे बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी हमलोग मजबूत कर सकते हैं । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो पशुपालन के क्षेत्रों में जो कार्यक्रम, जो एजेंडा बनाया है, जिससे हमारे बिहार की किसान मजदूर भाई पशु पालने वाले सभी लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं और हमारी सरकार का भी उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर हमारे जो गरीब–गुरबा हैं, उनका आर्थिक विकास लाने के लिए, सामाजिक विकास लाने के लिए, सांस्कृतिक विकास लाने के लिए, हमारी सरकार कृतसंकल्पित है ।

महोदय, पशुपालन के क्षेत्रों में 2017–2022 का कृषि रोड मैप का जो शुभारंभ हुआ है, उसमें हमारे पशुपालन के क्षेत्रों में जो हमारी समस्यायें थी किसान भाईयों का, सभी समस्याओं से और बाधाओं से उसका निदान हुआ है महोदय । राज्य में भूमि आधारित अर्थव्यवस्था की कमी को देखते हुए पोल्ट्री रोजगार एक बड़ा विकल्प है

महोदय । अभी-अभी हमारे माननीय वरीय सदन के सदस्य बोल रहे थे मुर्गा के बारे में, अंडा के बारे में, मैं उस पर भी जरा डाटा उनको बताना चाहता हूँ महोदय । बिहार में देश स्तर पर पहले मैं डाटा बताता हूँ । महोदय, देश स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 163 अंडे खाते हैं और बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 9 अंडे खाते हैं । आज हमारा बिहार में खपत अंडा का अरबों में है एक अरब 8 करोड़ है, उत्पादन मात्र साढ़े सात मिलियन, 70 से 80 लाख है लेकिन खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अभी-अभी जो पशुपालन के क्षेत्रों में समेकित मुर्गा विकास योजना के तहत जो लेयर फार्मिंग के लिए 35 फार्मर को अनुदान 5हजार से 10हजार रू0 के लिए अनुदान दिया गया है । महोदय, इसी तरह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें अंडा के उत्पादन में मात्र 2.10 रू0 से 2.50 रू0 खर्च आती है जबकि यहां का मार्केट वैल्यू मार्केट में जो बिक रहा है वह 5 रू0 से 5.60 रू0 तो अंदाज कीजिए महोदय कि हमारे यहां का काफी पैसा बाहर जा रहा था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से यहां इस वित्तीय वर्ष में 2018-19 में लगभग 150 और 100 फार्मर को अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है । इसी तरह महोदय आपको वॉयलर फार्मिंग के बारे में बताना चाहता हूँ सदन को कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 3 किलो 630 ग्राम मुर्गा का मीट खाते हैं, जबकि हमारे यहां बिहार में 2 किलो 800 ग्राम मुर्गा का मीट खाते हैं । हमारे यहां इसमें भी हमारी सरकार ने 2हजार क्षमता वाले में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सदन को मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल से प्रभावित होकर यहां बाहर के कई बड़े-बड़े कम्पनी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इससे हमारे क्षेत्र के गरीब-गुरबा सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं । मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि 3हजार क्षमता वाले फर्म हैं, जिसमें कोई एक किसान के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब वे मुर्गा पालते हैं तो उनको कम्पनी एक दिन का चूजा, 30 से 40 दिनों का मुफ्त दाना और मुफ्त डॉक्टरी सलाह कम्पनी उसको देती है और वह 30 से 40 दिनों में जब वह चूजा तैयार हो जाता है 2 किलो साईज का, मार्केट में उसी को वह कम्पनी वापस ले लेती है तो हम समझते हैं कि एक किसान को 16 रू0 बेनीफिट होता है । यदि 6 रू0 बिजली, पानी पर खर्च हो जाती है तो इसमें 10 रू0 बचता है महोदय, उनको नेट महीना में 30 से 40 दिनों में 30हजार रू0 की बचत होती है । महोदय, ये रोजगार करके साल में दो से ढ़ाई लाख रू0 कमाते हैं।

इसी तरह महोदय, लोग चर्चा कर रहे थे, माननीय हमारे वरीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता जी, उन्हीं के गांव में मधुमक्खी का पालन होता है । मधुमक्खी के पालन में मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर इनके गांव में हर घर में मधुमक्खी का उत्पादन होता है । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि जो लागत पूँजी है, इनके घर में भी बिजनेस हो रहा है मधुमक्खी का । इनके तमाम सभी वहां के

मिर्जानगर के लोग हैं, मधुमक्खी के रोजगार से आज सबल हुये हैं, वे लोग आज मजबूत हुये हैं और लोग आज आगे बढ़े हैं । मैं उसपर चर्चा करना चाहता हूँ महोदय, साल में उसमें जो लागत पूँजी है, वह दुगुना हो जाता है । इनके यहां से तो मधुमक्खी का शुरूआत ही हुआ है । महोदय, वॉयलर फर्मिंग में भी 2हजार क्षमता के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण इस वित्तीय वर्ष में 100 तथा अगला 5 सालों में 534 बनाने का लक्ष्य रखा गया है । महोदय, बीडिंग फर्म हेचरी हमारे यहां 1 करोड़ हेचरिंग अंडा है, हमारे यहां 1.25 करोड़ हेचरिंग अंडा का खपत है और उत्पादन हमारे यहां बहुत कम है। हमारे यहां उत्पादन मात्र 7 लाख से 8 लाख है लेकिन महोदय, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी सरकार की जो योजना है, उसके तहत लोगों ने इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है और कई लोगों ने इसे निजी क्षेत्र में लगाया है । महोदय, इसपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि एक अंडा की कीमत आज का मार्केट वैल्यू है 33 रू0, जबकि लागत मात्र 12 से 14 रू0 लगता है । 20 रू0 जो है, इसपर पूरा का पूरा बचत हो रहा है । इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि यह जो बीडिंग फार्म है, उसको उद्योग का दर्जा दिया जाय, यह मैं मांग करूँगा । हमारे कई वक्ता ने, पार्टी के सदस्य ने भी रखा है, राज्य सरकार के द्वारा जो दुधारू पशु की दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने, साथ में दूध प्रस्संकरण क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । सीमेन उत्पादन वृद्धि के लिए, पशु की नस्ल सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है । पशु प्रजनन नीति 2011 को लागू किया गया है । महोदय, राज्य में दूध व्यवसाय से जुड़े बेरोजगार युवक/युवतियों को कमजोर व्यक्तियों को ऋण अनुदान डेयरी योजना के माध्यम से सशक्तिकरण करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार का लक्ष्य है महोदय । डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत महोदय, 2872 लाभुकों को डेयरी इकाई में अनुदान दिया गया है ।

..... क्रमशः .....

टर्न–18/अंजनी/दि0 21.03.18

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : क्रमशः... महोदय, मत्स्य पालन पर चर्चा हो रही थी और मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है । मानव आधार में उपस्थित सभी पशु कोटि में लगभग पांचवां हिस्सा मत्स्य आहार है महोदय । राज्य सरकार द्वारा विमुखी कदम उठाये गये हैं । इस दिशा में किसान को ऋण सुविधा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था, तालाबों का संसाधन विकास, मत्स्य बीज हैचरी नर्सरी तालाब निर्माण वगैरह योजना पर अनुदान की व्यवस्था की गयी है । मछली उत्पादन के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख 10 हजार टन पहुंच गया है महोदय । अभी–अभी चर्चा हो रही थी कि बाहर से, आन्ध्रा से मात्र 10 परसेंट से 20 परसेंट ही मछली बाहर से आ

रही है । हम मछली के उत्पादन में सबल हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं । महोदय, जीविका के माध्यम से 1 हजार 80 परिवारों को नि:शुल्क बकरी वितरण किया गया है। महोदय, सरकार के द्वारा 20+1, 20 बकरी और 1 बकरा का 309 और 40+2, 40 बकरी और 2 बकरा का 150 गोट फार्म की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है। महोदय, राज्य योजना के तहत टीकाकरण कार्यक्रम संचालन की व्यवस्था की जा रही है। विभाग में कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों के कमी के कारण आउटसोर्सिंग कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवस्था की गयी है । पशुपालन के लिए कुशल प्रशिक्षण मानव संसाधन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है । महोदय, लेयर मुर्गी फार्मिंग के संबंध में मैं चर्चा कर रहा था, तो लेयर मुर्गी फार्मिंग के बारे में जानकारी सभी लोगों को है कि 35 मुर्गी लेयर फार्मिंग, मुर्गी फार्म पर अनुदान दिया गया है । राज्य सरकार के द्वारा उच्च कोटि के पशु विभाग, डेयरी, तकनीकी मत्स्य विज्ञान एवं विकास अध्ययन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में स्थापना के साथ कुलपति की नियुक्ति तथा 218 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों की स्वीकृति की गयी है महोदय । महोदय, हमारा जो क्षेत्र है, वह पशुपालन का क्षेत्र है, इसमें सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम/एजेंडा चलाये जा रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में, गांव में, जो ग्रामीण लोग वास करते हैं, वे काफी सबल हो रहे हैं । हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है कि हम सबका साथ- सबका विकास- सबका सम्मान के तहत बिहार को आगे बढ़ायें और बिहार आगे बढ़ रहा है । महोदय, बिहार आज उंचाई पर जा रहा है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ । महोदय, आपने जो समय दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्या, श्रीमती अरूणा देवी ।

श्रीमती अरूणा देवी : सभापति महोदय, मैं वर्ष 2018-19 के लिये पेश पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है । यहां की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है, जिसका मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन है । हमारे राज्य की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है । यहां की अधिकांश जनता भी कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय पर निर्भर करती है । महोदय, राज्य की मजबूत अर्थ व्यवस्था हेतु पशुपालन उद्योग का मजबूत होना जरूरी है। एन0डी0ए0 की सरकार पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में निरंतर अच्छा कार्य कर रही है । महोदय, सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में पशुओं को रोग से बचाने हेतु 1.54 करोड़ पशुओं का एफ0एम0डी0 टीकाकरण, 1.60 करोड़ पशुओं का एच0एस0बी0क्यू0 टीकाकरण एवं 20 लाख बकरियों तथा भेड़ों को रोग से बचाने हेतु पी0पी0आर0 टीकाकरण कार्य कराया गया है ताकि राज्य के पशु स्वस्थ रह सकें । महोदय, वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा समेकित बकरी एवं भेड़ विकास परियोजनान्तर्गत अनुसूचित

जाति के लगभग 2500 परिवारों एवं अनुसूचित जनजाति के लगभग 241 गरीब इच्छुक बकरी पालकों को प्रजन्न योग्य तीन-तीन बकरियां जीविका के माध्यम से वितरित करायी जा रही है । इसके साथ ही 533 इकाई गोट फार्म की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें सामान्य जाति के लिए 459 एवं अनुसूचित जाति के लिए 75 फार्म शामिल है । महोदय, सरकार जीविका के माध्यम से 1080 गरीब परिवारों को निःशुल्क तीन प्रजनन योग्य बकरियां 1 इकाई के रूप में वितरित कर रही है । निजी क्षेत्र में भी बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 20 बकरी के साथ 1 बकरा फार्म की स्थापना हेतु 371 लाभुकों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है । महोदय, सरकार कुक्कुट पालन के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत समेकित मुर्गी विकास योजना अन्तर्गत राज्य में कुक्कुट के विकास हेतु लेयर मुर्गी फार्म 1000, 5000, 10000 क्षमता की स्थापना पर अनुदान दे रही है ताकि अंडा उत्पादन के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर हो सके । साथ-ही-साथ, जीविका के माध्यम से चूजा का वितरण एवं निजी क्षेत्र में भी लेयर पॉल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है । महोदय, सरकार द्वारा 50 एम्बुलेट्री भान के माध्यम से राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़, सुखाड़, महामारी नियंत्रण के समय चिकित्सा शिविरों का आयोजन कराया जाता है, जिसमें अब तक 259 पशु चिकित्सा शिविरों में 3.56 लाख पशुओं की चिकित्सा एवं 2.58 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया है । महोदय, सरकार ने पटना में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो सरकार की पशुपालन के क्षेत्र में विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । महोदय, मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी राज्य आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है । मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गयी महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं । महोदय, वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर नमी भूमि का विकास, रियरिंग तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल, पम्पसेट का अधिष्ठापन तथा 4850 हेक्टेयर जल क्षेत्र में, मान एवं चौर में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन की स्वीकृति दी गयी है । साथ-ही-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालन के लिए विशेष घटक योजना के तहत नर्सरी, तालाब निर्माण, टयूबवेल एवं पंपसेट अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गयी है । महोदय, वर्ष 2017-18 में मछली उत्पादन के लिए 20 हैचरी का निर्माण किया जा चुका है । महोदय, गव्य विकास योजनान्तर्गत डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु सामान्य जाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लाभुकों को 75 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 75 प्रतिशत की दर से अनुदान वितरित किया गया है । महोदय, सरकार द्वारा पटना एवं नालन्दा में 20 हजार किलो प्रतिदिन क्षमता आईसक्रीम कारखाना एवं हाजीपुर में 30 मैट्रिक टन क्षमता का दुग्ध पाउडर कारखाना स्थापित कर चालू कर दिया गया है तथा 1750 इकाई स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र

स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है । महोदय, सरकार द्वारा बिहार स्टूडेंट कार्य योजना द्वारा विद्यार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । महोदय, वर्ष 2017-18 में बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 12583 विद्यार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है,

...क्रमशः..

टर्न-19/शंभु/21.03.18

श्रीमती अरूणा देवी : क्रमशः.....जिसमें 9100 विद्यार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है। महोदय, भ्रष्टाचार रोकने हेतु सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं जिसके तहत सरकारी खरीद में दक्षता, स्वच्छता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार के सभी विभागों द्वारा 1 अप्रील 2018 से पोर्टल से सामानों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति की जायेगी। महोदय, कोषागार के क्रियाकलापों के सफल संचालन हेतु सी0टी0एम0आइ0एस0 का उपयोग किया जा रहा है । अब सफल वित्तीय प्रबंधन हेतु 1 अप्रील 2018 से सरकार द्वारा समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है । इसके लागू होने पर वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बजट प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि, लेखा एवं अंकेक्षण प्राप्ति, ब्याज तथा बजट प्रबंधन में सुधार होगा । महोदय, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यकारी योजनाओं के लाभुकों को अनुदान एवं छात्रवृत्ति की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करने हेतु आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ा जा रहा है । अभी तक 3.6 करोड़ लाभुकों में से 48 लाख लाभुकों को आधार नंबर से जोड़ दिया गया है और शेष को जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है । महोदय, पशुओं के बारे में बहुत सा सदस्य चर्चा किये तो पशुओं का चारा तो पहले ही खा गये और अभी जो पशुओं की चर्चा करते हैं तो शर्म आनी चाहिए कि चारा की वजह से पशु नजर नहीं आता है । पशु तो किसान लोग पालते थे गाय, भैंस, बैल । अभी हमारी सरकार की तरफ से गाय, भैंस गरीब लोगों को दिया जा रहा है । आपलोग चारा खाने का काम किये हैं, गरीबों का जो हक लेने का काम किये हैं और गरीबों की चर्चा करते हैं ? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास कर रही है और नीतीश जी के सुशासन की सरकार है । सबको साथ लेकर चलनेवाली है । मैं बहुत-बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि जो बिहार की दशा और दिशा बदलने का काम किये हैं । कहा गया है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी : महोदय, मैं आज सदन में आपके द्वारा जो समय दिया गया है और बाबा भीमराव अम्बेदकर के द्वारा जो हमें अधिकार दिया गया है मैं उसके लिए सदन और आपका आभारी हूँ । मैं सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा मांगे गये अनुदान राशि के विपक्ष में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि पूरा सदन जानता है राज्य में 90 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से हमलोग कृषि पर आधारित हैं और कृषि

का ही अंग पशुपालन है, पशुधन है । महोदय, गरीबों के रोजगार के लिए, गरीबों के स्वरोजगार और आर्थिक व्यवस्था के लिए पशुपालन बहुत ही निहित जरूरी साधन और रोजगार मुहैय्या कराने का जीवन यापन करने के लिए, गरीबों के भूख को मिटाने के लिए बहुत ही उपयोगी और सबसे जरूरी चीज है । हम सभी लोग जैसा जानते हैं कि एक गरीब के यहां कुछ हो न हो मुर्गी, बकरी दिया जाता है - महागठबंधन की सरकार ने गरीबों को, पिछड़ों को, अनुसूचित जाति, जनजातियों को बकरी पालन योजना के तहत बकरी पालन हेतु देने की गंभीर योजना पर विचार की थी आज तक वह धरातल पर नहीं हो पाया है । महागठबंधन की सरकार ने दो गाय, पांच गाय, दस गाय, बीस की इस योजना में सरकार ने कटौती किया है । इस योजना को 2016-17 और 2018 में जो योजना थी वह आज भी अधूरी है । महागठबंधन की सरकार का जैसा सत्तापक्ष के द्वारा सदन में गुणगान किया गया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि जो 2016-17 और 2017-18 का कार्य था उसमें चार महीना महागठबंधन का और हमारी पार्टी के मंत्री जी का था । इन्होंने उनका गुणगान किया है । जहां तक मुझे मालूम है, सदन को मालूम है कि 8 महीने में कोई भी कार्य नहीं हुआ है । यह इसलिए दर्शाता है कि आज पशुपालन विभाग का कार्यक्रम है बोलने के लिए यहां प्रस्ताव अनुदान मांगा जा रहा है और खुद मंत्री जी अनुपस्थित हैं । इससे कितने वे गंभीर हैं यह सामने नजर आता है । मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो चार महीने में महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां थी उसको गिनाया और सरकार के जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए उपयोगी मुर्गी और बकरी पालन की योजनाएं थी उसपर गंभीरता नहीं दिखला रहे हैं । जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमलोगों के लिए गौ माता दूध देने का काम करती है और सत्तापक्ष में काबिज एन0डी0ए0 के लिए वोट देने का काम करती है । हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गाय की इतनी ही चिंता है तो संघवाले, बी0जे0पी0 वाले उनको अपने घर में ले जाकर पालें, पर मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उनके साथ है । मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकारी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है । आज जो भी रोड पर गाय खुले में मवेशी चर रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं उनके लिए आपलोग व्यवस्था करें, उनके लिए पशु चारे की व्यवस्था करें । उनके लिए रहने की व्यवस्था करें । जैसा कि आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग मृत पशुओं से भी अपना जीवन यापन करते है, उसका चमरा लेकर और ये एन0डी0ए0 बी0जे0पी0 वाले और आर0एस0एस0 वाले उनको भी पकड़ कर मारते हैं । इस कारण कोई पशुओं को बीच राह में बीच रोड पर शहर की आबादी के बीच में छोड़ दिया जाता है जिस कारण से प्रदूषण फैलता है, बीमारी फैलता है । मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मृत पशुओं के, उनके मृत शरीर के लिए व्यवस्था की जाय ताकि उसका जो मरने के बाद शरीर से नुकसान और लोगों में प्रदूषण फैले वह न फैले । मैं अपने क्षेत्र में खासकर के सिकंदरा, अलीगंज और खैरा के तीनों प्रखंडों में जो पशु स्वास्थ्य केन्द्र है उसकी हालत बहुत ही दयनीय है - न ही डाक्टर है, न ही दवा है और न ही अस्पताल व्यवस्थित

है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि जब तक सरकार इसमें बहाली नहीं करती है, कम से कम जो उस क्षेत्र में जो अच्छे अनुभवी ग्रामीण डाक्टर हैं, जो प्राइवेट डाक्टर हैं उनकी कम से कम संविदा के आधार पर सेवा लिया जाय ताकि कम दाम में गरीबों की मवेशियों का इलाज हो सके । होता यूं है कि उपलब्ध डाक्टर और दवा नहीं होने के कारण गरीब लोग बेवजह परेशान होते हैं और अपनी बकरी, मुर्गी, गाय का जो पालन करते हैं उनमें उन्हें लगातार नुकसान होते रहता है और उस नुकसान के कारण वे धीरे-धीरे पशुधन से दूर जा रहे हैं । जैसा कि महोदय, आपलोग हमलोग सभी जानते हैं कि जिस तरह से पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा पशुधन का उपयोग किया जाता था चाहे वह कृषि में हो, माल ढुलाई में हो आज वहां पर यंत्र, कृषि यंत्र और माल ढुलाई की काफी गाड़ियां मोटर वाहन ने ले लिया है जिसके कारण आज खासकर के बछड़े और बैल की उपयोगिता खतम होता जा रहा है और इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी । उसके रहने के लिए बैलशाला हर जिला में खोलना होगा ताकि जो लोग बैल, गाय बाछा जन्म देती है तो वह उसे कहीं और नहीं देकर उस जगह दे दे ताकि उसकी कुछ उपयोगिता हो सके । महोदय, हम जानते हैं चाहे सभी लोग चाहे गामीण हो, शहरी हो उनके जीवन यापन के लिए दूध की बहुत ही आवश्यकता है। दूध के कई प्रोडक्ट बनते हैं और इस प्रोडक्ट से हमलोगों के जीवन यापन खान पीयन में उपयोगिता होती है । मैं सदन के माध्यम से जिस तरह से बड़े बड़े व्यवसायी जो शराब में लिप्त थे, शराबबन्दी के बाद उसे सुधा का काउंटर दिया गया.....क्रमशः।

टर्न-20/अशोक/ 21.03.2018

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : क्रमशः... सुधा दूध के लिए सुधा का बूथ उपलब्ध कराया गया। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि कि अनुसूचित जाति में, पासी जाति में जो समुदाय आते हैं उनका जो रोजगार छीना गया है, उनके लिए भी सुधा के द्वारा उनको बूथ दिया जाय, सुधा का काउन्टर दिया जाय ताकि वे इज्जत के साथ अपना जीवन यापन कर सकें और जो भी गरीबों के द्वारा, अनुसूचित जातियों के द्वारा जो भी मांग, खासकर मैं देखता हूँ कि गव्य विकास विभाग में, गव्य विकास के पदाधिकारियों द्वारा बैंक में कागजात एवं फार्म भेज दिया जाता है लेकिन बैंक के निष्क्रिय होने के कारण वहां पर कागज साल-दो साल तक पड़ा रह जाता है और लोन नहीं मिल पाता है जिस कारण योजनायें सफल नहीं हो पाती हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूँ कि जो मोर- मुर्गी का फार्म है, सरकार ने सबसिडी इसके लिये रखा है पर होता यह है कि हम दलितों के लिए पचास प्रतिशत जो सबसिडी है लेकिन वह सबसिडी बैंक लोन होने के बाद मिलता है । और महोदय यह आपको जानकर, पूरे सदन को, बहुत हमलोग दुःखित हैं कि अगर मुर्गी पालन के लिये, अंडे उत्पादन के लिए जो गरीब, दलित या जो समृद्ध

दलित हैं, उनके पास दो एकड़ जमीन, चार एकड़ जमीन कहां से आयेगी ? उनको जब बैक लोन देती है तो वह प्रोपर्टी मोर्गेज खोजती है, तो उनके पास प्रोपटी कहां से आयेगी । मैं सदन के माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि अनुसूचित जाति और गरीबों के लिए इसके जो क्रियाकलप है, बैंक के कार्यो को, विभाग के कार्यो को, इसको सरल किया जाय ताकि अधिक से अधिक लाभुकों को, गरीबों को इसका लाभ मिल सके, गरीबों को लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है, विभाग तो किसी तरह अपना खानापूर्त्ति कर देता है, पर बैंक जब तक प्रोपर्टी नहीं हो, जब तक बैंक में जान-पहचान नहीं हो, जब तक बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट नहीं हो तो वह लोन नहीं देते हैं जिसके कारण जो टारगेट है सरकार का, वह अधूरा रह जाता है और गरीबों का विकास, गरीबों का लाभ नहीं मिल पाता है । जैसा कि हमलोग सभी जानते हैं कि बकरी को गरीबों का ए.टी.एम. बोला जाता है और खास करके महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ा साधन है जीवन-यापन का, चाहे छोटा-मोटा बीमारी घर में हो ऐसी उपयोगिता, जब जरूरत आन पड़ती है तो लोग बकरी पालन करके, उसको बेच करके अपनी आवश्यकता की पूर्त्ति करते हैं । मैं सरकार से अच्छी और उन्नत किस्म की बकरी की नस्ल की मांग करता हूँ कि गरीब को, अनुसूचित जाति को, पिछड़े को आपका देने का जो वचन था उसे आप निभाइये ताकि गरीबें को कम से कम स्वरोजगार का साधन उपलब्ध हो क्योंकि जिस तरह से साल प्रति साल लोग पलायन कर रहे हैं और उनके पुरूष तो बाहर कमा लेते हैं और महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है । अगर वे मुर्गी पालन करेंगी, अगर वे बकरी पालन करेंगी, उनको काफी जीवन यापन में सुविधा होगी और खासकर के मैं सदन के माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूँ कि जो पशु में खास करके गाय का विकास, गाय के लिए जो उन्होंने बातें रखी है, जब हम खुद विधायक नहीं थे तो हमने अप्लाई किया था गव्य विकास में, दो साल हो गया इसका इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ, इसका कारण बैंक था । तो मैं सरकार से अनुदान चाहता हूँ कि अनुदान पहले मिल जाय, और उसके बाद गरीबों को बैंक का जो अनुदान है वह मिले ताकि उनको सुविधा हो । बैंक में एक और जरूरी होता है कि दस परसेंट आपका होना चाहिये, मान लीजिये किसी तरह से दस परसेंट उपलब्ध करा लेगा लेकिन डेढ़ एकड़ जमीन की जो उपलब्धता है उसमें उनके दिक्कत आती है क्योंकि उतनी जमीन हम गरीबों के पास नही हैं । दूसरी बात है महोदय, जिस तरह से सरकार में, अधूरा रह गये कार्यो के बारे में आपलोगों के माध्यम से चाहते हैं कि महागठबन्धन के सरकार में अधूरे रह गये कार्यों में, उसको पूरा कराने के लिए, आपलोग खास करके यह जो विभाग है इसमें आपके द्वारा मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इस पर हमलोग खास करके आवाज उठायें क्योंकि गरीबों

से, वंचितों से, शोषितों से, अनुसूचित जाति के लोगों से जुड़ा हुआ यह है, अगर एक परिवार मुर्गीपालन करते हैं, गरीब लोग बकरी पालन करते हैं तो उनका जीवन यापन होता हैं । सरकार जल्द से जल्द उनलोंगों को यह मुहैया करायेगी तो उनका जीवन यापन में, उनके जीवन स्तर में सुधार आयेगा और सरकार के कामों का ं भी लोगों को झलक आयेगी । मैं आपके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध, खास करके जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं, पशु स्वास्थ्य केन्द्र है, जहां पर आज भी सुविधा नहीं उपलब्ध है, मैं क्योश्चन के माध्यम से भी अपने क्षेत्र अलीगंज के लिए उठाया था महोदय, वहां पर दवा और डाक्टर दोनों उपलब्ध नहीं रहते हैं । मैं चाहता हूॅ कि आपके द्वारा और सदन के द्वारा खास करके वहां के, जमुई जिला के स्वास्थ्य विभाग को एवं पशु विभाग को निदेशित किया जाय कि गरीबों के लिए जो दवा आते हैं वो उपलब्ध हो क्योंकि कई दवाइयां योहीं बंट जाती है, यह गरीबों के बीच प्रचार एवं प्रसार की कमी के कारण मालूम नहीं पड़ पाता है कि जो बीमारी फैली है, वह आखिर बीमारी है क्या और उसका इलाज कैसे हो पायेगा । हमलोग जानते हैं,.....

सभापति(डा. अशोक कुमार): अब आप समाप्त करें ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : हुजूर, एक मिनट, इतना कहना चाहते हैं कि पशु पालन गरीबों से जुड़ा हुआ है और हमारे बिहार के अर्थव्यवस्था से जुड़ा क्षेत्र है, विभाग हैं, इसके द्वारा हमलोगों को खास करके पिछड़े इलाकों में जो भी योजनायें चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, इसका प्रचार, प्रसार कर क्रियान्वित किया जाय । जय हिन्द, जय बिहार ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रस्तुत बजट के विपक्ष में एवं विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूॅ । महोदय, बिहार कृषि प्रधान राज्य है । यहां के 90 प्रतिशत लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर करते हैं । पशुपालन, गांव में रहने वाले लोग, आज इससे उसका गुजारा चलता है, किसान, मजदूर, गांव के गरीब, दलित पिछड़े, अति पिछड़े का आज वही मात्र गुजारा, गुजर-बसर का है । लेकिन महोदय, दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है यह जो लम्बा-चौड़ा बजट है, पशुपालन विभाग के द्वारा पेश किया गया है, हम सभी लोग इस पवित्र मंदिर में, सभी माननीय सदस्य लोग बैठे हुये हैं, सभी लोग अपने-अपने छाती पर हाथ धर के बोलें कि पशुपालन विभाग से क्या मिलता है पशुपालकों को ? (व्यवधान) सुनिये,गाली देने का जो आदत है न, सुनिये तो, प्लीज, प्लीज, सुनिये ।

सभापति(डा. अशोक कुमार):कृपया आपस में बात न करें ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, क्या मिलता है किसानों को, आज क्या मिलता है पशुपालकों को ? कुछ मिलता है क्या ? आज हम अपने बूते पशुपालन कर रहे हैं, आज पशुपालकों को उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है महोदय । पशुपालक को दूध का उचित दाम नहीं मिल रहा है । सुधा के द्वारा गांव में दूध क्रय केन्द्र खोला गया है, जिसमें महोदय आज दुखः के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 25 रूपये लिटर गाय का दूध खरीदा जा रहा है । 25 रूपये लिटर मात्र । महोदय, 20 रूपया में एक लिटर पानी और 25 रूपया में एक लिटर दूध, जो दूध अमृत है, अमृत है। हमलोग मैट्रिकुलेशन में संस्कृत में पढ़े थे " शिशिरे ऋतु अग्नि, राजा सम्मानम्, मित्र प्रियदर्शनम्, क्षीरभोजनम् अमृततुल्यम् ", "जाड़े में अग्नि का सेवन, राजा के यहां सम्मान और मित्र का मिलन, क्षीरभोजनम्, जो खीर, जो तस्मई, उसका भोजन- यही अमृत तुल्य माना गया है ।" लेकिन 20 रूपया में महोदय इस सरकार में हमको पानी का बोतल मिलता है और 25 रूपया में एक लिटर दूध और यह सरकार के लोग पीठ थपथपा रहे हैं कि हम किसानों के लिए बजट रख रहे हैं, करोड़ में, अरबों में और खरबों में । महोदय, ब्लॉक में एक भी डाक्टर नहीं है, हम देंखे हैं दो डाक्टर होते थे एक होते थे बी.एच.ओ. और एक होते थे टी.भी.ओ. और आज चार-चार ब्लॉक पर एक मात्र टी.भी.ओ. है महोदय । एक मात्र, न पशुधन सहायक हैं, न उसका कोई कर्मचारी है न कोई टीका देने वाला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सभापति महोदय, गांव के जो क्वैक है उनके द्वारा गाय-भैंस का टीका दिया जाता है । उनके द्वारा दिलवाया जाता है । क्रमशः ..

टर्न-21/21-03-2018/ज्योति

क्रमशः

श्री सीताराम यादव : उनके द्वारा दिलवाया जाता है । महोदय, पीठ थपथपा रहे हैं, विपक्ष को गाली दे देने से, आप महान हो जायेंगे, थोड़ा सुनने की आदत डालिये और जो कमियाँ हैं विपक्ष में बैठे और पक्ष में बैठे भाई, हम सब लोग किसान हैं । हम गांव से आते हैं। हम इस कमी को दूर करें चूँकि हम सब लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं । बिहार की आत्मा गांव में बसती है, आज 80-90 प्रतिशत लोग गांव में रहे हैं जिसको हम सिर्फ गाय, भैंस पालते हैं । आज कोई भैंस पालने के लिए गांव में तैयार नहीं है, उसके जो बच्चे होते हैं चार चार पॉच वर्ष के बाद वह पाल खाता है । कोई पोसिया लिया जाता था पहले लेने के लिए वह तैयार नहीं है । गांव का नौजवान उसको पालने पोसने के लिए तैयार नहीं है बताया जाय हमारा कल क्या होगा ? दूध का उत्पादन-जनसंख्या हमारी बढ़ रही है और दूध का उत्पादन घटता जा रहा है । हम

कहॉ से लायेंगे गांव में आज नकली दही बिक रहा है नकली दूध बिक रहा है, आप भोज में जायेंगे बनावटी दही और चूंकि सरकार की तरफ से कोई सहायता उनको नहीं मिल रही है । पशु पालक को कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो कैसे चलेगा महोदय, इसपर हमको आज गहन विचार करने की जरुरत है । हम नहीं विचार करेंगे, आप गौर करियेगा महोदय, गांव की जो हमारी मॉ हैं, बहन है, बेटी है, जेठ की दुपहरिया, भादो का महीना, उमसें भरी गर्मी जो आरी खेत के मेड़ पर घास काट कर आती होगी, किसतरह उसको होती होगी परेशानी और वह घास काट कर लाती है, भैस को खिलाती है, गाय को खिलाती है दोनों टाईम दूध दूहते हैं और अपने बच्चे की मुंह की तरफ नहीं देखते और सीधे वह दूध नाप देते हैं, क्रय केन्द्र पर और डब्बा वाले को और आज उनका शोषण बिचौलिए द्वारा हो रहा है किसानों को उसका दाम नहीं मिल रहा है, हमको इसपर भी विचार करना होगा महोदय, अति गंभीर विषय है । हंसी मजाक में हम उड़ा दें, पक्ष विपक्ष हम यहॉ एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे और यह विषय निकल जायेगा, समय निकल जायेगा कोई इसमें सुधार नहीं होगा । हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री सभी विभागों में पीठ थपथपाते हैं कि हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे है हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आप कहिये इस पशुपालन पर क्या हो रहा है । इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और माननीय मंत्री नहीं हैं । जब विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, नकली मंत्री हमारे यहॉ बैठे हुए हैं और असली गायब है, यह खानापूरी है और किन्हीं को बैठा दिया जाय । ये मिट्टी का मूर्ति बनाकर भी दूध पिलाना जानते हैं, तो यही नकली मंत्री बैठा कर आज वो खानापूरी कर रहे हैं । महोदय, इनके पास कल जायेंगें, तो ये कहेंगे कि हम तो कल भर के लिए मंत्री थे । आज आप चले जाईये पारस जी के यहॉ, तो पारस जी अनुपलब्ध हैं । महोदय, अब एम्स में हैं कि कहॉ हैं, तो अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, मेरी आपत्ति है । कोई नकली मंत्री नहीं होता है, मंत्री मंत्री होते हैं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): नहीं नहीं, मंत्री मंत्री है, सरकार सरकार है ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, एक तो हमलोग कहते हैं प्रभारी मंत्री । प्रभारी मंत्री, पता है न ये बजट आज प्रस्तुत करेंगे आप पढ़ेंगे महोदय, आसन वहॉ से कहेंगे कि प्रभारी मंत्री तो एक प्रभारी मंत्री होते हैं, अब प्रभारी के प्रभारी और सपोर्टर के सपोर्टरी तो असली कहेंगे कि नकली हम क्या कहेंगे महोदय । निर्णय है, आसन से निर्देश चाहता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): मंत्री तो सरकार में निहित है ।

श्री सीताराम यादव : ठीक है, मंत्री तो सरकार हैं । सरकार मंत्री हैं और मंत्री सरकार हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आप किसान के बेटे हो, आप गांव

से आए हैं, इसपर सोचिए । माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी हमारे श्रवण बाबू बहुत पुराने सदस्य हैं, ये भी गांव से आते हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, हमको सोचना चाहिए श्रवण भाई को कि आज जो गांव की दशा है, गांव की जो दिशा है, गरीबों की जो दशा और दिशा है, उनका क्या हाल है ? लेकिन भाजपा के भाई इस चीज को नहीं समझते हैं, चूँकि वह तो पशुपालक हैं नहीं, वो तो पशुपालक हैं हमारे विनोद बाबू हमारे जिला से आते हैं । हमेशा कटाक्ष करते हैं हमलोगों पर । आप तो पशुपालक हैं नहीं, हमारे विनोद बाबू को गाय दुहने आता है क्या, भैंस दुहने आता है, तो बतायें हमारे विनोद बाबू ? महोदय, ''वो क्या जाने पीर पराई जाके पैर न फटे बेमाई-'' वह क्या जानेंगे महोदय, विनोद बाबू कैसे जानेंगे कि गाय भैंस कैसे चराया जाता है, कभी पीठ पर चढ़े हैं, भैंस के नहीं चढ़े होंगे, नहीं कभी चढ़े होंगे ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री: महोदय, पढ़ाना छोड़कर ये लोग चरवाहा विद्यालय खोल दिए थे।

(व्यवधान)

अब देख लीजिये महोदय, ये विषय को विषयांतर करेंगे ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सीताराम यादव : और हल्ला गुल्ला में विषय निकल जाय और ये जान बचाकर यहाँ से चले जायेंगे । ये जान बचाना चाहते हैं । यह भैंस की बात करते हैं, ये गांय की बात करते हैं, ये घोटाले की बात करते हैं । महोदय, इसपर हमलोग बहस करें, तो यह रण क्षेत्र हो जायेगा । युद्ध क्षेत्र हो जायेगा और विनोद बाबू आप जिस विषय को रखते हैं, हम उस विषय को सविस्तार जानते हैं । इसपर एक विशेष बैठक बुलायी जाय और इसपर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि किसने पैसा खाया, किसने नहीं खाया और कौन सजा भुगत रहा है, इसपर विशेष चर्चा होनी चाहिए । हम चर्चा चाहते हैं एक दिन का, सरकार समय निकाले और महोदय, सरकार के पास यदि हिम्मत है, तो फेस करे, हमलोग विशेष बहस चाहते हैं, गाली देने से काम नहीं चलेगा । आप सिर्फ गाली देना जानते हैं ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : हम चर्चा से कहाँ भाग रहे हैं लेकिन इसका तरीका है, अभी पशुपालन पर बहस चल रही है, सभी बातों पर चर्चा के लिए कार्य संचालन नियमावली में व्यवस्था है । उस व्यवस्था में चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है ।

श्री सीताराम यादव: आप मजाक बनाए हुए हैं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): चर्चा करवाने के लिए प्रक्रिया है ।

(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय मंत्री जी आप सुनिये न ।

(व्यवधान)

श्री सीता राम यादव : सभापति महोदय, यह घोटाले की चर्चा नहीं है, यह चर्चा पशुपालन विभाग के लिए है और सत्ता पक्ष के लोग ....

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि घोटाले पर चर्चा की जाय तो सरकार में अनेकों घोटाले हैं ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): ललित जी आप पुराने सदस्य हैं आप बात सुनिये न मेरी । आपको मालूम है कि विशेष चर्चा या चर्चा कराने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है ।

श्री सीताराम यादव : ठीक है महोदय, प्रक्रिया सिर्फ हमारे लिए नहीं हो सकती है । प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए हो सकती है । विषय है पशुपालन और ये घोटाले की चर्चा बोलते हैं । आप तय करेंगे, हिम्मत है तो एक दिन की बहस हो , अरे सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, धान घोटाला, छात्रवृति घोटाला तमाम घोटालों के जड़ में बैठे हुए हैं और केन्द्र सरकार के सी. बी.आई. के सहारे , सी.बी.आई. से मदद लेकर प्रशासन का दुरुपयोग करके आप क्या कर रहे हैं, कौन नहीं जानता है महोदय । ये लोग क्या कर रहे हैं । आज सारे इनके विभाग जो केन्द्र के इ.डी. हो इन्कम टैक्स हो, कोर्ट हो कचहरी हो सारी जगहों पर इनका किस तरह से उसमें हस्तक्षेप चल रहा है । क्या हमलोग नहीं जानते हैं । हम नहीं बोल सकते हैं । बार बार ये कटाक्ष करेंगे । पशुपालन घोटाला , अरे घोटालेबाज लोग बैठे हुए हैं यहॉ और घोटाले के दूध से पले हुए हैं । घोटाले का पैसा इनके रग रग में दौड़ रहा है और ये दूसरे को गाली देना चाहते हैं । घोटालों के पैसे पर पलने पर आज हमको घोटालेबाज कहेंगें कभी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । आपके रग में घोटाले का खून दौड़ रहा है । चैलेंज के साथ और चुनौती के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि महोदय, एक दिन का रखेंगे, बहस हो और चर्चा हो लेकिन ये हमेशा डिस्टर्ब करेंगे अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।

क्रमश:

टर्न–22/21.3.2018/बिपिन

श्री सीताराम यादव : XXX

(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया ।

(व्यवधान)

आपका समय समाप्त हो गया । बैठिये अब । सीताराम बाबू, बैठिये ।

अब अगले वक्ता माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: सभापति महोदय, आज पशु एवं मत्स्य विभाग के अनुपूरक वाद-विवाद के विचार-विमर्श पर बोलने के लिए मौका मिला है ।

XXX- माननीय सदस्य,श्री सीताराम यादव का आपत्तिजनक भाषण आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, आज पशुपालन और मत्स्य विभाग पर चर्चा चल रहा है ।

(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सीताराम बाबू, बैठिये न ! आप अपना भाषण चालू रखिए ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: महोदय, पशुपालन विभाग एक ऐसा विभाग है जिस विभाग के जरिए गांव में 86 प्रतिशत् रहने वाले लोग या तो कृषि पर आश्रित हैं या तो पशु एवं मत्स्य पर आश्रित हैं महोदय ।

(व्यवधान)

महोदय, बिहार जब आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, उस समय पशु एवं मत्स्य और पशु का जो संसाधन था, बिहारियों के लिए, देशवासियों के लिए कृषि के साथ इस विभाग का एक अलग महत्व था और आज पता नहीं, माननीय सदस्य में खामोशी देख रहे हैं, आखिर कौन-सा खामोशी, किस बात का खामोशी ? जिस विभाग से लोग खाना खाते हैं, कोई शाकाहारी खाते हैं तो कोई मांसाहारी खाते हैं। शाकाहारी खाने वालों का भी विभाग है, मांसाहारी खाने वालों का भी विभाग है और लोग खामोश हैं, किस बात की खामोशी महोदय ? हम इस सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में, जब बिहार की सत्ता उन्होंने संभालने का काम किया तो बिहार में जो पशु और मत्स्य विभाग की जो स्थिति थी, हम उस ओर जाना नहीं चाहते चूंकि सारे लोग उससे रोज अवगत हैं, पेपर से, टी.भी. से सारे लोग उससे अवगत हैं । हम उस ओर जाना नहीं चाहते हैं महोदय, लेकिन इस बात की चर्चा हम करना चाहते हैं कि पशु एवं मत्स्य विभाग जितना किसानों के लिए जरूरी है, उतना ही बिहार के लोगों के लिए पशु और मत्स्य यानी मछली जरूरी है । आज बिहार ने इस क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल किया है, लोग कहते हैं कि इस विभाग में क्या कामयाबी हासिल हुआ है ? इस विभाग में तीन-तीन फैक्ट्री लगा, फैक्ट्री कहां लगा ? माननीय सदस्य को हम बताना चाहते हैं कि फैक्ट्री लगा हाजीपुर में, हाजीपुर में दूध का पाउडर बन रहा है, बढ़िया पाउडर बन रहा है । देश में भी इसकी मांग है और विदेशों में भी मांग है । महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए खुशी है कि आइसक्रीम का फैक्ट्री कहां है तो नालन्दा के बिहार शरीफ में, पटना में और वैसा फैक्ट्री जो पूरे देश और दुनिया से उसके आइस्क्रीम की मांग है महोदय । शायद आप भी उसका सेवन करते होइएगा । महोदय, फैक्ट्री यही है। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पशु और मत्स्य विभाग का जिस तरह से चार अरब रूपए का अनुपूरक बजट लाया गया है, अब चार अरब सुनकर लोग सोचते होंगे कि यह पैसा होता है क्या ? तो चार अरब इतना बड़ा रकम तो इस क्षेत्र में

बिहारियों के लिए, पशुपालन के लिए पशु शेड बन रहा है । माननीय मंत्री ग्रामीण विकास बैठे हुए हैं, नरेगा से पशु शेड बन रहा है और अनुदान मिल रहा है । गांव में बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन सूअर पालन, सारी चीजें है महोदय । हम उस ओर नहीं जाना चाहते महोदय कि पहले पटना में देखते थे तो भैस इधर-उधर घूमते रहता था, कैसा पालन ? लेकिन आज की सरकार माननीय नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में अब लगता है कि भैस भी अब अनुशासित हो गया है महोदय । भैस इधर-उधर घूमते हुए नहीं नजर आता है । तो पशु में भी अनुशासन होते जा रहा है । हम आपसे कहना चाहते हैं कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ा है, फैक्ट्रियां बढ़े हैं, मुर्गी पालन में बिहार काफी आगे बढ़ा है । पहले लोग बाहर से, आंध्रा की चर्चा कर रहे थे, आंध्र प्रदेश अब बिहार को टकटकी लगाकर देख रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यह विकास कैसे संभव हुआ कि उनका माल आंध्र प्रदेश में ही रह रहा है ।

महोदय, आज हर गांव में हर किसान के पास एक तालाब खोदना शान है महोदय । जिन लोगों के पास अगर एक तालाब भी नहीं होगा तो उनको लोग, उनका शान और मान नजरअंदाज लोग कर देते हैं । इसलिए महोदय, आज इस विभाग में तो एक-से-एक काम किया गया। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय इसी पटना के धरती पर स्थापित हुआ । हमलोग जानते थे कि पहला विश्वविद्यालय करनाल में स्थापित है जो कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, अब यह पटना का जो पशु विश्वविद्यालय होगा, वह पूरी दुनिया का बड़ा विश्वविद्यालय होगा महोदय । इसका प्रारूप रखा गया है। हमारे मंत्री जी तो चले गए । खूब गुणगान करते थे । निश्चित तौर पर हमने कहा है कि पशु और मत्स्य के क्षेत्र में बिहार की सरकार न्याय के साथ विकास, सात निश्चय, पूर्ण शराबबंदी जिस तरह आगे बढ़ रहा है, हम तो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जिस तरह से पशुपालन और मुर्गी पालन, मछली पालन के लिए भी सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की तरह पशुपालन कार्ड देने का काम करे, तब समझेंगे कि यह विभाग कैसा है ... क्रमशः ..

टर्न : 23/कृष्ण/21.03.2018

श्री लक्ष्मेश्वर राय (क्रमशः) तब समझेंगे कि यह विभाग कैसा है ? सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को कहना चाहते हैं कि बिहार को आगे देखना चाहते हैं, बिहार के विकास को भारत के विकसित राज्यों में एक नम्बर पर देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास की गाड़ी को पशुपालन, मत्स्यपालन के साथ

हमलोगों को कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है । महोदय, हम विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं कि यह विभाग पहलेवाला विभाग नहीं है, आज का यह विभाग निश्चित तौर पर आकर्षण पैदा करनेवाला विभाग है । सबको दूध चाहिए, सबको अण्डा चाहिये, सबको मीट चाहिए, सबको मछली चाहिए । आखिर इस विभाग में एक अलग लगाव है । इसीलए आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जिस तरह से तीसरा कृषि रोड मैप बनाया गया, उसमें कृषि क्षेत्र के साथ पशु और मत्स्य को भी जोड़ने का काम किया गया है । देश और दुनिया के वैज्ञानिक यहां आने का काम किये थे और वे लोग मिल-जुल करके बिहार के पशु और मत्स्य के क्षेत्र में उन्होंने संरचना और कार्यक्रम बनाया और उस कार्यक्रम के आधार पर आज बिहार की सरकार उसको आगे लेकर चलने में निश्चित तौर पर कामयाब होगी और मत्स्यपालन के क्षेत्र में बिहार पूरे देश में एक नम्बर पर स्थापित होगा । महोदय, पहले कलंकित रूप में इस विभाग को माना जाता रहा है लेकिन अब साफ-सुथरा विभाग के रूप में स्थापित होगा ।

महोदय, हम आपका ध्यान पशु एवं मत्स्य के क्षेत्र में अपने जिला की ओर ले चलते हैं । नालन्दा जिला के गिरियक प्रखंड में फ्लू से सुअरों की मौत हो गयी थी। हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि वहां टीकाकरण नहीं कराया गया, इसलिये वहां पर टीकाकरण कराने की जरूरत है ।

सभापति (डॉ अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, एक मिनट । निश्चित तौर पर जिला पशुपालन पदाधिकारी,नालंदा को निलंबित करने की जरूरत है । महोदय, खास करके बकरीपालन, मुर्गीपालन और मत्स्य पालन को साथ मिलाकर आगे बढ़ाने की जरूरत है । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति एवं सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुये माननीय नीतीश कुमार एवं सुशील कुमार मोदी जी का जय-जयकार करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति (डॉ अशोक कुमार): माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आज बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बजट के पक्ष में और विपक्ष के माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के अगुआ, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को जिन्होंने बिगड़ी हुई पशुपालन व्यवस्था, पशुपालन विभाग को भी पटरी और रास्ते पर लाकर बिहार को दुनियां के सामने स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाई है ।

महोदय, सदन में बैठै-बैठे मैं माननीय सदस्यों का विचार सुन रहा था। हम सब लोग जो यहां बैठे हुये हैं, संघीय व्यवस्था के पोषक हैं और संघीय व्यवस्था में जब माननीय सदस्यों का विश्वास नहीं होता है, खासकर पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग

जिसपर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रहा है, उसी विषय के घोटाले में और उसी घोटाले के जांच में संघीय व्यवस्था को माननेवाले जो हम सबलोग हैं, इनको भी पता था कि बिहार की छवि दुनिया में पशुपालन के रूप में क्या थी और आज भी हम इससे परिचित हैं, पूर्णरूप से वाकिफ हैं कि हमारा बिहार जो कभी पशुपालन एवं मत्स्यपालन के क्षेत्र में कभी पीछे चला गया था, जिस विभाग को जीरो से शुरू किया था एन0डी0ए0 की सरकार ने आज सिर्फ बिहार में ही नहीं, यह बिहार भारत के नक्शे पर दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है । महोदय, एक समय था जब इस क्षेत्र में कोई उद्यमी नहीं आना चाहते थे, कोई उद्योग नहीं लगाना चाहते थे । लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किताबों में तो सिर्फ चर्चा है कंफेड और सुधा की है लेकिन आज मदर डेयरी जैसी कंपनियां बिहार में आ रही है और मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि चम्पारण के मोतिहारी में मदर डेयरी का संयंत्र लग रहा है और उसका शिलान्यास भी हो गया है । महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य आदरणीय सीताराम बाबू चले गये, वे दूध की बात बता रहे थे । महोदय, चम्पारण में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक उप कंपनी बापू धाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही है, उसके अधीन तीन जिलों को समाहित किया गया है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई किसान कह दे कि हमारे गाय और भैस के दूध का दाम मिनिमम 35 रूपये प्रति लीटर और मैक्सिमम 65 रूपये प्रति लीटर से कम मिलता है । वहां दुधरिया दूध का पैसा वसूलने नहीं जाता है, कंपनी का आदमी आता है, दूध कलेक्ट करता है, अगर एक ग्राम दूध भी उसका निकलता है तो एक ग्राम दूध का दाम भी उस में ऐड होता है, एक नया पैसा भी उसका होता है तो अंग्रेजी महीने में तीन दिन 3 तारीख को, 13 तारीख को और 23 तारीख को उसका पैसा उसके खाते में चला आता है । यह है बिहार का विकास और यह बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ा है । महोदय, पशुपालन के क्षेत्र में, मस्त्यपालन के क्षेत्र में आज निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूं कि आंध्र प्रदेश जितनी मछलियां बिहार में सप्लाई करता था, आज हम उसका 80 प्रतिशत उत्पादन करते हैं । हम अभी परिपूर्ण नहीं हुये हैं । लेकिन आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले जितनी मछलियां बिहार में लायी जाती थी, आज उसका 20 प्रतिशत मछलियां आज बिहार में लाया जा रहा है । इस प्रकार हम मत्स्यपालन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं ।

सभापति (डॉ अशोक कुमार) : आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री सीताराम यादव : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि 35 रूपये और 65 रूपये दूध का दाम मिल रहा है ।

सभापति (डॉ अशोक कुमार) : माननीय सदस्य सीताराम बाबू यह कोई व्यवस्था नहीं है । आप बैठ जाईये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य सीताराम बाबू को चैलेंज करता हूं कि आप चम्पारण में चलिये, अगर वहां के किसान 35 रूपये और 65 रूपये प्रति लीटर दूध का दाम नहीं उठा रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं सदन की सदस्यता छोड़ दूंगा, नहीं तो आपको सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी । सीताराम बाबू आप समझ लीजिये इस बात को कि अगर दूध में लगातार पानी मिलान का काम करियेगा तो आपके गाय,भैस का दूध का दाम 50 रूपये लीटर नहीं मिलेगा । इसलिए दूध को शुद्ध रखना पड़ेगा और गाय,भैस को भी ठीक से खिलाना पड़ेगा ताकि वह अधिक से अधिक फैट वाली दूध दे और तब आपको दूध का उचित दाम मिलेगा । अगर दूध में पानी मिलाईयेगा तो दूध का सही दाम नहीं मिलेगा । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि पशुओं के लिये इनडोर चिकित्सीय व्यवस्था होनी चाहिए, अधिकारी बैठे हुये हैं, हमारे सुझाव को नोट करेंगे । जैसे भारत के करनाल में, कलकत्ता के नवगछिया में और महाराष्ट्र के मुम्बई में इनडोर चिकित्सीय व्यवस्था है, उसी तरह से बिहार में भी इनडोर पशु चिकित्सीय व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि पशुओं की दवायें एवं इलाज काफी मंहगा होता है । आदमी के लिये दवा का जितना डोज होता है उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज्यादा पशुओं के लिये दवाओं का डोज होता है और जो पशुपालक होते हैं उनको पशुओं की दवायें खरीदने में काफी मंहगी पड़ती है । महोदय, हम जाते हैं अस्पताल में और इनडोर इलाज करवाते हैं लेकिन यहां पशुओं के लिये इनडोर इलाज नहीं होता है । इसलिये मैं चाहूंगा बिहार में भी पशुओं का इनडोर चिकित्सीय व्यवस्था की जाय । महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को और पदाधिकारियों को बताना चाहूंगा, आग्रह करना चाहता हूं कि यहां पशुओं की चिकित्सा के लिये मोबाईल वैन की व्यवस्था कीजिये और जो पशुपालक जहां से फोन करे वहां जाकर पशु की चिकित्सा कीजिये और पशुओं का बेहतर से बेहतर इलाज कीजिये । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हर प्रखंड में, हर अनुमंडल मुख्यालय में आप मोबाईल वेन की व्यवस्था कीजिये और पशुओं का मोबाईल वैन से इलाज हो ।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार गुजरात के आणन्द में और गुजरात के हरियाणा के करनाल में मिल्क प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है । हमारे बिहार से बहुत सारे नौजवान हरियाणा के करनाल जा रहे हैं, गुजरात के आणन्द जा रहे हैं और वे वहां मिल्क प्रोसेसिंग का काम सीख रहे हैं और मिल्क प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं ।

महोदय मैं चम्पारण के विषय में कहना चाहूंगा कि सभी आदरणीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, सभी अधिकारीगण बैठे हुये हैं । आज चम्पारण में दूध का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है । उत्तर बिहार में दूध का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है । पहले

सिर्फ सुधा कंपनी थी मुजफ्फरपुर में लेकिन आज मोतिहारी में बापू धाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी भी है और मदर डेयरी का काम भी 8-9 महीने के बाद शुरू हो जायेगा ।

क्रमशः

टर्न-24/सत्येन्द्र/21-3-18

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमशः): आप मोतिहारी के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाईए, चम्पारण के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाईए और आप जो सब्सिडी दे रहे हैं चम्पारण के लिए, उस सब्सिडी को आप बढ़ाईए और अधिक से अधिक लोगों को पशुपालन से जोड़िये ताकि यह जो विभाग है, इस विभाग से एक-एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, गांव के गरीब जुड़े हुए हैं, चाहे वे बकरी पालन के रूप में जुड़े हुए हों, मुर्गी पालन के रूप में जुड़े हुए हों, गाय पालन के रूप में जुड़े हुए हों या भैंस पालन के रूप में जुड़े हुए हों काफी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं इसलिए मेरा विनम्र निवेदन होगा आदरणीय मंत्री से भी और सभी आदरणीय पदाधिकारीगण से कि आप चम्पारण में जो सब्सिडी है उसका टारगेट बढ़ाईए, उसमें प्राथमिकता दीजिये और आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र है । महोदय, गौशाला जो आपके चल रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको भी अधिक सुविधा देने की जरूरत है, आप जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं उससे उन गौशालाओं का काम नहीं चल रहा है इसलिए उसको और अधिक सुविधा दीजिये । महोदय, आज वित्त विभाग भी है, माननीय सुशील कुमार मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को जिन्होंने इस देश में और इस बिहार में भी कुशल वित्तीय प्रबंधन किया है जो गरीब बैंकों में नहीं जाते थे, जिन गरीबों को बैंकों में जाने में डर लगता था, वे बैंक के सीढ़ियों पर लात नहीं रखते थे, आज प्रधानमंत्री जनधन खाता से रूप में जुड़े हैं । इस देश में काफी परिवारों का जनधन का खाता खुला है, उनके पास भी ए0टी0एम0 है उससे वे पैसे निकाल रहे हैं । आज डी0बी0टी0 योजना लागू हुआ है वित्तीय क्षेत्र में और इसके माध्यम से हमारे गरीब सीधे अपने बैंक खातों में पैसा मंगाते हैं और सरकार की कोई भी जो योजना है, वह सीधे गरीबों के खाते में उन योजनाओं की सब्सिडी प्राप्त होती है । महोदय, एक समय था जब कैश दिया जाता था हमलोग ब्लौक के प्रमुख थे उस समय में और किस प्रकार से उन पैसों का बंदरबाट होता था, किस प्रकार जहां पैसा बंटता था वहां दलाल खड़े रहते थे लेकिन भारत सरकार के वित्त विभाग ने और बिहार सरकार के वित्त विभाग ने जिस प्रकार से कुशल वित्तीय प्रबंधन किया है जिससे आज उन पैसों का घोटाला नहीं हो रहा है और बैंकों को हम कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ ,आदरणीय सुशील कुमार जी को भी मैं धन्यवाद

दे रहा हूँ, महोदय, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपको भी कि आपके माध्यम से इतनी सारी बातें हमको सदन में कहने का मौका मिला । आज हमलोग मत्स्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, हम प्राइवेट तालाब खुदवा रहे हैं, समेकित तालाब का भी कार्यक्रम चल रहा है, हम तालाब बनवाते हैं, खुदवाते हैं, जहां मछली का पालन होता है और उस तालाब के घाट पर हम दूसरे दूसरे तरह के पौधे को भी उपजाते हैं, हम केला का बगान लगाते हैं, परवल की खेती करते हैं बगल में, हम गाय का पालन करते हैं । (व्यवधान) अरे सीताराम बाबू, एक योजना बनाईए और चलिये मेरे यहां और मैं आपके यहां भी चलूंगा, मैं सदन में आपको चैलेंज करता हूँ आपके पास कितना तालाब है, कितना मछली का खेती करते हैं, कितना केला का खेती करते हैं, कितना गाय है आपके दरवाजे पर, मैं सदन में आपको चैलेंज करता हूँ, एक बार योजना बना दीजिये । अगर माननीय सभापति महोदय, परमीशन करें तो मैं तैयार हूँ, जब भी आप योजना बनाईए चलिये । आप तो हमारे घर के हैं, आप तो रात दिन देखते हैं, आप सीताराम बाबू को भेजिये, उनको जानकारी की जरूरत है और सीताराम बाबू चलेंगे तो बहुत सारी जानकारी लेकर हमारे यहां से आयेंगे और उनको वह लाभ पहुंचायेगा, उनकी आमदनी आगे बढ़ाने में उनको लाभ मिलेगा और वह अच्छा हमलोग का जो काम देखेंगे न, तो अच्छा काम करेंगे । गला मेरा नहीं फंसने वाला है शक्ति भाई, आपके पास शक्ति है तो उससे ज्यादा शक्ति मेरे पास है, आप इसकी चिंता मत कीजिये, आप एकदम निश्चिंत रहिये, हमारा गला नहीं फंसने वाला है । महोदय, मैं वित्तीय प्रबंधन पर बोलना चाहता था । महोदय, एक तरफ हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि हम कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं बजट कम दिया गया है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को बजट कम दिया गया है, जब वे इस बात को स्वीकारते हैं, द्विभाषीय बात बोलते हैं, जब बजट इसमें कम आया है तो फिर आप कटौती प्रस्ताव क्यों लाते हैं ? आप कहते हैं कि बजट कम है और फिर कटौती प्रस्ताव, यह तो अन्योन्याश्रय बात नहीं हुई, यह तो द्विभाषीय बात हो गयी कि आप कहते हैं बजट भी कम है, सरकार बजट भी बढ़ावे और आप उसमें 10 रू0 की कटौती भी करें इसलिए आदरणीय विपक्ष के साथियों से, माननीय सभी आदरणीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आपको ऐसे विभागों पर कटौती प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए । महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस विभाग में जो डॉक्टर है, जो नियमित डॉक्टर है, दूसरे विभाग के डॉक्टर्स को डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाता है लेकिन इस विभाग के डॉक्टरों को ए0सी0पी0 का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इस पर हमारे पदाधिकारी और मंत्री जी को विचार करना चाहिए । महोदय, जो मूल स्तर पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनको प्रोन्नति नहीं दिया जाता है, आप प्रोन्नति की भी व्यवस्था कीजिये । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं अपनी ओर से और कल्याणपुर की महान जनता की ओर से आपको सादर के साथ

आभार समर्पित करते हुए और पूरे सदन को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्री मो0 इलियास हुसैन: मैं व्यवस्था पर हूँ । सभापति महोदय, बजट के आदान प्रदान में अनुदान की मांग में कटौती प्रस्ताव पर कोई सदस्य चैलेंज नहीं कर सकता है, संसदीय सिस्टम में इसका प्रावधान है, चाहे सरप्लस बजट हो या घाटे का बजट हो, कटौती प्रस्ताव आयेगा, ये संसदीय सिस्टम का डिमांड है इसलिए इनको वापस लेना चाहिए ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) सिम्बौलिक होता है ।

श्री समीर कुमार महासेठ: सभापति महोदय, जिस समय सीताराम बाबू बोल रहे थे, सत्ता पक्ष के लोग, उसमें माननीय मंत्री भी कुछ इसमें इंभोल्व हैं तो यह अच्छा नहीं लग रहा है अगर हमलोग संसदीय परम्परा में सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं तो ..

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): पूरी कार्यवाही में उसको देखा जायेगा और जो भी कोई आपत्तिजनक बातें होगी तो उसको निकाल दिया जायेगा । अब बात खत्म कीजिये ।

श्री आनंद शंकर सिंह: सभापति महोदय, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए समय दिया गया है उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ । महोदय, भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव में किसान बसते हैं और कृषि के बाद रोजगार सृजन की क्षमता अगर है तो वह पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन के क्षेत्र में है और यह किसानों के गांव में रहने वाले लोगों के गरीबों के आय का पारम्परिक श्रोत है लेकिन उसके वाबजूद भी आज हमलोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन श्रोतों का, आय के श्रोतों का अधिक से अधिक लाभ गांव के लोगों को, गरीबों का, पिछड़ों को, किसानों को मिले । गांव में जो किसान खेती करते हैं, उसको अगर खेती में किसी प्रकार से अगर सिंचाई की कमी के चलते, ओलावृष्टि के चलते अगर उनकी खेती में कहीं उत्पादकता में कमी आती है तो उसका भरण पोषण या क्षतिपूर्त्ति गांव का किसान या तो पशुपालन से करता है, बकरी पालन से करता है, मुर्गीपालन से करता है, मत्स्य पालन से करता है । एक तरीके से अगर देखा जाय तो किसानों की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में मत्स्य पालन, पशुपालन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है मगर अफसोस है कि सरकार के द्वारा जितना भी इसका प्रचार और प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान जो दिये जाते हैं उसका अगर देखा जाय तो उन योजनाओं का लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए, जो गरीबों को मिलना चाहिए, पिछड़ों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है । पशुपालन विभाग का, गव्य विभाग का औफिस कहीं और है, चिकित्सालय कहीं और है, किसान जब आते हैं शहर में तो उनको अनुदान के लिए गब्य विकास के औफिस में चक्कर लगाना पड़ता है, औफिस में न तो पदाधिकारी मिलेगा, न कोई औफिसर मिलेगा, दौड़ते दौड़ते मैंने देखा है हमारे पास सैंकड़ों आवेदन ऐसे आते हैं, दौड़ते दौड़ते उनका चप्पल

घिस जाता है लेकिन उनको अनुदान नहीं मिल पाता है । महोदय, गरीब रोते हैं, बिलपते हैं लेकिन अधिकारियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आता है ।(क्रमशः)

टर्न–25/मधुप/21.03.2018

...क्रमशः ...

श्री आनन्द शंकर सिंह : मामलों को लटकाये रखना, उसमें भी आग में घी डालने का काम ये बैंक वाले करते हैं । अगर वहाँ से पास भी हो गया तो बैंकों के चक्कर लगाते–लगाते उनके चप्पल घिस जाते हैं, तलवा घिस जाते हैं । यह स्थिति बन गई है । इसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी तभी जाकर इसका जो लाभ है सही तरीके से आम लोगों तक पहुँच पायेगा ।

महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं औरंगाबाद, एक तरफ तो बिहार बाढ़ की विभीषिका को झेलता है, दूसरी तरफ हमारा जो क्षेत्र है वह सुखाड़ से ग्रसित है । आप बात करते हैं मत्स्य पालन की, मत्स्य पालन के लिये पानी की आवश्यकता होती है । जिन क्षेत्रों में जब सिंचाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर मत्स्य पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाय ? अभी मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ था लघु जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पॉण्ड्स, वाटर कंजरवेशन, इन सब शब्दों को मैंने पढ़ा । महोदय, अगर सही मायने में इसका लाभ देना है लोगों को तो पारम्परिक जो हमारे तालाब हर गाँव में इस तरीके की व्यवस्था थी, हर गाँव में तालाबों की व्यवस्था थी । पहले यह व्यवस्था नहीं थी कि मोटर लगा दिया, पानी खींचा और सिंचाई कर लिया । लोगों का सिंचाई का जो स्त्रोत था तो कहीं तालाब से करते थे, आहर–पईन था, कहीं न कहीं सब चीजों का अतिक्रमण कर लिया गया । सरकार का मैं ध्यान उस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराइये तालाबों को, अतिक्रमण मुक्त कराइये आहरों को, अतिक्रमण मुक्त कराइये पईन को ताकि वर्षाकालीन समय में जो पानी खेतों में आता है, वह तालाब में भी जाता है, आहरों में भी जाता है, कम से कम वहाँ पर सिंचित हो और वहाँ पर स्टोर होकर गाँव में समितियों का निर्माण कराकर वहाँ मत्स्य पालन करवाया जाय । महोदय, एक पंथ तीन काज – तालाब भी संरक्षित हो गया, पानी से सिंचाई भी हो गई, मत्स्य पालन भी हो गया, लोगों को आय का बढ़िया स्त्रोत भी मिल गया । महोदय, पारम्परिक तरीकों को संरक्षित करने की हमलोगों को आवश्यकता है । कहीं न कहीं हमलोग उसमें पीछे रह गये हैं ।

दूसरी ओर, पशुपालकों के लिये सबसे बड़ी जो समस्या है, वह चारा की समस्या है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : शॉर्ट में कनक्लूड कर दीजिये अब ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, सुखाड़ से ग्रसित हमारा क्षेत्र है, वहाँ तो चारा की समस्या सबसे बड़ी समस्या है । इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा । दूसरी ओर लोगों को पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं है तो पशुपालन के लिये पशुपालकों को कैसे प्रोत्साहन कैसे देंगे? कहाँ से वह पानी पिलायेगा ? इसकी भी समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । महोदय, मत्स्य पालन की जहाँ तक बात है, आज हमलोग जिस प्रकार से मछली के लिये आंध्र प्रदेश और बंगाल पर निर्भर कर रहे हैं, हमलोगों में क्या कमी है, बिहार में क्या कमी है ? क्या बिहार उस टेक्नॉलोजी को फौलो नहीं कर सकता है ? क्या बिहार मत्स्य पालकों की स्थिति का अवलोकन करके बिहार के मत्स्य पालकों के लिये क्या उस प्रकार की नीति को नहीं बना सकता है ? मैं अधिकारियों/पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि आपलोग गये भी होंगे, हमारे मंत्री महोदय हैं, वहाँ गये भी होंगे आपलोग तो उसका रिसर्च करके कम से कम बिहार के मत्स्य पालकों को उसका लाभ और उनकी क्या-क्या दिक्कते हैं, उनको ध्यान में रखते हुये उनको लाभ पहुँचाने का काम करें । आज हमलोग मुर्गीपालन की बात कर रहे हैं....

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब कनक्लुड कीजियेगा ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, दो शब्द हैं । आज हमलोग मुर्गीपालन की बात कह रहे हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था या तो हरियाणा से होती है नहीं तो आंध्र प्रदेश से होती है । क्या कारण है कि हम पीछे हैं ? हमारे यहाँ के लोग पूरे देश को चला रहे हैं और हमलोग हरियाणा और आंध्र प्रदेश से टेक्नॉलोजी या उनसे सहायता लेकर यहाँ पर मुर्गीपालन करने का या एग-फार्मिंग करने का काम कर रहे हैं । महोदय, यह व्यवस्था हमलोगों को सुदृढ़ अगर करना है, किसानों को, गरीबों को अगर सही लाभ देना है, तो योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से उतारना होगा, केवल पेपरों में जिक्र करके आप बिहार की जनता को ठग नहीं सकते हैं ।

महोदय, आज वित्त विभाग की भी बात हो रही थी ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिये ।

श्री आनंद शंकर सिंह : वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहे थे । महोदय, इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, विजय माल लिया और भाग लिया, इन्हीं की सरकार में माल लेकर भाग गया, नीरव मोदी, ललित मोदी, मोदी शब्द घोटालों का पर्याय बन चुका है । इन सब बातों पर भी ध्यान देना होगा ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : समाप्त कीजिये, समय का अभाव है ।

माननीय सदस्या श्रीमती समता देवी ।

श्रीमती समता देवी : सभापति महोदय, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर द्वारा बनाये हुये संविधान के प्रावधान के तहत बनाये गये विधान सभा में बोलने के लिये मैं खड़ी हूँ । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिये, इसके लिये भी आपको धन्यवाद देती हूँ ।

साथ-ही-साथ, मैं माननीय लालू यादव जी को धन्यवाद देती हूँ, माननीया राबड़ी देवी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि विधायक बनाकर इस लायक काम किये कि आज आपके सामने मैं बोलने के लिये खड़ी हूँ ।

महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के माँग पर प्रस्तुत बजट के विरोध में एवं विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ी हूँ । महोदय, बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिये पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य संबंधी रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । महोदय, बजट को देखने से स्पष्ट होता है कि कृषि की तुलना में पशुपालन पर सरकार की इच्छाशक्ति कमजोर नजर आ रही है। जहाँ कृषि में अनुदान की एक लम्बी श्रृंखला चल रही है लेकिन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में इक्का-दुक्का अनुदान छोड़कर किसी तरह का अनुदान नहीं है । जहाँ कृषि का भारी-भरकम बजट होता है, वहीं पशुपालन का बजट बहुत ही कम रहता है जबकि कुल जी0डी0पी0 में पशुपालन का प्रतिशत योगदान कृषि से ज्यादा है ।

महोदय, राज्य में गरीब पशुपालक के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । जब उसका पशु बीमार पड़ता है तो उसके बीमार पशुओं का इलाज पशुपालक के घर पर उचित खर्च और उचित तकनीक के साथ हो सके । वर्त्तमान सरकार द्वारा प्रखंड/अनुमंडल/जिला स्तर पर पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है जहाँ पर बीमार पशुओं को लाकर इलाज कराया जा सकता है लेकिन विडम्बना यह है कि राज्य के अधिकांश पशु चिकित्सालयों में न तो वर्ग-4 के कर्मचारी हैं और न ही समुचित दवा एवं अन्य सामग्री उपलब्ध है । महोदय, जैसा कि हम सभी अपने विधान सभा क्षेत्र में देखते हैं कि यदि किसी की गाय बीमार हो जाती है तो सरकारी चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती है जिससे विवश पशुपालक गाँव के अगल-बगल के झोला-छाप के द्वारा इलाज कराते हैं जिसमें चिकित्सा गुणवत्ता का घोर अभाव होता है, साथ-ही किसानों का आर्थिक शोषण भी होता है ।

महोदय, पशुपालन में अधिकांश महिलाओं का योगदान रहता है लेकिन सरकार द्वारा इस बजट में महिला पशुपालकों के लिये प्रशिक्षण, अनुदान एवं अन्य सहयोग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो सरकार के महिला सशक्तिकरण अभियान को मुँह चिढ़ा रहा है । महोदय, पशुपालन, मुर्गीपालन, गौ-पालन, बकरी पालन एवं अन्य तरह की रोजगार ग्रामीण परिवेश में महिलाओं द्वारा अपने जीविकोपार्जन के लिये किया जाता है लेकिन इस बजट में इन गरीबों को अनुदान की व्यवस्था की गई है परन्तु विभागीय लाल-फीताशाही एवं बैंकों के अनियमितता के कारण इस योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता है और बिचौलियों के बीच में राशि के बंदरबाँट का माध्यम बना हुआ है । पशुपालन रोजगार में सरकार द्वारा जो भी अनुदान एवं सहायता

राशि दी जाती है, वह बिचौलियों एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से उचित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाती है ।

महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन अन्तर्गत गब्य विकास निदेशालय का कार्य है, मुझे बताते हुये बहुत हैरानी हो रही है कि जिस निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रूपया अनुदान दिया जाता है, इसका कार्यालय राज्य के सभी 38 जिलों में नहीं है । महोदय, यह एक गम्भीर मामला है कि किसी विभाग का कार्यालय जब जिला स्तर पर नहीं हो तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक अनुदान की राशि कैसे पहुँच सकेगी । जबकि गब्य विकास का कार्यालय 9 कमीश्नरी, 38 जिलों एवं सभी अनुमंडलों में होना चाहिये जैसे कि अन्य विभाग का होता है । सरकार की गब्य विकास की योजनाएँ बहुत ही अच्छी है। सरकार द्वारा इसमें प्रतिवर्ष करोड़ो-करोड़ अनुदान भी दी जाती है । लेकिन सही मूल्यांकन नहीं होने के कारण गरीब पशुपालन लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं । महोदय, इस विभाग में मत्स्य विभाग का भी कार्यालय है । बड़े संयोग की बात यह है कि पटना स्थित ठीक विधान सभा के ठीक बगल में मत्स्य विभाग का तालाब अवस्थित है । दूसरा तालाब विद्यापति मार्ग में अवस्थित है । दोनों तालाब राजधानी में है ।

...क्रमशः...

टर्न-26/आजाद/21.03.2018

..... क्रमशः .....

श्रीमती समता देवी : लेकिन मत्स्य उत्पादन के कार्य बन्द हैं । इसी तरह से पूरे राज्य में मत्स्यपालन के कार्य प्रणाली को मापा जा सकता है । महोदय, मत्स्यपालन में राज्य में वृद्धि हुई है लेकिन राज्य के मांगों के अनुरूप बहुत ही कम है, आज भी अन्य प्रदेशों पर निर्भर करता है । महोदय, राज्य में बिहार पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है लेकिन विश्वविद्यालय के लिए जितने प्रक्षेत्र दिया गया है, उसमें से एक-दो छोड़ दें तो सभी मृतप्रायः हैं । महोदय, जब किसी प्रदेश में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो यह माना जाता है कि पशु चिकित्सा विज्ञान में नई क्रांति प्रदेश में आयी है। उसे बिहार राज्य में भी लाना चाहिए जो कि अब तक नहीं हो रहा है ।

महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन के अन्तर्गत ही कम्फेड भी कार्यरत है । सुनने में तो यह सरकारी संस्था लगता है और किसानों के लिए बहुमूल्य धरोहर जैसा होगा । लेकिन महोदय इस सरकारी संस्था के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधि पशुपालन के क्षेत्र में भी की जा रही है । इनका कार्य क्षेत्र पूरा बिहार है लेकिन यह भी कुछ गिने-चुने जिले में सिमटकर रह गई है ।

महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन एक तकनीकी विभाग है । जिससे पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है

लेकिन वर्तमान में करीब 12 वर्षों से पशु चिकित्सकों की बहाली नहीं हुई है और न पशुधन सहायकों की बहाली हुई है । जिसके कारण हजारों पद रिक्त है । जब विभाग में पद ही रिक्त है तो सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे हो रहा है ? इसपर विचार करने की जरूरत है महोदय । महोदय, राज्य में विभिन्न तरह के उत्पादों की बिक्री हेतु कहीं न कहीं स्थल चिन्हित है लेकिन दूध उत्पादन के लिए यदि इक्का-दुक्का जगह छोड़ दिया जाय तो कहीं संगठित दूध बिक्री केन्द्र दूध उत्पादकों के लिए नहीं बनाया गया है, इसको कम से कम प्रखंड स्तर पर जरूर होना चाहिए । महोदय, इस बजट में पशु बीमा योजना भी नहीं है । जबकि पशुपालकों के हितों के लिए, रक्षा के लिए राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा सरकार के द्वारा करायी जानी चाहिए, जो वर्तमान में बजट में नहीं है । महोदय, मत्स्यपालकों एवं अन्य कामगारों के लिए बीमा योजना है लेकिन पशुपालकों के लिए कोई बीमा योजना नहीं है । जो कि इस बजट में होना चाहिए । महोदय, मत्स्यपालकों के लिए आवास योजना भी है लेकिन पशुपालकों के लिए कोई आवास योजना नहीं है, उसे भी होना चाहिए ।

महोदय, अन्त में मेरा सुझाव होगा कि राज्य में राईट टू एनीमल हेल्थ लागू किया जाय, जिसमें गरीब पशुपालकों की बीमा, पशुओं के चिकित्सा का अधिकार उसे प्राप्त हो । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोज नई-नई घोषणा करते हैं और दम्भ भरते हैं, कहते हैं कि ऐसा करने वाला देश का यह पहला राज्य है, उसी तरह राईट टू एनीमल हेल्थ लागू करें ताकि इससे देश ही नहीं विश्व का पहला राज्य बनेगा । साथ ही महिला पशुपालकों को विशेष सहायता, प्रशिक्षण, अनुदान एवं अन्य प्रकार की लाभकारी योजना प्रदान करें क्योंकि इस बजट में बहुत सारी खामियां हैं । इसलिए मेरा सदन में अनुरोध है कि सभी माननीय अपनी अन्तर्रात्मा की आवाज पर कटौती प्रस्ताव का समर्थन करें ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कर दीजिए । समय का अभाव है ।

श्रीमती समता देवी : सभापति महोदय, एक लाईन और बोलना चाहती हूँ । मैं कहना चाहती हूँ सर कि आपने लालू को नहीं एक विचार को कैद किया है । यही विचार आपके अहंकार को चूर-चूर कर देगी । मैं कहना चाहती हूँ सर, बार-बार पशुपालन घोटाले के बारे में हमारे नेता के बारे में लोग विरोध में बोलते हैं । मैं कहना चाहती हूँ कि सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, अनेकों घोटाले हुये हैं, इनमें छेद है । कहावत है कि चोर ने मचाया शोर, इसीलिए बी0जे0पी0 के लोग, जदयू0 के लोग शोर मचाते हैं । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

श्री ललन पासवान : महोदय, गाय और पशुपालन एवं मत्स्यपालन है, किसानों के लिए यह राज्य कृषि प्रधान राज्य है । यह देश भी कृषि प्रधान है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : दो मिनट में समाप्त कीजियेगा ।

श्री ललन पासवान : एक-दो लाईन ही बोलना है महोदय, सरकार के जवाब में ही एक-दो मिनट बढ़ा दीजियेगा सर ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । बोलिए ।

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं पहाड़ के तरफ ही जा रहा हूँ, चिन्ता मत कीजिए । महोदय, सरकार कई काम कर रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, श्री सुशील कुमार मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ । दूध में, मछली में बिहार विकास के रास्ते पर है । महोदय, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे यहां बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन होता है कैमूर पहाड़ियों पर और आज के तारीख में देशी गाय जो नस्ल की देशी गाय है । मैं नहीं, पूरी दुनिया में देशी गाय पर रिसर्च हुआ और देशी गाय के दूध से कैंसर का ईलाज शुरू है और बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है, हरियाणा में हरियाणगी गाय पायी जाती है, यह अलग गाय पायी जाती है लेकिन बिहार ही ऐसा राज्य है, जहां देशी गाय पायी जाती है । देशी गाय से लिवर का, कैंसर का सबसे बड़ा ईलाज होता है । हमारा कैमूरांचल का पूरा कैमूर पर्वत पर एक-दो नहीं, कई लाख पशुपालक वहां रहते हैं और गर्मी के समय में, अभी पानी के अभाव में वहां से पशु उतारे जा रहे हैं । महोदय, हम कहेंगे सरकार से कि वहां नदियां हैं, उनको बांधकर के पशुओं के पीने का पानी का इन्तजाम होना चाहिए ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

हमारे यहां पहाड़ पर पानी के अभाव में सब पशु मर जाते हैं । वहां अच्छे नस्ल का, देशी नस्ल का साढ़ होना चाहिए । वहां साढ़ नहीं है, पशु इसलिए वहां गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलता है । पशुपालक, वनवासी, आदिवासी और शक्ति सिंह यादव जी के गोतिया भी सब लोग पशु को उतार लेता है पानी के अभाव में । इसलिए महोदय, पशुपालन इस राज्य को अगर विकास के रास्ते पर ले जाना है तो कृषि को हमको मजबूत करना चाहिए, जिसमें पशुपालन महत्वपूर्ण है । महोदय, मैं आसन से कहना चाहता हूँ कि कैमूरांचल में पशुओं के लिए पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा और वहां सरकार से हम कहना चाहते हैं कि वहां अच्छे नस्ल का साढ़ जो पानी के अभाव में पशु पहाड़ से नीचे चले आते हैं .....

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललन पावान : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग लगता है कि सरकार के एजेंडे से बाहर जा रहा है । जिस तरह से गांवों से बैल गायब हो रहे हैं, पशुपालन का एजेंडा भी गायब हो रहा है । प्रखंडों में कार्यालय नहीं हैं, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, एक डॉक्टर तीन प्रखंड

देखते हैं । सहार में फोन कीजिए तो वे कहते हैं कि तरारी में हैं, तरारी फोन कीजिये तो वे कहते हैं कि हम पीरो में हैं तो इसको ठीक किया जाय । जिला पशुपालन कार्यालय, हमलोग देखते हैं कि वहां पर एक-एक ऊँगली धूल जमा रहता है। तो यह पशुपालन को ठीक-ठाक किया जाय इसलिए कि यह पशुपालन का जो आधार है, कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई है । जो गवई मेले लगते थे, हमारे जिले में श्रीपालपुर, मोफ्तीबाजार, गड़हनी और अगिआंव में बड़ा मेला लगता था, लेकिन वहां सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है । वहां पर पानी की सुविधा नहीं, रोशनी की सुविधा नहीं, शौचालय की सुविधा नहीं और पिछले ही साल गड़हनी में एक बिजली के पोल में सटकर तीन किसान मर गये, 6-7 भैंसे मर गई और यह कहा जा रहा है कि खुब लाभ दिया जा रहा है किसानों को । अभी एक अरैला गांव है महोदय, जगदीशपुर प्रखंड का अरैला गांव में 40 पशुओं की खरीद हुई पिछले साल लेकिन एक भी पशु पर सब्सिडी नहीं मिला, बिचौलिये खा गये । पता कर लिया जाय, यहां अधिकारी बैठे हुए हैं और सरकार ने जो 2011 में कृषि रोड मैप पेश किया । एक साल तक सुधा दाना पर सब्सिडी मिला किसानों को, बाकी सालों में सरकार ने बन्द कर दिया । कीटनाशक, नमक, लीटर सब गायब । महोदय, ...

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार ।

श्री अरूण कुमार (क्षेत्र सं0-75) : महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के विपक्ष में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं गौरवान्वित हूँ, मैं किसान हूँ और किसान परिवार से आता हूँ और गांव के रहने वाला हूँ । महोदय, भारत का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है और भारत के इतिहास को गांव-गरीब-किसान-मजदूर से जोड़कर के ही उसको उन्नत किया गया है । यही देश था आजादी के पहले दूध-दही की नदियां बहती थी, गांव मालामाल था, किसान सुखी सम्पन्न थे, गांव में कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग का जाल बिछा हुआ था और ढ़ाका का मलमल दुनिया में बेहतरीन था । आजादी के बाद एक वर्ग के लोग जो विदेशी हिन्दु हैं और वे लोग उन लोगों को जो इस देश में रहने वाले जिनकी आबादी 90 फिसदी हो, चाहे वह गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले नाई हो, निषाद हो, नागर हो, नोनिया हो, केवट हो, धानुक हो, अमात हो, कमात हो, सोनार हो, चमाड़ हो, तेली हो, बनिया हो, जिनका लगान जिनका पेशा जिनके बाप-दादों ने खेत-खलिहान में करनी-बसूली, छेनी-हथौड़ी से काम किया है, उनको यहां की पूँजीपतियों ने, यहां के सामंतशाहियों ने जिस ढंग से अपमानित किया, आज उसका उदाहरण डॉ0 भीमराव अम्बेदकर हैं, गाँधी की हत्या है, कर्पूरी ठाकुर हैं ,

..... क्रमशः .....

टर्न–27/अंजनी/दि0 21.03.18

..क्रमशः...

श्री अरूण कुमार : क्रमशः... भिन्न–भिन्न प्रकार से लोगों को उस वर्ग के लोगों को जो स्वदेशी हिन्दू हैं उन्हें रार, सोल्कन, पचपनिया, छुद्र, गंवार कह कर खबास बना कर अपमानित किया, आज वही परिवार के लोग खेतिहर हैं, पशुपालक हैं, मुर्गी पालक, मछली पालक हैं लेकिन आज वे लोग अपमानित हो रहे हैं । आज किसान का बेटा खेती करना नहीं जानता है, आज वह दो सौ रुपया का पान की दुकान खोल कर जीवन यापन करना चाहता है लेकिन किसान का बेटा खेत पर नहीं जाता है । उसका कारण है कि किसान को उनके मूल्य का, उनकी लागत का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है । आज केन्द्र सरकार के मंत्री हों या राज्य सरकार के मंत्री, मंत्री जी बैठे हुए हैं मेरी चुनौती है कि काली गाय–काली भैंस एक जगह बांध दिया जाय, सूअर और बकरी को एक जगह बांध दिया जाय, गेहूँ और जौ को एक जगह कर दिया जाय, न तो कृषि मंत्री बता सकते हैं और न पशुपालन मंत्री बता सकते हैं, यह मेरा अपना दावा है । दुर्भाग्य है कि आज जो लागत हमलोग खेत में देते हैं तो उसकी लागत का आधा भी हम लोगों को नहीं मिलता है और आज 1500 रुपया क्विंटल धान है, 1800–1900 रुपया गेहूं है । हमलोग पूरा व्याकुल रहते हैं, न तो लोन चुकता कर पाते हैं, न खाद बीज समय पर दे पाते हैं और एन.डी.ए. की सरकार जो हाथ फैला–फैलाकर, चिल्लाकर किसानों की बात बोलते हैं, किसानों के सामानों की बात बोलते हैं तो इतिहास गवाह है कि 22000 किसान नदी में छलांग लगाकर डूबकर मर गये, रेल में कट कर मर गये, फांसी लगाकर मर गये और .. .

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह सदन की कार्यवाही से निकाल दी जायेगी ।

(व्यवधान)

निकाल दिया गया ।

श्री अरुण कुमार : आज पशुपालक की कोई सुनने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समाप्त करिये ।

श्री अरुण कुमार : आज पशुपालक की कोई सुनने वाला नहीं है । आज हेचरी नहीं है, विधान सभा के बगल में एक पोखरा है, आप श्रीमान् देख लीजिये जिस समय हम वहां पढ़ते थे, 1972 में मछली पालन होता था और आज वहाँ कुछ भी नहीं है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये । माननीय सदस्य ने जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है उसे कार्यवाही से निकाला जाता है । अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या- 2 के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के वाद-विवाद में जिन माननीय सदस्यों के द्वारा, माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय सदस्य डॉ0 मेवा लाल चौधरी, माननीय सदस्य श्री राजीव नंदन जी, माननीय सदस्या श्रीमती भावना झा जी, माननीय सदस्य आलोक कुमार मेहता जी, माननीय सदस्य उमेश सिंह कुशवाहा जी, माननीय सदस्या श्रीमती अरूणा देवी, माननीय सदस्य बंटी चौधरी जी, माननीय सदस्य श्री सीताराम यादव जी, माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी, माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी, माननीय सदस्य श्री आनंद शंकर सिंह, माननीय सदस्या श्रीमती समता देवी जी, माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी, माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी एवं माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार जी, सभी माननीय सदस्यों का मैंने भाषण सुना और सुनने के बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि जब यह सरकार सत्ता में आयी तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग वाकई देश और समाज के उन गरीब सुदूर इलाकों के लिए सबसे अहम् विभाग है और यह बहुत ही अहम् चीज है लेकिन मैं थोड़ा पहले विगत में जाना चाहूंगा, जिन माननीय सदस्यों के द्वारा इसपर वाद-विवाद करते हुए अपने बहुत से विचारों को प्रकट किया गया, अगर ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गांवों के लिए, चूंकि 80 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं और इस विभाग से संबंधित गांव में ही रहने वाले लोग ही इससे लाभान्वित होते हैं । उस समय इस विभाग में योजनाओं पर खर्च नहीं की जाती थी और योजनाओं का बजट क्या होता था, केवल 4 करोड़ 92 लाख का लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के रहनुमाई में जब यह सरकार बनी और जब इन्होंने इस विभाग को देखा कि यह विभाग गरीबों के लिए, गांवों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसमें दर्जनों योजनाओं को शामिल किया । आज किसी माननीय सदस्य के, एक चीज मैं बड़े गर्व से सलाम करता हूँ इस सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को कि यह इस देश का पहला राज्य है, कोई कहता है कि हॉस्पीटल नहीं है, यह देश का पहला राज्य है बिहार, जहां रविवार को भी जिला में पशुपालन हॉस्पीटल चलाया जा रहा है । यह पहला राज्य है और कोई कहता है कि

(व्यवधान)

संडे को भी हॉस्पीटल खुला रहता है । इन लोगों को कामों से मतलब है नहीं, विवादों से मतलब है । ये विवाद करते रहे, विवादों में लोगों को उलझाये रहे, इन लोगों ने विकास को कभी जाना नहीं कि विकास किसे कहा जाता है, योजना किसे कहा जाता

है। इन लोगों में केवल एक भाई हमारे सीताराम जी बोल रहे थे कि आप भैंस की पीठ पर बैठे हैं तो मैं एक चीज बता दूं कि इन लोगों ने

(व्यवधान)

आप बैठिए, सुनिए । पहले सुनिए तो ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इधर देखकर बोलते रहिए ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : इन्होंने कहा कि भैंस की पीठ पर बैठे हैं तो ये 15 वर्ष तक लोगों को स्कूल नहीं दिखाया, शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाया, विकास का पाठ नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो क्या ? रेगिस्तानों, सुनसानों में चरवाहा विद्यालय में ले जाकर भैंस चराने का पाठ पढ़ाया ।

(व्यवधान)

इसलिए इनलोगों को भैंस की पीठ दिखायी दे रही है । इन लोगों के आज जिला में आज रविवार को भी हॉस्पीटल चलाया जा रहा है, यह इनको नहीं दिखायी पड़ रहा है । महोदय, इस विभाग के अंतर्गत अनेक योजनायें ली गयी है । सरकार पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के माध्यम से टीकाकरण का कार्य कराया गया है । एम्बुलेट्री भान के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की योजना सभी जिलों एवं राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है । बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, हमारे नेता ने इस विभाग में भी विश्वविद्यालय स्थापित किया, इस विभाग से संबंधित जो हैं उनको शिक्षित बनाया जा सके, प्रशिक्षण दिया जा सके । इन लोगों ने चरवाहा विद्यालय खोला। समाज को नहीं पढ़ाया, विकास का पाठ नहीं पढ़ाया और आज वही पाठ पढ़कर आ गये हैं । ये वही बात करेंगे ।

(व्यवधान)

हम तो सब ठीक कर देंगे, हमें मौका तो दीजिए । इसी तरह से दुग्ध पाउडर संयंत्र की स्थापना हाजीपुर में स्थापित की गयी है । आईसक्रीम प्लांट की स्थापना जो पटना एवं नालन्दा जिला में स्थापित है । दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना– इस योजना के तहत 1750 स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना का कार्यक्रम प्रगति पर है । समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 10 हजार क्षमता के 16 इकाई एवं 5 हजार क्षमता के 19 इकाई लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु अनुदान का वितरण किया गया है ।

(व्यवधान)

टर्न–28/शंभु/21.03.18

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : चूंकि इन लोगों ने भाड़े पर लाया । मैं थोड़ा जाना चाहता हूँ मैं वहां से.....

(व्यवधान)

नहीं सुनिए । मैं वक्तव्य जो है । इनलोगों ने माई समीकरण माई के संतान दो- इन लोगों ने 15 वर्ष.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जब इनकी बात हम नहीं सुन रहे हैं तो आप कैसे सुन लेते हैं ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे सुनकर उनको भी जवाब देना है कि वह समाज को जानें, भाषा को समझें, विभाग क्या होता है, सरकार क्या होती है यह समझें ।

(व्यवधान)

वह जो भाषा कह रहे हैं वक्तव्य की । इनलोगों ने जो वक्तव्य दिया मैं उस वक्तव्य को देना चाहता हूँ कि माई समीकरण एम प्लस वाई तो माई के दो संतान- इन्होंने मुस्लिम और यादव को माई बताया । माई शिक्षा देती है कि तुम समाज की रक्षा करो, मान सम्मान की रक्षा करो, राज्य को विकसित करो, राज्य को विकास की दिशा दो, लेकिन इन लोगों ने सत्ता भोगने में ऑन एम0वाई0 समीकरण का प्रयोग किया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, बात पशुपालन विभाग को लेकर हो रही है कि कैसे उसको हमलोग और बेहतर करें और सरकार का क्या काम रहा, बजट में कितना पैसा खर्च किया- मंत्री जी पता नहीं इधर उधर चले जाते हैं, चरवाहा विद्यालय का अगर कॉन्सेप्ट भी पूछा जाय तो.....

अध्यक्ष : अब आयेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : नहीं-नहीं एक मिनट महोदय । चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट भी पूछा जायेगा तो उनको एक चीज नहीं पता होगा कि चरवाहा विद्यालय का मकसद क्या था। उनकी जानकारी के लिए बस दो चीज हम बताना चाहेंगे- चारवाहा विद्यालय पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, दलित, महादलित जो शिक्षा

(व्यवधान)

सलाह दे रहे हैं न । हो गया बस, गरीब की बात करते हैं तो आपलोग यही कीजिएगा बस । चलिये जो भी था गरीबों के हित के लिए था और युनाइटेड नेशन ने भी चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट को एप्रीशियेट किया था । आपलोग क्या जानियेगा ।

अध्यक्ष : चलिए, माननीय मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य जारी रखिए ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । मुझे गरीब की परिभाषा उनसे सीखने की जरूरत नहीं है । मैं खुद गरीब हूँ, मैं खुद गरीब हूँ । मैंने गरीबों को नहीं देखा है...अरे बात सुनिए, मैंने गरीबी को देखा है और वह जो गरीब की बात बता रहे हैं तो गरीब की परिभाषा बताने की आवश्यकता हमको नहीं है ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अब रहा जिन माननीय सदस्यों ने जो बात कही है उन सदस्यों की बात सुनिए। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है । गरीबों का नाम लेकर सारी दुनिया देख रही है कि बिहार कहां है ? गरीब का बेटा कहकर बिहार को लूटने का काम किया और ये लोग गरीबी का पाठ पढ़ाने आये हैं । अकलियतों को बेचकर मशीन समझा और ये गरीबी का पाठ पढ़ाने की बात करेंगे ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

लौटरी में सदन में आनेवाला लोग मुझे गरीबी का पाठ पढ़ायेंगे ? अपने सेल्फ मेड बनकर आये रहते । राजयोग मिल गया परिवार के नाम पर और अपने को नेता कहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता बन गये । अरे सभी लोग वैसे हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है ?

अध्यक्ष : अब विषय पर आ जाइये ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : जरूरी था सर ।

अध्यक्ष : सब है लिखा न ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो भाषा जो समझे तो बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा है कि जो भाषा जो समझे.....

अध्यक्ष : वह तो समझकर चले गये, अब सदन की भाषा बोलिये न ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब तो ये लोग चले गये, कटौती प्रस्ताव- इन लोगों का तो यही काम है । हम जानते हैं कि ये लोग फेस नहीं कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, ब्रुड बैंक की स्थापना, फिश फीड मिल की स्थापना, हैचरी का निर्माण, फिश फेडरेशन की स्थापना, पूरक आहार की योजना, मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन, ट्यबवेल/पम्पसेट का अधिष्ठापन, प्रथम वर्ष इनपुट की योजना का क्रियान्वयन । अतः उपरोक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजानात्मक स्कीम एवं गैर योजनात्मक स्कीम (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के सफल क्रियान्वयन हेतु क्रमशः राशि कुल 4 अरब 36 करोड़ 22 लाख 40 हजार एवं कुल 2 अरब 82 करोड़ 28 लाख 56 हजार अर्थात् कुल 7 अरब 18 करोड़ 50 लाख 96 हजार मात्र व्यय को वहन करने के लिए उपस्थापित बजट प्रस्ताव में माननीय सदस्यों की स्वीकृति हो । यह प्रोसिडिंग का पार्ट हमारे वक्तव्य के साथ इसको शामिल कर लिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जो सदन पटल पर दस्तावेज रखा है वह उनके वक्तव्य का और सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटायी जाय ।''

''यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।''

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 7,18,50,96,000/-(सात अरब अठारह करोड़ पचास लाख छियानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

टर्न-29/ अशोक/ 21.03.2018

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-24(चौबीस) है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

पशुपालन

1. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 2017–18 में की गयी ।
2. राज्य के सभी जिला मुख्यालय में एक –एक एवं पटना जिला में तीन (दानापुर, बाकीपुर एवं पटना सिटी) पशु चिकित्सालय में सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे (24 X 7) पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3. राज्य में बड़े पशुओं (गाय, भैस बाछा, बाछी, पाड़ा, पाड़ी) एवं छोटे पशुओं (भेड़, बकरी) का बड़े पैमाने पर निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। बड़े पशुओ में खुरहा मुहपका एवं गलाघोटू रोग के विरूद्ध टीकाकरण किया गया है। छोटे पशुओ में पी०पी० आर० रोग के विरूद्ध टीकाकरण किया गया है। इसके अलावे चार से आठ माह के बाछी एवं पाड़ी में ब्रूसलोसीस रोग के विरूद्ध टीकाकरण अभियान चलाया गया है।
4. राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति के पुशपालक के पशुओं का निःशुल्क अन्तः कृमिनाशन हेतु पूरे राज्य में दवा का वितरण किया गया है।
5. **मुर्गी विकास योजनाः**– इसके तहत दो प्रकार की योजनाए संचालित की जा रही है।

(क).अण्डा उत्पादन में बृद्धि हेतु निजी क्षेत्र में दस हजार एवं पांच हजार क्षमता के लेयर पॉल्ट्री फार्म के स्थापना पर समान्य जाति को 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 40 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था के साथ–साथ बैंक ऋण के ब्याज पर 4 वर्षो तक 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

(ख).अण्डा एवं मुर्गी मांस में वृद्धि हेतु जीविका के माध्यम से बी०पी०एल० परिवारों के बीच लो इनपुट प्रजाति के 28 दिवसीय चूजो का अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है। इसके अलावे कुक्कुट प्रक्षेत्र पटना एवं भागलपुर से 25 लो इनपुट प्रजाति के 28 दिवसीय चूजों का अनुदानित दर पर गरीब परिवार वितरण किया जाता है।

6. **बकरी विकास योजनाः**– इसके तहत दो प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है।

(क).निजी क्षेत्रो में 20 बकरी +1 बकरा के फार्म के स्थापना लागत 2 लाख रूपये पर 50 प्रतिशत यानि 1 लाख रूपये अनुदान की व्यवस्था तथा 40 बकरी + 2 बकरा के फार्म के स्थापना लागत 4 लाख रूपये पर 50 प्रतिशत यानि 2 लाख रूपये अनुदान की व्यवस्था। इसके तहत 371 लाभूकों का चयन किया जा चूका हैं साथ ही 7 सौ लाभूकों के चयन की कार्रवाई की जा रही है।

(ख).जीविका के माध्यम से गरीब बकरी पालकों/ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच तीन प्रजनन योग्य बकरी की एक इकाई का निःशुल्क वितरण किया जा रहा हैं। इसके तहत अब तक 1720 परिवारों के बीच बकरी इकाई का वितरण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट उपस्थापना के समय माननीय विभागीय मंत्री के बजट भाषण हेतु सामग्री ः–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आज बड़े हर्ष के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट कुल ₹ 718.5096 करोड़ (₹ 07 अरब/18 करोड़/ 50 लाख/ 96 हजार) मात्र का विधान मंडल के सदन पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

महोदय एन0डी0ए0 सरकार के सत्तासीन होने के पूर्व इस विभाग का वार्षिक बजट कुल ₹ 492.00 लाख (04 करोड़/ 92 लाख) मात्र का था तथा गरीबों के कल्याण हेतु कोई महत्वकांक्षी योजनाएँ क्रियान्वित नहीं थी।

महोदय एन0डी0ए0 सरकार के सत्तासीन होने के बाद इस विभाग द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है तथा विभाग का बजट आकार प्रतिवर्ष गुणोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर है। इसी का परिणाम है कि आज वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल ₹ 718.5096 करोड़ (₹ 07 अरब/ 18 करोड़/ 50 लाख/ 96 हजार) मात्र का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

विदित हो कि यह विभाग दिन–प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस विभाग के तीनों प्रक्षेत्र यथा पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ क्रियान्वित किये जा रहे है, जो गरीबों तथा किसानों के समाजिक एवं आर्थिक संवृद्धि में गुणात्मक वृद्धि करने में समर्थ होगी।

महोदय कृषि सप्तरंगी क्रान्ति तभी संभव है, जब कृषि के साथ इस विभाग को प्राथमिकता दी जाय। मेरे सरकार द्वारा इस विभाग को भी प्राथमिकता दी गई है अन्यथा इस विभाग का बजट आकार इतना बड़ा आज नहीं होता। जिसका संक्षिप्त विवरण मोटे तौर पर निम्न प्रकार है:–

क्र० सं०	योजना का नाम	कब से	उपलब्धि एवं लाभान्वितों की संख्या
01.	पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम	1985 से कार्यान्वित है।	वित्तीय वर्ष 2017–18 में पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के माध्यम से 154.9608 लाख पशुओं को एफ०एम०डी०टीकाकरण, 160 लाख पशुओं को एच०एस०बी०क्यू० तथा 20 लाख भेड़ एवं बकरियों को पी०पी०आर० टीका से टीकाकृत किया गया है।
02.	एम्बुलेट्री भान के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की योजना।	वित्तीय वर्ष 2014–15 से राज्य में कार्यान्वित है।	इस योजना के तहत 50 एम्बुलेट्री भान राज्य के सभी जिलों एवं राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है। इसके द्वारा सुदूर ग्रामिण क्षेत्रों में बाढ़/सुखार/महामारी नियत्रण के समय इसका उपयोग किया जाता है। वर्ष 2017–18 में एम्बुलेट्री भान के माध्यम से 259 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित की गई है। तथा शिविर में 3.5672 लाख पशुओं की चिकित्सा की गई है। इसके अतिरिक्त 2.5892 लाख पशुओं कृत्रिम ग्रभाधान से आच्छादित किया गया है।

03.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	वर्ष 2016–17 से क्रियान्वित	राज्य सरकार के विशेष पहल पर राज्य में उच्च कोटि के पशु विज्ञान एवं इसके सहबद्ध विज्ञान यथा गव्य तकनीक/मत्स्य विज्ञान/पशु विज्ञान/ पशुपालन आदि के विकास हेतु शोध एवं अनुसंधान के लिए एक पृथक बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक–2016 को अधिसूचित करते हुये कुलपति के नियुक्ति के साथ–साथ अकादमिक एवं प्रशासनिक पद सहित सपोर्टिंग स्टाप के साथ 218 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान वित्तीय वर्ष 2017–18 में की गई है।
04.	समग्र गव्य विकास योजना	यह योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से संचालित है।	इस योजना के तहत सामान्य जाति के 02 दूधारू मवेशी के 1525 इकाई, 05 दूधारू मवेशी की 250 इकाई, 10 दूधारू मवेशी की 181 इकाई एवं 20 दूधारू मवेशी की 72 इकाई अर्थात् कुल 2028 डेयरी इकाई की स्थापना कर 50 प्रतिशत अनुदान वितरीत किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 02 दूधारू मवेशी की 614 इकाई, 05 दूधारू मवेशी की 52 इकाई अर्थात् 666 दूधारू मवेशी की स्थापना करते हुये 75 प्रतिशत अनुदान वितरीत किया गया। इसके अलावे अनुसूचित जनजाति के 02 दूधारू मवेशी की इकाई की स्थापना हेतु 75 प्रतिशत अनुदान वितरीत किया गया।
05.	दुग्ध पाउडर संयंत्र की स्थापना	यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से संचालित है।	यह संयंत्र राज्य के हाजीपुर में स्थापित की गई है। जिसकी क्षमता 30 मे० टन प्रति दिन है।
06.	आईसक्रीम प्लांट की स्थापना।	यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से संचालित है।	यह संयंत्र राज्य के पटना एवं नालन्दा जिला में स्थापित की गई है जिसकी क्षमता 20 हजार कि० प्रति दिन है।
07.	दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना।		इस योजना के तहत 1750 स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जिसे इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण कर ली जायेगी।
08.	समेकित बकरी विकास की योजना	यह योजना वर्ष 2014–15 से संचालित है।	राज्य में जीविका के माध्यम से 1080 गरीब परिवारों की बीच निःशुल्क तीन प्रजनन योग्य बकरियाँ जीविकोपार्जन हेतु वितृत किया गया है। साथ 371 निजी क्षेत्रों के लाभूकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर 20 बकरी + 01 बकरा फार्म की स्थापना हेतु अनुदान की स्वीकृति–पत्र वितरीत की गई है।

09.			वित्तीय वर्ष 2017–18 में इसी योजना के तहत अनुसूचित जाति के लगभ 2500 परिवारों एवं अनुसूचित जनजाति के लगभग 241 गरीब इच्छुक परिवारों को तीन–तीन बकरियाँ जीविका के माध्यम से वितरित किया गया है। साथ ही निजी क्षेत्रों में 20 बकरी + 01 बकरा के 309 इकाई तथा 40 बकरी + 02 बकरा के 150 इकाई सामान्य जाति के लिए तथा अनुसूचित जाति के लिए 20 बकरी + 01 बकरा क्षमता के 60 इकाई एवं 40 बकरी + 02 बकरा के 14 इकाई अर्थात् कुल 533 इकाई बकरी फार्म की स्वीकृति प्रदान की गई है।
10.	समेकित मुर्गी विकास योजना	यह योजना वर्ष 2013–14 से संचालित है।	इस योजना के तहत 10 हजार क्षमता के 16 इकाई एवं 05 हजाहर क्षमता के 19 इकाई लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु अनुदान का वितरण किया गया है।
11.	मछली उत्पादन		मछली उत्पादन 5.06 लाख मे० टन से बढ़कर 5.10 लाख मे० टन हुआ। मत्स्य प्रक्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्य में मत्स्य उत्पादन में उत्रोतर वृद्धि हो रही है। इस वर्ष 20 हैचरी का निर्माण किया जा रहा है।
12.	राशन बैलेन्सिंग योजना	यह योजना 2013–14 से राज्य में संचालित है।	कॉम्फेड द्वारा दुग्ध उत्पादकों को पशु के उत्तम स्वास्थ्य एवं दुग्ध की उत्पादन लागत को कम करने के उदेश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2017–18 में 73639 पशुओं पर इसके प्रभाव के आकलन के अनुसार दुग्ध के उत्पादन में प्रति वर्ष 250 ग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है एवं उत्पादन लागत में 8.7 प्रतिशत यानि रुपये 8.69 प्रति पशु प्रति दिन की कमी दर्ज की गई है।
13.	वल्क मिल्क कुलर की स्थापना	वर्ष 2012–13	राज्य के विभिन्न जिलों में ग्राम स्तर पर दुध को ठण्डा कर उसकी गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से 462 मिल्क कुलर एवं 08 शीतकरण केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिनकी कुल शीतकरण क्षमता 20.39 लाख ली० प्रति दिन है।
14.	प्रशिक्षण एवं प्रसार की योजना	वर्ष 2012–13 से संलालित है।	वर्ष 2017–18 में गव्य तकनीक से संबंधित विशेष प्रशिक्षण की योजना के तहत 3105 दुग्ध उत्पादको/समिति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण राज्य के बाहर एवं राज्य के अंदर देने का कार्य की जा रही है। साथ ही 402 दुग्ध उत्पादन समितियों में दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजन करने का कार्य किया जा रहा है।

15.	मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना।	यह योजना वर्ष 2013–14 से संचालित है।	इस योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर आर्द्र भूमि का विकास एवं रियरिंग तालाब का निर्माण, प्रथम वर्ष इनपुट , टियूबेल एवं पम्पसेट का अधिष्ठापन तथा मान एवं चौर में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का कार्य किया जा रहा है।

अतः सरकार इस विभाग के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन हेतु दृढ़ संकल्पित है ताकि राज्य की जनता का समाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके।

महोदय, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ **436.224** करोड़ मात्र **(04 अरब/36 करोड़/22 लाख/40 हजार)** एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ **282.2856** करोड़ **(02 अरब/82 करोड़/28 लाख/56 हजार)** अर्थात् योजनात्मक योजना एवं गैर योजनात्मक योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के लिए कुल ₹ **718.5096 करोड़ (07 अरब/18 करोड़/50 लाख/96 हजार)** मात्र का वार्षिक योजना उद्व्यय इस विभाग के लिए व्यय हेतु प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति महोदय प्रार्थित है। उक्त प्रस्तावित राशि से विभाग द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ क्रियान्वित आगामी वर्ष 2018–19 में किये जायेंगे जिसका प्रक्षेत्रवार संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

पशुपालन

- **पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना** के तहत संविदा पर नियोजित एवं नियोजित होने वाले पशु चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान, राज्य में कार्यरत सभी पशु चिकित्सालयों में पशुओं के जीवन रक्षा हेतु निःशुल्क प्राणरक्षक पशु दवा तथा मशीन एवं उपस्कर की उपलब्धता, आवश्यकतानुसार पशुओं के टीकाकरण हेतु रिंग टीकाकरण, राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग सिस्टम (NADRS) के तहत बेल्ट्रान के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर कार्यरत 589 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय एवं रिपोर्टिंग सिस्टम का सुदृढ़ीकरण, एम्बुलेट्री वैन के परिचालन हेतु ईंधन, रख–रखाव, चालक का मानदेय एवं दवा इत्यादि की उपलब्धता, पशु चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने एवं पशुपालकों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पशु चिकित्सालयों में पदस्थापित पशु चिकित्सकों को निजी मोटर साईकिल हेतु ईंधन एवं निजी मोबाईल हेतु रिचार्ज कूपन की व्यवस्था इत्यादि पर व्यय किया जाना प्रस्तावित।

- **पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम** के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना/राज्य स्कीम के तहत राज्य के पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों यथा–एच०एस०, बी०क्यू०, एफ०एम०डी०, पी०पी०आर०, ब्रुसेलोसिस इत्यादि से बचाव हेतु "पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवारा" के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कुल 508. 61 लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

- **समेकित मुर्गी विकास योजना** के तहत लेयर पोल्ट्री फार्म (1000/5000/10000 क्षमता) की स्थापना पर अनुदान तथा जीविका के माध्यम से चूजा वितरण की योजना प्रस्तावित है। साथ ही ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (2000 क्षमता) की आधारभूत संरचना का निर्माण पर अनुदान की योजना प्रस्तावित।

- **समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना** के तहत निजी क्षेत्र में कम क्षमता वाले (20 बकरी + 1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा) बकरी फार्म की स्थापना की योजना प्रस्तावित है। बकरी वितरण कार्यक्रम के तहत बी०पी०एल० परिवारों को प्रति परिवार

बिहार पशु प्रजनन नीति 2011 में अनुशंसित नस्ल की तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) का निःशुल्क वितरण बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बकरी पालन–सह–प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियां की योजना का कार्यान्वयन भी प्रस्तावित।

- **कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम** के तहत 400 पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना तथा बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी, पटना का सुदृढ़ीकरण की योजना प्रस्तावित।

- **पशु क्रूरता निवारण की योजना** के तहत तस्करी के क्रम में पकड़े गये पशुओं का रख–रखाव, चारा–दाना, पशु–दवा एवं चिकित्सीय सेवा, घायल पशुओं के शरणस्थली तक ले जाने हेतु एम्बुलेट्री भान इत्यादि की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित।

- **गोशाला विकास की योजना** के तहत गोशालाओं के आधुनिकीकरण, देशी गोवंश का क्रय, संरक्षण, संवर्द्धन, आधारभूत संरचना का विकास, गोबर गैस प्लान्ट की स्थापना, वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं चारा उत्पादन केन्द्र का विकास इत्यादि के लिए अनुदान दिया जाना प्रस्तावित।

- **बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय** की योजना के तहत राज्य में अधिसूचित/प्रख्यापित "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना" की स्थापना तथा पदों के सृजन की स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होने वाले महाविद्यालय, अनुसंधान इकाईयों एवं पशु प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित।

- **पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना** के सुदृढ़ीकरण की योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित।

- **प्रशिक्षण की योजना** के तहत पशु चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पैरा वेट्स को अलग–अलग बैचों में राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर स्थापित लब्ध–प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित।

- **कौशल विकास प्रशिक्षण** कार्यक्रम के तहत राज्य के पशुपालकों/कृषकों एवं इच्छुक बेरोजगार युवाओं को गोपालन, कुक्कुटपालन, बकरीपालन, सूकरपालन एवं पशुपालन से संबंधित अन्य विधाओं में प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित।

- **नये एम्बुलेट्री वैन के क्रय की योजना** के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 10 नये एम्बुलेट्री वैन का क्रय एवं संचालन प्रस्तावित।

- **चारा उत्पादन एवं प्रत्यक्षण की योजना** के तहत प्रखंड स्तर पर विभागीय चारा नर्सरी की भूमि पर चारा की नई किस्मों का उत्पादन एवं प्रत्यक्षण किया जाना प्रस्तावित।

- **केन्द्र प्रायोजित योजना** के तहत एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण की योजना के तहत दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित।

गव्य

- **समग्र गव्य विकास योजना** के तहत राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने ग्रामीण रोजगार का सृजन तथा प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सभी वर्गों के कृषकों/दुग्ध व्यवसाय जुड़े हुये कृषकों, बेरोजगार युवको–युवतियों को ऋण–सह–अनुदान पर डेयरी फार्मिंग योजना के माध्यम से सशक्तिकरण करना है। इसके तहत सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के चयनित होने वाले लाभार्थी को 66.66 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में अनुदान देने का प्रस्ताव है जिस पर कुल व्यय रुपये 69.836 करोड़ व्यय होना प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित राशि से 2 दुधारू मवेशी की 7319 डेयरी इकाई तथा 4 दुधारू मवेशी की 2144 डेयरी इकाई स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

- राज्य के सभी क्षेत्रों को दुग्ध उत्पादन एवं संग्रहण केन्द्र भवन से आच्छादित करते हुये विस्तारित करने का प्रस्ताव।

- राज्य के अधिक–से–अधिक गाँव तक दुग्ध सहकारी क्षेत्र का विस्तार कर गाँवों में ही दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध की विक्रय एवं पशुपालन हेतु आवश्यक अनुदानों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव।

- सुपौल में 1.0 लाख लीटर डेयरी एवं समस्तीपुर में 30.00 मे० टन दैनिक क्षमता के पॉउडर संयंत्र तथा 5.0 लाख लीटर दैनिक क्षमता की डेयरियो में वर्ष 2018–19 से व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

- कॉम्फेड, पटना द्वारा दुधारू पशुओं को उन्नत गुणवत्ता का कैटलफीड उपलब्ध कराने हेतु बिहिया, भोजपुर में निर्माणाधीन 300 मे० टन क्षमता के पशु आहार संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण होने की संभावना।

- कृषि रोड मैप के अनुसार दुग्ध समितियों की कुल संख्या को 23681 करने का लख्य है। इन समितियों की सदस्यता हेतु 12.50 लाख की संख्या निर्धारित है।

- राज्य में महिला दुग्ध समितियों की कुल संख्या को 3213 तक पहुँचाने का लक्ष्य है। दुग्ध सहकारिता से जुड़ी महिलाओं की कुल संख्या 3.00 लाख पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित।

- कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 4029 करने का लक्ष्य।

- प्रशीतिकरण व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के साथ राज्य में मार्केटिंग नेटवर्क को विस्तारित कर शेष बचे हुये शहरी क्षेत्रों तथा छोटे–छोटे बाजार तक ले जाने का कार्यक्रम।

- दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के इनपुट कार्यक्रम यथा पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार तथा पशु पोषण की सुविधा प्रदान कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, लागत व्यय में कमी के माध्यम से लाभ पहुचाने का लक्ष्य निर्धारित की गई है।

- नये आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित करने का कार्यक्रम।

- गव्य तकनीक से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से गव्य व्यवसाय से जुड़े हुये किसानों को मावन वल संसाधन के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम। इस योजना पर कुल 4.90 करोड़ व्यय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित की गई है।

मत्स्य

- राज्य में अविकसित सरकारी तालाबों का नवनिर्माण तथा जीर्णोद्धार करने का कार्यक्रम।

- जल जमाव एवं आर्द्र जनित क्षेत्रों को जल कृषि के अन्तर्गत लाकर राज्य में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने का कार्यक्रम ताकि कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

- राज्य में मत्स्य विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन। इस योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में अनुदान पर आर्द्र भूमि का विकास, रियरिंग तालाब का निर्माण, इनपुट, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट का अधिष्ठापन तथा चौर एवं मन में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन का लक्ष्य निर्धारित।

- मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्यों तथा निजी मत्स्य पालकों को स्वरोजगार हेतु मत्स्य तकनीक से प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम।

- राज्य के महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम।

- राज्य में उपलब्ध जलस्रोतों में तेजी से विकास करने वाले मत्स्य प्रजाति का समावेश करने का कार्यक्रम।

- मत्स्य बीज एवं मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना का कार्यान्वयन।

- राज्य में पंगेशियस मछली के विकास हेतु अनुदान की व्यवस्था।

- अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के मत्स्य पालन हेतु प्रेरित करने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था।

- कृषि रोड़ मैप में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मत्स्य व्यवसाय से जुड़े कृषकों कों मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था।

- केन्द्रीय योजना–गत–योजना नीली क्रांति– समेकित विकास एवं मत्स्य प्रबंधन की योजना के तहत मत्स्य हेचरी का निर्माण, नये तालाबों का निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, आर्द्र भूमि में अंगुलिकाओं का संचय, केज कल्चर, मत्स्य बीज हेचरी का अधिष्ठापन, फिश–फीड मील का निर्माण करने की योजना का कार्यान्वयन
- ब्रुड बैंक की स्थापना।
- फिश फीड मिल की स्थापना।
- हैचरी का निर्माण।
- फिश फैडरेशन की स्थापना।
- पूरक आहार की योजना।
- मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन।
- ट्यूबवेल/पम्पसेट का अधिष्ठापन।
- प्रथम वर्ष इनपुट की योजना का क्रियान्वयन।

अतः उपरोक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए योजनात्मक स्कीम एवं गैरयोजनात्मक स्कीम (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के सफल क्रियान्वयन हेतु क्रमशः राशि कुल ₹ 436.224 करोड़ मात्र (04 अरब/36 करोड़/22 लाख/40 हजार) एवं कुल ₹ 282.2856 करोड़ (02 अरब/82 करोड़/28 लाख/56 हजार) अर्थात् कुल ₹ 718.5096 करोड़ (07 अरब/18 करोड़/50 लाख/96 हजार) मात्र व्यय को वहन करने के लिए उपस्थापित बजट प्रस्ताव में माननीय सदस्यों की स्वीकृति प्रार्थित है।

* * * *

पशुपालन

1. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 2017–18 में की गयी ।
2. राज्य के सभी जिला मुख्यालय में एक –एक एवं पटना जिला में तीन (दानापुर, बाकीपुर एवं पटना सिटी) पशु चिकित्सालय में सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे (24 X 7) पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3. राज्य में बड़े पशुओं (गाय, भैस बाछा, बाछी, पाड़ा, पाड़ी) एवं छोटे पशुओं (भेड़, बकरी) का बड़े पैमाने पर निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। बड़े पशुओ में खुरहा मुहपका एवं गलाघोटू रोग के विरूद्ध टीकाकरण किया गया है। छोटे पशुओ में पी०पी० आर० रोग के विरूद्ध टीकाकरण किया गया है। इसके अलावे चार एवं आठ माह के बाछी एवं पाड़ी में ब्रूसलोसीस रोग के विरूद्ध टीकाकरण अभियान चलाया गया है।
4. राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति के पुशपालक के पशुओं का निःशुल्क अन्तः कृमिनाशन हेतु पूरे राज्य में दवा का वितरण किया गया है।
5. **मुर्गी विकास योजनाः**– इसके तहत दो प्रकार की योजनाए संचालित की जा रही है।

(क).अण्डा उत्पादन में बृद्धि हेतु निजी क्षेत्र में दस हजार एवं पांच हजार क्षमता के लेयर पॉल्ट्री फार्म के स्थापना पर समान्य जाति को 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 40 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था के साथ–साथ बैंक ऋण के ब्याज पर 4 वर्षो तक 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

(ख).अण्डा एवं मुर्गी मांस में वृद्धि हेतु जीविका के माध्यम से बी०पी०एल० परिवारों के बीच लो इनपुट प्रजाति के 28 दिवसीय चूजो का अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है। इसके अलावे कुक्कुट प्रक्षेत्र पटना एवं भागलपुर से 25 लो इनपुट प्रजाति के 28 दिवसीय चूजों का अनुदानित दर पर गरीब परिवार वितरण किया जाता है।

6. **बकरी विकास योजनाः**– इसके तहत दो प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है।

(क).निजी क्षेत्रो में 20 बकरी +1 बकरा के फार्म के स्थापना लागत 2 लाख रूपये पर 50 प्रतिशत यानि 1 लाख रूपये अनुदान की व्यवस्था तथा 40 बकरी + 2 बकरा के फार्म के स्थापना लागत 4 लाख रूपये पर 50 प्रतिशत यानि 2 लाख रूपये अनुदान की व्यवस्था। इसके तहत 371 लाभूकों का चयन किया जा चूका हैं साथ ही 7 सौ लाभूकों के चयन की कार्रवाई की जा रही है।

(ख).जीविका के माध्यम से गरीब बकरी पालकों/ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच तीन प्रजनन योग्य बकरी की एक इकाई का निःशुल्क वितरण किया जा रहा हैं। इसके तहत अब तक 1720 महिला परिवारों के बीच बकरी इकाई का वितरण किया गया है।

पशुपालन विभाग द्वारा महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए

Animal & Fish Resources_Anu

पशुओं के लिए Indor चिकित्सा व्यवस्था पटना वेटनरी महाविद्यालय अस्पताल में उपलब्ध है। सभी आधुनिक उपकरणों से लैस शल्य चिकित्सा केन्द्र है।

विशिद्ध जिलों में 50 एम्बुलेट्री वैन के माध्यम से ईलाज चल रही है।

शराबबंदी के बाद सुधा बूथ देने के लिए आवेदन आर्मंत्रित किया गया था एवं इच्छुक व्यक्तियों को सुधा का बूथ उपलब्ध कराया गया है।

306 आवेदनों में से 66 लोग बूथ लिया है। अन्य लोगों ने नहीं लिया।

शराब बंदी के बाद दूध एवं मिठाई अन्य दूध की उत्पादों का बिक्री बंद है।

1. टीकाकरण कार्यक्रम लगातार चल रहा है । ये तीनों पशुओं से संबंधित टीका है जो सभी पशुओं को नि:शुल्क किया जा रहा है ।

FMD-155 लाख डोज

HSBQ-160 लाख डोज

Brucellosis- 10.98 लाख डोज

एक आधुनिक फ्रोजेन सीमेन स्टेशन 63 cr. रू० का भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह जल्द ही पूर्णियाँ में बनाया जायेगा जिसके माध्यम से करीब 50 लाख सीमेन खुराक बनाया जायेगा। वर्तमान में करीब 22 लाख कृत्रिम गर्भाधान COMFED के द्वारा 3 लाख पटना प्रोजेन सीमेन स्टेशन से कराया जा रहा है।

मछली उत्पादनः-

मछली बीज के लिए 151 हेचरी कार्यरत है। 785 मिलियन मत्स्य बीज पिछले सात उत्पादित किया गया है ।

मछली उत्पादन 2017-18- 5.35 लाख टन जो लगातार बढ़ रही है ।

तालाबों की उगाही के लिए मत्स्यजीवि सहयोग समितियों को 4.5 लाख रू०/- हेक्टेर दिया गया था ।

मधुबनी जिले में सबसे ज्यादा संख्या में मत्स्य हेचरी बनी है ।

राज्य में मत्स्य प्रक्षेत्र के मत्स्यपालकों के लिए बहुत ही अच्छी प्रशिक्षण की व्यवस्था है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान जैसे- सी०आई०एफ०ई०, मुम्बई के उपकेन्द्र काकीनाडा, पावड़खेडा एवं साल्टलेक, सीफरी, बैरकपुर, मात्स्यिचकी महाविद्यालय पन्तनगर तथा ढ़ोली तथा सीफा भुनेश्वर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है । अभी तक 29 हजार 188 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया गया है । इसमें राज्य के अन्दर 19091 तथा राज्य के बाहर 10,097 है ।